पंचम माला, खंड 29, अंक 4 गुरूवार, 26 जुलाई, 1973/4 श्रावण, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXIX, No. 4 Thursday, July 26, 1973/Sravana 4, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र / Eighth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 29 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXIX contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये *Price :* Two Rupees

यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

16 LSS/73—1-

विषय सूची/CONTENTS

अंक 4, गुरुवार, 26 जुलाई, 1973/4 श्रावण, 1895 (शक)

No. 4, Thursday, July 26, 1973/Sravana 4, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S.Q. No.		
61 रक्षा प्रयोजन के लिए घोड़ों की खरीद हेतु एक उद्योगपति एवं सिनेमा मालिक द्वारा मंगोलिया का दौरा	Visit to Mongolia by Bombay Industrialist and Cinema House proprietor for purchase of horses for Defence purpose	1
62 कोयले का अधिकतम उत्पादन करने के लिये तथा इसका वितरण सुव्यवस्थित करने के लिये किये गए प्रयास	Efforts made to maximise Coal production and streamline its Distribution .	2
63 सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना की गतिविधियाँ	Pak Military's Border Activities .	5
65 ईरान द्वारा भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की सहायता करने के बारे में समाचार	Press Reports regarding Iran's readiness to help Pakistan against India . .	8
67 इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास में टेलिफोनों से गुप्त रूप में सूचना प्राप्त करने के लिये पाकिस्तान द्वारा संयंत्र लगाए जाने संबंधी समाचार	Reports Re. Pakistan Planted Bugging Devices in Telephones of Indian Embassy in Islamabad	13
68 बीड़ी मजदूरों का अखिल भारतीय सम्मेलन	All India Convention of Bidi Workers .	13

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	

64	क्वेंचिंग कार रेल इंजनों का देश में निर्माण आरम्भ करना	Switch over to indigenously Manufactured Quenching Car Locomotives . .	16
66	पाकिस्तान द्वारा शिमला करार का उल्लंघन	Violation of Simla Agreement by Pakistan	16
69	पाकिस्तानी युद्धबन्दियों पर व्यय	Expenditure on Pak P.O.Ws.	16
70	वर्ष 1973-74 के दौरान इस्पात का प्रस्तावित आयात	Proposed Import of Steel during 1973-74	17
71	किरकी एम्यूनिशन फैक्टरी में विस्फोट	Explosion in the Kirkee Ammunition Factory	18
72	डिगो गारसिआ द्वीप में अमरीकी नौसैनिक तथा वायुसैनिक सर्विस स्टेशन की स्थापना	Setting up of US Naval and Air Force Servicing Station in Diego Garcia Island	18
73	कोक-भट्टी बैटरियों की खराब दशा का दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादन पर प्रभाव	Effect of poor condition of Coke oven batteries on Production in Durgapur Steel Plant	19
74	चीन द्वारा हाइड्रोजन बम का विस्फोट	Explosion of Hydrogen Bomb by China .	20
75	नये आप्रवास नियमों के अन्तर्गत भूतपूर्व आप्रवासियों को राजक्षमा प्रदान करने से ब्रिटेन सरकार द्वारा इन्कार किया जाना	British refusal to Grant amnesty to earlier Immigrants under New Immigration Rules	20
76	भारत में बनी कारों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in price of Cars manufactured in India	20
77	नेपाल की सीमा पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पहाड़ी सड़क	Strategic Hill Road on Nepal Border .	21
78	कारखानों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान का भुगतान	Payment of ESI Contribution by Factories	21
79	संयुक्त भारत-बंगला देश पेशकश के प्रति पाकिस्तान की प्रतिक्रिया	Pakistan response to Joint Indo-Bangladesh Offer	22
80	कोयला उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिये भारत-पोलैण्ड सहयोग	Indo-Polish Collaboration for modernisation of Coal Industry	22

ता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
601	मध्य प्रदेश में टी-25 ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of T-25 Tractor in Madhya Pradesh	23
602	लार्ड माउंट बेटन द्वारा भारत स्थित पाक युद्ध बन्दियों को छोड़ने के बारे में वक्तव्य	Statement by Lord Mountbatten for Release of POWs in India	23
603	बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा निर्यात के लिये ढलवां लोहा रिलीज करना	Release of Pig Iron for Export by Bokaro Steel Plant	23
604	इस्पात का उत्पादन और मांग	Requirement and production of Steel	24
605	प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त त्रिवेन्द्रम के कार्यालय के लिये भवन तथा कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Office building and Staff quarters for RPFC Trivandrum	25
606	जुलाई, 1973 में पाकिस्तान वापस भेजे गये युद्धबन्दी	POWs sent to Pakistan in July, 1973	25
607	कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना (मैसूर) का कार्यकरण	Working of Kudremukan Iron and Ore Project (Mysore)	25
608	ब्रिज एण्ड रूफ वर्कर्स यूनियन से ज्ञापन	Memorandum from Bridge and Roof Workers' Union	26
610	बिजली घरों के प्रबन्धकों के परामर्श से कोयले का मूल्य नियत करना	Fixation of Coal price in consultation with management of Power Stations	26
611	नागालैण्ड में भूविज्ञान सर्वेक्षण	Geological Survey of Nagaland	27
612	भारतीय कार कम्पनी के संबंध में जांच	Probe into Bharatya Car Company	27
613	प्रधान मंत्री की युगोस्लाविया की यात्रा	Prime Minister's visit to Yugoslavia	28
614	प्रधान मंत्री की कनाडा यात्रा	Prime Minister's Visit to Canada	28
615	श्रीनगर में एच० एम० टी० वाच फैक्टरी III की निर्माण प्रगति में विलम्ब	Progress in the Construction of HMT Watch Factory III at Srinagar delayed	28

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
616	मशीनी औजारों की आवश्यकता के बारे में सर्वेक्षण	Survey of Requirement of Machine Tools	29
617	नैवेली लिग्नाइट को हानि	Loss suffered by Neyveli Lignites .	29
618	बजाज आटो लिमिटेड तथा आटो-मोबाइल प्रोडक्टस आफ इंडिया लिमिटेड का विस्तार	Expansion of Bajaj Auto Ltd. and Automobile Products of India Ltd. . .	29
619	भारत के आत्म निर्भरता प्राप्त करने के प्रयासों में भारत कनाडा सहयोग	Indo Canadian Co-operation in India's Efforts towards self reliance . .	30
620	हिन्द महासागर के बारे में श्रीलंका के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता	Discussions with Sri Lanka's Representatives regarding Indian Ocean . .	30
621	हिन्दुस्तान ट्रैक्टर, बडौदा को सरकारी नियन्त्रण में लेना	Government Take over of Hindustan Tractor Baroda	30
622	तीसरा मजूरी बोर्ड और श्रमजीवी पत्रकारों को अन्तरिम सहायता	Third Wage Board and Interim Relief for Working Journalists	31
623	राजहंस स्कूटर क निर्माण	Manufacture of Scooter Rajhans .	33
624	अलवर (राजस्थान) में निर्मित स्कूटर के प्रारूप का निरीक्षण	Inspection of a Prototype of Scooter produced at Alwar (Rajasthan) . .	33
625	छोटी कार के निर्माण के लिये मारूति लिमिटेड को दिये गये आशय पत्र की अवधि का तीसरी बार बढ़ाया जाना	Renewal of letter of Intent given to Maruti Limited for Manufacture of Small Cars for Third Time . . .	34
626	महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर एक नौसैनिक स्कूल खोलने के बारे में प्रस्ताव	Proposal Re. Establishment of a Naval School on the West Coast of Maharashtra	34
627	पाकिस्तानी विमानों के भारतीय क्षेत्र पर से उड़ान पर भारत द्वारा लगाये गये प्रतिबंध का मामला पाकिस्तान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में उठाने का निर्णय	Pak Decision to move ICAO against Indian Ban on Pak overflights . .	34
628	भारत द्वारा इराकी पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिये इराक के साथ समझौता	Agreement with Iraq for Imparting Training to Iraqi Pilots by India . .	35

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
629	भारत में युद्ध बन्दियों पर चलचित्र	Movie Film on P O Ws in India .	36
630	समुद्री दूषण रोकने सम्बन्धी कन्वेशन का प्रशासन चलाने के लिये एक नये निकाय का प्रस्ताव	Proposal for a New body to administer Convention against Pollution of the Seas	36
631	आन्तरिक उपयोग तथा निर्यात के लिये लौह अयस्क की मांग	Demand for Iron Ore for Internal Consumption and Exports . . .	37
632	केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक संगठनों के कर्मचारियों के लिये बोनस	Bonus for Employees of Central Government Industrial Organisations . .	37
634	विशाखापत्तनम का नौसैनिक अड्डा	Visakhapatnam Naval Base .	38
635	भारत बंगलादेश संयुक्त प्रस्ताव पर पाकिस्तान के साथ बातचीत	Talks with Pakistan on Indo-Bangladesh Joint Proposal	38
636	कोकिंग कोयला खानों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये उठाए गए कदम	Steps to increase production in Coking Coal Mines	38
637	भारत बंगलादेश की संयुक्त पेशकश के सम्बन्ध में पाकिस्तान जाने के लिये सरकारी मिशन	Official Mission to Pakistan regarding Joint Indo-Bangladesh Offer . .	39
638	हिन्द महासागर में प्रमुख शक्तियों के नौसैनिक बेड़ों का उपस्थित होना	Basing of Naval Fleets by Major Powers in Indian Ocean	39
639	पाकिस्तान को अमरीका से युद्ध सामग्री की सप्लाई	US Supplies of War Material in Pakistan	40
640	टोरान्टो (कनाडा) में प्रधान मंत्री के पास पहुंचने का प्रयास करने वाले व्यक्ति सम्बन्धी घटना की जांच	Investigation into incident of a Person trying to approach Prime Minister in Toronto (Canada)	40
641	आर्थर बटलर कम्पनी, मुजफ्फरपुर	Arthur Buttler Company, Muzaffarpur .	41
642	ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी, मोकामा का बंद होना	Britannia Engineering Company, Mokameh closed down	41
643	भारत नैपाल सीमा क्षेत्र से सेना की बैरकें तथा शिवरों का हटाया जाना	Removal of Army Barracks and Camps from Indo Nepal Border Area . .	41

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
644	दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार द्वारा भारत में एक सूचना केन्द्र खोलने के लिए अनुरोध	Request from PRG of South Vietnam to open an Information Centre in India	42
645	ईरान को अमरीकी सैनिक सहायता और वहां से उसका पाकिस्तान मोड़ा जाना	US Military aid to Iran and its Diversion to Pakistan	42
646	युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के विरूद्ध पाकिस्तान द्वारा विश्व न्यायालय से शिकायत	Pakistan moves World Court against Trial of Prisoners of War . . .	43
647	खेतिहर श्रमिकों को मजदूर संघों के अधिकार प्रदान करने के लिये विधान	Legislation to provide Trade Union Rights to Agricultural Labour . . .	44
648	युगांडा से निकाले गये भारतीय, ब्रिटिश और युगांडा पासपोर्टधारी उन व्यक्तियों की संख्या जिनको आपात प्रमाण पत्र दिया गया है	Number of Indian, British and Uganda Passport Holders who have Repatriated from Uganda granted Emergency certificates	44
649	देश में एल्यूमिनियम की कमी	Shortage of Aluminium in the country	44
650	सरकारी क्षेत्र के पास उपलब्ध अतिरिक्त इस्पात को गैर-सरकारी उद्योगों को देना	Diversion of surplus Steel with Public Sector to Private Sector Industries .	45
651	ईरान का अमरीका से हथियार खरीदना	Purchase of Arms by Iran from USA .	45
652	ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी	Unemployment in Rural Areas	46
653	कोयला और माल डिब्बों की अपर्याप्त सप्लाई के कारण इस्पात के उत्पादन तथा लाने ले जाने पर प्रतिकूल प्रभाव	Production and Movement of Steel Hit by Inadequate Supply of Coal and Wagons	46
654	तेहरान में हुई सैन्टो की बैठक में पाकिस्तान द्वारा भाग लेना	Pak Participation in CENTO Meeting at Teheran	47
655	दामोदर घाटी निगम से अपर्याप्त बिजली की सप्लाई के कारण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को हुई हानि	Loss suffered by Durgapur Steel Plant due to Insufficient Power Supply from DVC	47

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
656	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सुरक्षा दल तथा पुलिस द्वारा मजदूरों पर गोली चलाया जाना	Reported firing by Security Force of Bharat Coking Coal Ltd., and Police on Workers	48
657	कोयलाखान प्राधिकार	Coal Mines Authority .	48
658	पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti India Tirade by Pakistan	49
659	जाली दस्तावेजों के आधार पर इच्छापुर आयुध कारखाने से रायफलों की ठगी	Cheating Ishapur Ordnance Factory of Rifles on Forged Documents . .	49
660	भारी उद्योग के उत्पादन और लाभ को बढ़ाने के लिये योजनाएं	Plans for increasing production and Profitability of Heavy Industry . .	49
661	बल्लारपुर कोयलाखान (महाराष्ट्र) के कर्मचारियों का स्थानान्तरण/निलम्बन/हटाया जाना	Transfers/Suspension/Removal of Employees of Ballarpur Colliery (Maharashtra)	50
662	हैवी इलेक्ट्रीकल्स भोपाल में भर्ती के बारे में कथित कदाचार	Alleged Malpractices in Recruitment in Heavy Electricals, Bhopal . .	51
663	बढ़ रही बेरोजगारी के कारण .	Factors responsible for growing Unemployment	51
664	जम्मू और काश्मीर में युद्ध के कारण बेघर हुए व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Persons uprooted due to war in Jammu and Kashmir . .	52
665	रोजगार तथा जनशक्ति आयोजन सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना	Setting up of National Commission on Employment and Manpower Planning	52
666	बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समति का प्रतिवेदन	Report of Expert Committee on Unemployment . . .	52
667	वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण आयोग से कनाडा का हटना	Withdrawal by Canada from International Commission for Control and Supervision in Vietnam	53
668	श्रीलंका के प्रतिनिधियों और भारतीय अधिकारियों के बीच दिल्ली में वार्ता	Talks between Representatives of Lanka and India in Delhi	53
669	बंगला देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के प्रश्न पर कनाडा में प्रधान मंत्री द्वारा की गई बात-चीत	Discussion held by the Prime Minister in Canada on the question of admission of Bangladesh to United Nations . .	54

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
670	कोरिया के पुनः एकीकरण के बारे में विश्व की संसदों से डी० आर० पी० के० की अपील	Appeal by DRPK to World Parliaments regarding Re-unification of Korea .	54
671	कलकत्ता स्थित कर्मचारी राज्य बीमा के कार्यालय से खाता बही पुस्तकों का गुम होना	Missing Ledgers in ESI Office, Calcutta .	55
672	चीन और भारत के सम्बन्ध	Sino Indian Relations .	55
673	पूना में नैशनल डिफेंस अकादमी की परेड के समय चीन के सैनिक सहचारी का उपस्थित रहना	Presence of Chinese Military Attache at NDA Parade at Poona	56
674	नौसेना में पुराने जहाजों को बदलना	Replacement of over aged Ships in the Navy	56
675	कोयला खानों का बन्द होना	Closure of Coal Mines .	56
676	कोयला खान प्राधिकरण के साथ विलय से पूर्व राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधिकारियों की पदोन्नति	Promotion to Officers of NCDC Prior to merger with coal Mines Authority .	57
677	सैनिक कर्मचारियों के लिए बीमा योजना	Insurance scheme for Army Personnel .	57
678	पाकिस्तानी सेना द्वारा छम्ब क्षेत्र में मोर्चा बन्दी	Raising of Defence Wall in Chhamb Sector by Pak Forces . . .	57
679	चीन द्वारा पाकिस्तान को टी यू0-16 विमान सप्लाई करना	Supply of TU-16 Aircraft by China to Pakistan	58
680	युगांडा से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास	Resettlement of Repatriates from Uganda	58
681	आर्म्स बिल्ड अप बाई व आयल रिच कन्ट्रीज इन वैस्ट एशिया शीर्षक से समाचार	News item Arms Build up by the Oil Rich Countries in W. Asia . . .	60
682	मई 1973 में कोलम्बो में भारत और श्रीलंका के प्रतिनिधियों में हुई वार्ता	Talks Between Representatives of Sri Lanka and India held in Colombo in May, 1973 . . .	60
683	भारतीय श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति की बैठकें	Meetings of Indian Labour Conference and Standing Labour Committee	61

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
684	पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर जवानों को बर्खास्त करना	Jawans dismissed from Service on the basis of Police verification Report .	62
685	केरल में भारी उद्योग	Heavy Industries in Kerala .	62
687	अधेड़ उमर वाले और आयु सीमा पार करने वालों में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिये उपाय	Steps to deal with Unemployment problem among the Middle Aged and those who are Age-Barred . .	62
688	ढाका में आयोजित एशिया शांति सम्मेलन	Asian Peace Conference held in Dacca .	63
689	प्रतिरक्षा उत्पादन में अन्य देशों के साथ सहयोग को समाप्त करना	Discontinuance of Collaboration with Foreign Countries in Defence Production	64
690	मास्को में रूसी अधिकारियों से हुई बातचीत	Talks held in Moscow with Soviet Authorities	64
691	इंडोनेशिया और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास	Indonesian Joint Naval Exercise with India . . .	65
692	पत्तन और गोदी कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा करने के लिये आयोजित सम्मेलन	Conference held to discuss demands of Port and Dock Workers . .	65
693	वेतन और ग्रेडों के बारे में कोयला खान प्रधिकरण के अधिकारियों से अभ्यावेदन	Representation from Officers of Coal Mines Authority regarding Salaries and Grades	66
694	चीन द्वारा अन्तरमहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों की रेंज का बढ़ाया जाना	Chinese increase Range of Missiles	66
695	कर्मचारी भविष्य निधि आयोग के कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदन	Representation from the Employees of EPFO	67
696	उड़ीसा में निकल परियोजना	Nickel Project in Orissa .	67
697	भावी इस्पात कारखाने का स्थान चयन सम्बन्धी अध्ययन	Locational Studies for Future Steel Plants	67
698	तीसरे देश को अमरीका शस्त्रास्त्र देने के बारे में अमरीका के श्री जोजफ सिस्को का कथित वक्तव्य	Reported Statement by Mr. Joseph Sisco of USA regarding Transfer of US Arms to Third Countries . . .	68

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
699	एच० ई० एल० भोपाल, हैदराबाद और हरिद्वार के लिये सीमाबद्ध कार्य-क्रम और निर्धारित क्षमता	Time Bound Programme for reading Rated Capacity in HEL Plants at Bhopal, Hyderabad and Hardwar .	68
700	संगठित क्षेत्र में रोजगार सम्बन्धी वृद्धि दर का अध्ययन करने के लिये सर्वेक्षण	Survey to study of Employment Growth Rate in Organised Sector . .	69
701	उगांडा के निष्कासितों के सम्पत्ति संबंधी दावों का निपटान	Settlement of Property Claims of Repatriates from Uganda . .	71
702	उगांडा से स्वदेश वापस आये व्यक्तियों के लिये गुजरात सरकार की योजना	Gujarat Scheme for Repatriates from Uganda	71
703	शक्तिमान ट्रकों का उत्पादन करने वाली फैक्ट्री द्वारा अन्य वस्तुओं का उत्पादन	Diversification of Factory producing Shaktiman Trucks . . .	71
704	ईरान पाकिस्तान सैनिक समझौता	Iran-Pak Military Agreement .	72
705	कोयला उत्पादन क्षमता में हुई वृद्धि	Increase Registered in Coal Production Capacity	72
706	वर्ष 1972 के लिये 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान	Payment of 8.33 per cent Bonus for 1972	73
707	कानपुर में रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत विशेष मिश्रित इस्पात के कारखाने की स्थापना	Special Alloy Steel Plant under Defence Ministry in Kanpur	73
708	देहरादून में रक्षा कर्मचारी संघ (डिफेंस एम्पलाईज फेडरेशन) की बैठक	Defence Employees Federation Meeting in Dehra Dun	73
709	बलूचिस्तान में ईरानी सेनायें तैनात करना	Deployment of Iranian Forces in Baluchistan	74
710	देश में रिगों की कमी को दूर करने के उपाय	Steps to meet Shortage of Rigs in the country	75
711	विहार में घटिया कोयला अथवा सॉफ्ट कोक की कुछ किस्में बेचने पर प्रतिबन्ध के परिणामस्वरूप कोयले के मूल्य में वृद्धि	Increase in prices of coal in Bihar as a result of restrictions on the sale of inferior coal and certain varieties of Soft Coke	75

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
712	कोयला खानों के सरकारीकरण के पहले और उसके बाद कोकिंग और गैर कोकिंग कोयले का उत्पादन	Production of Coking and non-Coking Coal before and after take-over of Coal Mines	76
713	त्रिपुरा में नए प्रवासी शिविर	New Migrant Camps in Tripura .	77
714	त्रिपुरा में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के प्रबंधकों द्वारा कार्मिक कानूनों का पालन न किया जाना	Non observance of Labour Laws by ONGC Management in Tripura . .	77
715	औषध निर्माण कम्पनियों के सेल्समैनों और एजेंटों को कर्मकारों के वर्ग में शामिल करना	Inclusion of Salesmen and Agents of Drug Companies in the Category of Workmen	78
716	त्रिपुरा में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि	Rise in Educated Unemployed in Tripura	78
717	निवेली में दूसरी खान खोलना	Opening of Second Mine in Neyveli	79
718	उड़ीसा में नेवल बायज सैन्टर	Naval Boy's Centre in Orissa	79
719	रूरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादन	Production of Rourkela Steel Plant	80
721	मजदूरों की शिकायतों को दूर करने के लिये अनुशासन संहिता के अधीन बनाई गई आदर्श शिकायत प्रक्रिया	Model Grievance Procedure to deal with Complaints of Workers laid down under Code of Discipline . .	80
722	मूल्यांकन विभाग द्वारा औद्योगिक संबंधों का अध्ययन	Study of Industrial Relations by Evaluation Wing .	81
723	हैवी इलैक्ट्रिकल इक्यूपमेंट प्लान्ट, हरिद्वार में पूंजी निवेश	Amount Invested in Heavy Electrical Equipment Plant, Hardwar .	81
724	कोयले का मूल्य	Price of Coal	82
725	उत्तर वियतनाम के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिये सहायता देने का प्रस्ताव	Proposal to give Aid for Economic Reconstruction of North Vietnam	83
726	दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की सप्लाई पर नियंत्रण के बारे में सुरक्षा परिषद् में चर्चा कराने का प्रस्ताव	Proposal to move Security Council for control over Arms Supplies to South Africa . .	83

अता०प्र०संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
727	सिक्किम में त्रिपक्षीय समझौते का क्रियान्वयन	Implementation of Tri Partite Accord in Sikkim	83
728	पुनर्वास विभाग में कुछ राजपत्रित अधिकारियों के कथित अनियमितताओं के संबंध में स्पष्टीकरण	Explanation of some Gazetted Officers in Department of Rehabilitation for Alleged Irregularities . . .	84
729	चीन द्वारा श्रीलंका में अड्डा स्थापित किया जाना	Setting up of Base in Ceylon by China .	84
730	बोनस पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन	Report of Bonus Review Committee	85
731	छोटे इस्पात कारखानों द्वारा उत्पादित इस्पात की मात्रा	Quantum of Steel produced by Mini Steel Plants . . .	85
732	वर्ष 1973 के लिये बोनस	Bonus for 1973 .	85
733	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों की पूर्ण डाक्टरी देखरेख की व्यवस्था	Provision of full medical care to workers under ESIS	86
734	चीन के साथ सामान्य संबंध बनाना	Normalisation of relations with China .	86
735	विभिन्न देशों द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सहायता	Arms aid to Pakistan by various Countries	87
736	हिन्द महासागर में शान्ति क्षेत्र बनाने के लिये दक्षिण एशियाई देशों के सम्मेलन का प्रस्ताव	Proposal for South Asian Conference to create a Zone of peace in Indian Ocean	88
737	राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में कोयले का उत्पादन	Production of coal in Nationalised Coal Mines	88
738	कोयले के उत्पादन में वृद्धि और मूल्य में गिरावट	Increased production of coal and reduction in price	89
739	पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति	Registered unemployed persons	90
740	राष्ट्रीयकृत खानों के कार्यकरण में सुधार और उनमें सुरक्षा	Improvement in functioning of and safety in nationalised mines . .	90

ता०प्र०संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
741	केरल में प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय खोला जाना	Setting up of a regional passport office in Kerala	90
742	पाकिस्तान स्थित बंगालियों पर मुकदमा चलाये जाने के बदले में कुछ उच्च पाकिस्तानी असैनिक लोगों पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव	Proposal for trial of top Pak Civilian internees to counter threatened Trial of Bangalis in Pakistan . . .	91
744	भारी एककों के लिये फालतू पुर्जों का भंडार	Stockpiling of Spare Parts for Heavy Units	91
745	कोयले की अनुपलब्धता के कारण दिल्ली में बन्द हुए कारखाने	Factories closed down in Delhi Owing to Non-availability of coal . . .	91
747	शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति	Educated Unemployed . .	92
748	मई-जून, 1973 में प्रधान मंत्री का विदेशों का दौरा	Prime Minister's visit abroad during May-June, 1973	92
749	रक्षा प्रयोजन के लिये चमोली और गढ़वाल जिलों की कृषि भूमि प्राप्त करना	Acquiring Agricultural Land of Chamoli and Garhwal Districts for Defence .	93
750	इस्पात उद्योग के विस्तार के लिये पांचवीं योजना में कार्यक्रम	Fifth Plan Programme for Expansion of Steel Industry	93
751	झरिया रानीगंज कोयलाखानों में उत्पादन में कमी	Decline in Output at Jharia Raniganj Collieries	94
752	राष्ट्रीय मजूरी नीति	National Wage Policy .	94
753	अमरीका में मनोनीत भारतीय राजदूत द्वारा अमरीकी राष्ट्रपति को परिचय पत्र प्रस्तुत करना	Presentation of Credentials to US President by Indian Ambassador to USA .	94
754	रोटेरी वेन्कल इंजन्स द्वारा मोटरगाड़ियों के परम्परागत पिस्टन इंजनों का बदलना	Replacement of Piston Engines of Automobiles by Rotary Wankel Engines .	95
755	रक्षा योजना पर योजना आयोग के साथ विचार विमर्श	Discussion on Defence Plan with Planning Commission . .	95
756	हड़तालें, तालाबन्दी और जबरन छुट्टी के कारण	Reasons for Strikes, Lock outs and Lay-offs	95

अता०प्र०संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
757	कृषि श्रमिकों की समस्याओं के अध्ययन के लिये विशेषज्ञों के एक सैल का गठन	Constitution of an Expert Cell to study problems of Agricultural Labour .	96
758	फ्रांस हिन्द महासागर से अपनी सैनाएं हटाने को तैयार	France to withdraw Forces from Indian Ocean	96
759	कोयले और बिजली की कमी से प्रभावित इस्पात संयंत्र	Steel Plants hit by Coal Shortage and Power Cut	97
760	एच० एस० 748 विमान की परीक्षण के लिये ब्रिटेन को उड़ान	Flying HS-748 Plane to UK for test	97
761	ट्रैक्टरों का आयात बन्द किया जाना	Stoppage of Import of Tractors	98
762	युद्ध बन्दियों को दिये गए भोजन के विरुद्ध प्रचार	Propaganda against Food given to POWs.	98
763	युद्ध बन्द्धियों को अग्रिम वेतन देना	Advance of Pay to POWs	98
764	श्रम सुधारों के लिये गुजरात का कार्यक्रम	Gujarat Programme for Labour Reforms.	99
765	उद्योगों में बेरोजारी बीमा	Unemployment Insurance in Industries .	99
766	भारत से वापिस गये पाकिस्तानी युद्ध बन्द्धियों में पख्तूनों, बलूचियों, पंजाबियों और सिन्धियों की संख्या	Number of Pakhtoons, Baluchs, Punjabis and Sindhis amongst POWs repatriated from India .	100
767	पाकिस्तान द्वारा काश्मीर में बलूचिस्तान से आगे ईरान तक सड़क का बढ़ाना	Extension of Road in Kashmir beyond Baluchistan upto Iran by Pakistan	100
768	मैसर्स कोर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के अपने अंशदान का भुगतान न करना	Non-payment of the contribution to EPF by M/s. Kores India Ltd. . .	100
769	मैसर्स कोर्स इंडिया लिमिटेड के अस्थायी कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान	Break in Service of Temporary Employees of Kores India Limited . .	101
770	पूर्वी यूरोप से इस्पात और लोह मिश्रित धातुओं का आयात	Import of Steel and Ferro Alloys from East Europe . .	101

अता०प्र०संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
771	विदेशों में इंडिया सप्लाई मिशन	India Supply Missions in Foreign Countries	101
772	बेहतर औद्योगिक संबंध	Better Industrial Relations .	103
773	रक्षा मंत्रालय सचिवालय भवन में एक व्यक्ति का अनधिकृत प्रवेश	Unauthorised entry of a Man in Defence Ministry's Secretariat Building . .	103
774	राज्यों को कोयले की सप्लाई	Coal Supply to States . .	103
775	कोयले का उत्पादन और उसको कोयला खानों से ले जाने के लिये उपयोग में लाये जाने वाले परिवहन के साधन	Production of coal and Modes of Transport used in moving Coal from Coal Mines	104
776	रक्षा उत्पादन	Defence Production	105
777	विजयंत टैंक में इन्फ्रा रेड व्यूइंग उपकरण लगाना	Infra red Viewing Device for Vijayanta Tanks	105
778	गाजियाबाद में श्रम ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय	Regional Office of Labour Bureau at Ghaziabad	105
779	श्रम विभाग में इकनामिक इन्वेस्टीगेटर ग्रेड–1 के पद पर तदर्थ पदोन्नतियां	Ad hoc Promotions to Economic investigation Grade I in Department of Labour	106
780	श्रम ब्यरो में हिन्दी के प्रचार के लिये स्टाफ नियुक्त न करना	Non-appointment of Staff for propagation of Hindi in Labour Bureau	106
781	बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थापित योजना सम्बन्धी। कार्यकारी दल का प्रतिवेदन	Report of the working group on plan set up by Expert Committee on unemployment	108
782	छम्ब के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	Re-settlement of Chhamb Displaced persons	108
783	गणतंत्र दिवस समारोह के लिये टिकट	Tickets for Republic Day Parade .	109
784	सुजानपुर तीरा हिमाचल प्रदेश में एक सैनिक स्कूल की स्थापना	Setting up of a Sainik School at Sujanpur Tira, H.P.	109
785	सैनिक स्कूलों के कार्यकरण के बारे में समिति का प्रतिवेदन	Committee's Report on the working of Sainik Schools . . .	110

16 L S S/73—2

अता०प्र०संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
786	रक्षा उद्योगों को आरम्भ करने के लिये केन्द्रीय संगठन	Central Organisation for sponsoring Defence based industries . . .	110
787	मनाली-लेह सड़क का पूरा किया जाना	Completion of Manali-Leh Road	110
788	राष्ट्रीय छात्र सेना में पुनर्नियुक्त सैनिक कर्मचारी	Army personnel re-employed in the NCC	110
789	भारत के प्रधान मंत्री को कनाडा यात्रा के दौरान कनाडा के प्रधान मंत्री का उनके स्वागत के लिये न आना	Canadian Prime Minister not present to receive Indian Prime Minister during her visit to Canada	111
790	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में रेलगाड़ियों के पहियों का निर्माण किया जाना	Manufacture of railway wheels at Durgapur Steel Plant	111
791	उप-महाद्वीप में अनिर्णीत मामलों को हल करने के उत्तरदायित्व के बारे में अमरीकी राष्ट्रपति का वक्तव्य	US President's Statement regarding responsibilities to resolve outstanding issues in the sub-continent . .	112
792	रूरकेला इस्पात संयंत्र के उत्पादन लक्ष्य की प्राप्ति	Achievement of Target of Production of Rourklea Steel Plant . . .	112
793	लोहा और इस्पात में आत्मनिर्भरता	Self-sufficiency in Iron and Steel .	112
794	खोदे द्वारा रक्षा कर्मचारियों को सप्लाई की गई शराब	Liquor supplied to defence personnel by Khoday	113
795	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के मुख्यालय का नई दिल्ली में स्थापित किया जाना	Setting up of Headquarters of Steel Authority of India Ltd., New Delhi	113
796	गिरिडीह बिहार की अभ्रक खानों के कर्मचारियों में बेरोजगारी	Unemployment among workers of Mica Mines in Giridih, Bihar . . .	114
797	भिलाई और रूरकेला संयंत्रों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये कार्यवाही	Steps to improve the working of Bhilai and Rourkela Plants . . .	114
798	शिक्षित बेरोजगार महिलाएं	Educated Unemployed Women	115
799	स्टील रोलिंग मिल्स बनाने के लिये अमरीकी तकनीकी जानकारी	American Technical know-how for Fabrication of Steel Rolling Mills . .	115

अता०प्र०संख्या विषय U.S.Q.No.	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
800 नौकरियों की गारंटी के लिये राष्ट्रीय योजना	National Plan to Guarantee Jobs . .	116
14-12-72 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4379 तथा 29-3-73 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5165 के उत्तरों में शुद्धि करने वाले वक्तव्य	Statements correcting replies to U.S. Q. No. 4379 dated 14-12-72 and U.S. Q. No. 5165 dated 29-3-73 . .	116
हरियाणा और पश्चिम बंगाल में नागरिक स्वतंत्रताओं का कथित हनन	Re. Alleged suppression of Civil liberties in Haryana and West Bengal . .	118
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	121
संयुक्त राज्य अमरीका से ऊंची दर पर 45 लाख टन गेहूं खरीदने का भारत का कथित प्रस्ताव	Reported move by India to buy 4.5 million tonnes of wheat from the USA at exorbitant rates	121
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate .	121
श्री फखरूद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	122
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	123
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha .	125
होम्योपेथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Homoeopathy Central Council Bill as passed by Rajya Sabha	125
राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक	Presidential and Vice-Presidential Elections (Amendment) Bill	125
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय की अवधि बढ़ाया जाना	Extension of Time for presentation of Report of Joint Committee . .	125
एक सदस्य की नजरबंदी से रिहाई और कारावास	Release from detention and imprisonment of a Member . . .	126
(श्री जम्बुवंत धोते)	(Shri Jambuwant Dhote)	
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में	Re. Report of the Pay Commission	126
भारतीय खाद्य निगम के अनाज वसूली के कार्यों को गैर-सरकारी एजेंसियों को स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव के समाचार के बारे में	Re. Reported move for Transfer of Procurement function of FCI to Private Agencies	127

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अनुदानों की मांगें (उड़ीसा) 1973-74	Demands for Grants (Orissa) 1973-74	127
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	127
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	129
श्री सी० एम० सिन्हा	Shri C. M. Sinha	130
श्री वनमाली पटनायक	Shri Banmali Patnaik	131
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	132
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomange	132
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम	Shri S. D. Somasundram	133
श्री देवेन्द्र सत्पथी	Shri Devendra Sathpathy	134
श्री अनादिचरण दास	Shri Anadi Charan Das	134
श्री कुमार माझी	Shri Kumar Majhi	135
श्री अर्जुन सेठी	Shri Arjun Sethi	136
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	136
उड़ीसा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1973 पुरःस्थापित	Orissa Appropriation (No. 2) Bill, 1973 Introduced	140
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	140
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	141
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	141
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	141
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	142
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	142
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	142
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक	National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill	142
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	142
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	142
श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya	143
श्री नवल किशोर सिंह	Shri Naval Kishore Sinha	143
श्री के० एम० मधुकर	Shri K. M. Madhukar	145
श्री मूलचंद डागा	Shri M. C. Daga	145
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan	147
श्री के० सूर्य नारायण	Shri K. Suryanarayana	147
श्री ई० वी० विखे पाटिल	Shri E. V. Vikhe Patil	148
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम	Shri S. D. Somasundram	148
खंड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	150
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	150
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	151

लोक-सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 26 जुलाई, 1973/4 श्रावण, 1895 (शक)

Thursday, July 26, 1973/Sravana 4, 1895 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रक्षा प्रयोजन के लिये घोड़ों की खरीद हेतु एक उद्योमपति एवं सिनेमा मालिक द्वारा मंगोलिया का दौरा

*61. **श्री मधु दण्डवते:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा प्रयोजन के लिए घोड़ों की खरीद हेतु सेंन्ट्रल बम्बई के एक उद्योगपति एवं एक बड़े सिनेमा-घर के मालिक ने मंगोलिया का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां तो क्या उसे इस बारे में विशेष योग्यता प्राप्त हैं ।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मधु दण्डवते : क्या कोई श्री गोलचा मंगोलिया गए थे ? क्योंकि यदि वह गए होंगे तो पारपत्र लेकर ही गए होंगे यदि हां तो, इसके लिए उन्होंने क्या कारण बताए थे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि मंगोलिया कौन गया है या जाता है परन्तु जहां तक रक्षा कार्यों का संबंध है ऐसा कोई व्यक्ति सरकारी या गैर-सरकारी तौर पर वहां नहीं गया है और हमें किसी भी उद्योगपति की इस यात्रा की जानकारी नहीं है।

श्री मधु दण्डवते : यदि मंत्री महोदय को ऐसी कोई सूचना ही नहीं है तो वे कैसे कहते हैं कि वह (श्री गोलचा) सरकारी तौर पर वहां नहीं गए हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल: मैंने यह नहीं कहा था कि मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है । मैंने तो कहा है कि श्री गोलचा या कोई और उद्योगपति रक्षा कार्यों से मंगोलिया नहीं गया। हां वह किसी अन्य कार्य से वहां गये हो सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : Sir, he might have assigned this reason for his foreign visit to the External Affairs Ministry. As such, is it not the duty of the Minister to first ascertain the facts and then give a reply here ? Because, as you are aware a notorious smuggler managed to obtain a passport on the certificate of the Maharashtra Governor as being a Social worker. I am not levelling any allegation against the Defence Ministry, but it is possible that he went to Mongolia on this pretext.

Shri Vidya Charan Shukla : The reply has been given here after full enquiry and with full responsibility that no such person has visited Mongolia on any business connected with the Ministry of Defence.

कोयले का अधिकतम उत्पादन करने के लिए तथा इसका वितरण सुव्यवस्थित करने के लिये किए गए प्रयास

*62. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**

श्री रण बहादुर सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने कोयले का अधिकतम उत्पादन करने और इसके वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ताकि घरेलू उपभोक्ताओं, ईंटें बनाने वालों, लघु उद्योगों आदि को कोयला उचित मूल्य पर तथा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : आवश्यक उद्योगों की कोयला अपेक्षाओं की पूर्ति करने और कोयला संसाधनों का युक्तिसंगत और वैज्ञानिक ढंग से विकास करने की दृष्टि से प्राइवेट सैक्टर की दो इस्पात संयंत्रों की कुछेक ग्रहीत कोयला खानों को छोड़कर समस्त कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। 760 लाख टन के वर्तमान स्तर से 1978-79 तक 1430 लाख टन से अधिक तक कोयला उत्पादन शीघ्रता से वर्धित करने के लिए विनिधान योजनाएं बनाई जा रही हैं।

रेलवे घरेलू उपभोक्ताओं, ईंट दाहकों और लघु उद्योगों को कोयले के संचलन के लिए अधिक वैगन उपलब्ध करने हेतु विशेष प्रयास कर रही हैं। इन उपभोक्ताओं के लिए कोयले के ब्लाक रेकों में संचलन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकारों के संरक्षण के अंतर्गत समस्त देश में महत्वपूर्ण अवस्थितियों में अस्थायी गोदाम खोलने के लिए प्रायोजना का अनुसरण किया जा रहा है। कोयला खान प्राधिकारी ने कलकत्ता में अस्थायी गोदाम खोला है। इस संगठन और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का समस्त महत्वपूर्ण नगरों में सेवा केन्द्र खोलने का विचार है। सड़क द्वारा संचलन के लिए ट्रकों में 24 घंटे लदान करना स्वतंत्र रूप से अनुज्ञप्ति है। राज्य सरकारों को कोयले की कीमत में वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन कारवाई करने की सलाह दी जा रही है।

श्री धर्मराव अफजलपुरकर : यह अच्छी बात है कि सभी कोयला खानों का सरकारीकरण कर दिया गया है परन्तु इसके बाद छोटे उद्योगपतियों और दूसरों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं जबकि यहां बताया गया है कि पूंजीनिवेश की योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। मैं जानना चाहता हूं कि उत्पादन बढ़ा कर आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कितने मास अथवा वर्ष लगेंगे ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : मुझे छोटे उद्योगपतियों, उपभोक्ताओं और ईंट निर्माताओं को हो रही कठिनाइयों का ज्ञान है। इनके काम आने वाले कोयले की ढुलाई को रेलवे में अब तक कम वरीयता दी जाती रही है और अब मैंने उन्हें ढुलाई-कार्य तेज करने के लिए अनुरोध किया है।

जहां तक पूंजी लगाने का संबंध है इसमें समय लगेगा। हम उत्पादन क्षमता को दुगना करना चाहते हैं जिसमें पांच वर्ष लगेंगे। इस बीच हम स्थिति सुधारने के लिए सभी संभव प्रयास करेंगे ताकि अधिक समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

श्री धर्मराव अफजलपुरकर : बजट सत्र में रेल मंत्री महोदय ने अपेक्षित वैगन सप्लाई करने का बचन दिया था जबकि अभी कहा गया है कि रेलवे अधिक वैगन देने के लिए विशेष प्रयास करेगी। एक ओर वैगन विदेशों को भेजे जा रहे हैं जबकि देश में ही कई मंत्रालयों, विभागों और उद्योगों को वैगन उपलब्ध नहीं है--ऐसा क्यों है और रेल मंत्रालय कोई गंभीर प्रयास क्यों नहीं कर रहा है ?

श्री टी० ए० पाई : सरकारीकरण से पूर्व हम बिहार और बंगाल से 5800 वैगन भरकर लाते थे और तब खानों के मुहानों पर काफी कोयला जमा था--तब इतने वैगन भी काफी नहीं थे। सरकारीकरण के बाद मुहानों पर जमा कोयले की मात्रा में कमी हुई है और हम एक उच्च-स्तरीय समिति बनाने जा रहे हैं जिस में रेलवे बोर्ड के सदस्य (परिवहन) कोयले के प्रभारी उप-मंत्री आदि होंगे जो परिवहन की नियमितता को भी सुनिश्चित करेंगे।

श्री रण बहादुर सिंह : क्या सरकार को पता चला है कि सरकारीकृत कोयला खानों में उत्पादन कम होने का एक कारण उस करार का समाप्त हो जाना है जो भूतपूर्व खान मालिकों और छोटे ठेकेदारों के बीच हुए थे। क्या इसी कारण वहां उत्पादन पूरी तरह बन्द हो गया है।

श्री टी० ए० पाई : हो सकता है, यह भी कारण हो, परन्तु जनवरी से मई, 1973 का उत्पादन गत वर्ष की इसी अवधि के 308.5 लाख टन की अपेक्षा 335.2 लाख टन हुआ है जो अधिक ही है। हां यह हो सकता है कि गत वर्ष के आंकड़े सही न हों क्योंकि पहले खानों के लेखों में वास्तविक उत्पादन नहीं दिखाया जाता रहा। सरकारीकरण के बाद आंकड़े ठीक-ठीक दिखाये जाते हैं और उत्पादन बढ़ा ही है। हां यह हो सकता है कि उत्पादन मांग की अपेक्षा कम रहा हो।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister claims that neither the production has fallen nor there is wagon shortage. If this be so, why is coal in short supply and why have its prices gone up?

श्री टी० ए० पाई : हो सकता है कि पहले गैर-सरकारी क्षेत्र कोयले की ढुलाई सभी साधनों से करता हो, परन्तु अब रेलवे कोयले की ढुलाई बड़े-बड़े पिंडों के रूप में करने पर जोर दे रहा है। जोकि ढुलाई का अधिक वैज्ञानिक ढंग है। साथ ही मैंने रेलवे से कहा है कि ऐसा प्रबन्ध होने तक ढुलाई का काम ठप्प नहीं हो जाना चाहिए। मुझे आशा है कि इस समय दिखाई देने वाली सभी कमियां दूर कर दी जाएंगी।

श्रीमती ज्योत्सना चंदा : क्या सरकार को पता है कि आसाम आयल कंपनी, डिगबोई और आयल इंडिया को दुलियाजन में अपेक्षित कोयले की सप्लाई नहीं हो रही है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री टी० ए० पाई : इसका मुझे अभी पता लगा है और मैं देखूंगा कि यह ठीक हो जाये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मंत्री महोदय के उत्तर के संदंभ में मुझे यह बताना है कि उनके अनुसार दो खानों को छोड़कर सभी कोयला खानों को सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया था--ठीक नहीं है क्योंकि इसी विभाग के भूतपूर्व मंत्री के अनुसार संथाल परगना में कई रक्षित खानें सरकारी अधिकार में नहीं

ली गई। क्या वह इस संबंध में बताएंगे ? दूसरे, अच्छी किस्म के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए वह क्या कदम उठा रहे हैं। हमें पता चला है कि 32 गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। इन्हें बहाल करने के लिए वह क्या कर रहे है ?

श्री टी० ए० पाई : पहले प्रश्न के उत्तर में मैं तो इतना ही जानता हूं कि कि टाटा और इस्कों की रक्षित खानें ही छोड़ी गई हैं। दूसरे, मुझे पता है कि बिजली घरों को अच्छा कोयला अपेक्षित मात्रा में सप्लाई नहीं किया गया या किया जा रहा है। सरकारीकरण के बाद हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है और हमारा यही प्रयास होगा कि ठीक किस्म का कोयला विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाये (**व्यवधान**) जिन में रेलवे भी शामिल है।

श्री डी० एन० तिवारी : क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को कोयला उचित दरों पर देना सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था की है क्योंकि सरकारीकरण से पूर्व यह सस्ता था ?

श्री टी० ए० पाई : साधारण उपभोक्ताओं, भट्टों और लघु उद्योगों के काम आने वाले कोयले को कम प्राथमिकता देने से ही मूल्य बढ़े हैं। हमारा विचार था कि यह कोयला का बहुत थोड़ा प्रतिशत भाग है परन्तु इससे प्रभावित लोगों की प्रतिशतता बहुत अधिक निकली, अब मैं इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा कि इस प्रकार के कोयले की नियमित सप्लाई सुनिश्चित की जाये और मूल्य कम करने का यह भी एक उपाय है।

श्री दामोदर पाण्डे : क्या कोयला खानों के मुहानों पर 40 से 50 लाख टन कोयला काफी देर से जमा है क्योंकि वैगनों संबंधी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है ?

श्री टी० ए० पाई : यह सब कोयला तो वहां से हटाया जा चुका है। हमें सरकारीकरण के पहले 3 मास में 5800 वैगन मिलते रहे हैं।

श्री दामोदर पाण्डे : क्या मुहानों पर अब भी 40-50 लाख टन कोयला जमा है ?

श्री टी० ए० पाई : मुझे इस बारे में ठीक पता नहीं है, परन्तु इस ओर भी ध्यान रखा जाएगा।

Shri Madhu Limaye : Ferozabad, which is only 150 mile away from here, is a big bangle-manufacturing centre. I have received at least 50 telegrams and letters in this regard from there. I, therefore want to know whether coal supply to that place will save the people there from starvation ?

श्री टी० ए० पाई : निश्चय ही मैं सुनिश्चित करूंगा कि उनकी आवश्यकताएं पहले पूरी हों।

श्री एस० आर० दामाणी : उन्होंने कहा है कि कोयला कम मात्रा में सप्लाई हो रहा है जिससे उद्योगों की अर्थव्यवस्था प्रभावित है। अतः सभी उद्योगों, बिजली उत्पादन केन्द्रों और रेलवे को सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कब तक प्रबन्ध कर दिये जाएंगे ?

श्री टी० ए० पाई : सभी शिकायतें संकलित की जा रही हैं। बाद में देखा जाएगा कि सबसे अच्छा क्या हल निकल सकता है। यदि विशिष्ट समस्याओं का पता चले तो मैं बेहतर जान सकूंगा कि हमारी नीतियों का कैसा और कितना प्रभाव हुआ है और कहां-कहां परिवर्तनों की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि सभी उद्योगों की आवश्यकताएं पूरी की जाएं।

श्री के० एस० चावड़ा : क्या उन्हें पता है कि गुजरात में कोयले की बहुत कमी से वहां उद्योग बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो वहां कोयला समुचित मात्रा में सप्लाई करने के लिए क्या कदम वह उठाएंगे ?

श्री टी० ए० पाई : मैं गुजरात की आवश्यकता का अवश्य ही ध्यान रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : यही बात शेष राज्यों पर लागू होती है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना की गतिविधियां

*63. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री वी० मायावन :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के साथ लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी सैनिक गतिविधियां देखी गई हैं ; और

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि भारत के प्रति पाकिस्तानी रवैये में परिवर्तन हुआ है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत के साथ लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी सैनिकों की किसी प्रकार की असाधारण गतिविधियों की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) पाकिस्तान का कहना है कि वह अब भी भारत के साथ अपने मतभेदों को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सिद्धांतों पर अमल कर रहा है।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : मेरा प्रश्न हमारे एक मंत्री द्वारा दिये गये वकतव्य पर आधारित है।

अध्यक्ष महोदय : सीमा पर कोई गतिविधि नहीं है अतः कोई अनुपूरक प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : यह प्रसन्नता की बात है कि पाकिस्तान भारत के साथ मतभेद निपटाने के लिये पारस्परिक वार्ता के सिद्धान्त का वास्तविक रूप में पालन कर रहा है। क्या यह सच है कि चीन प्रशिक्षण तथा रखरखाव की सभी सुविधाओं सहित भारी बम ले जाने की क्षमता वाले बहुत बड़े-बडे टी० यू–18 जैट बमवर्षक सप्लाई कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से किस प्रकार सम्बद्ध है ?

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : समाचारों के अनुसार इन हथियारों से बम्बई और हैदराबाद जैसे दूरस्थ लक्ष्यों तक आक्रमण किया जा सकता है। यदि ऐसा है, तो सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या यह मूल प्रश्न से उठता है ?

अध्यक्ष महोदय : आप सीमा पर गतिविधियां सम्बन्धी कोई विशिष्ट प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : चीन से प्राप्त हो रही सहायता के कारण ही ये गतिविधियां हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : तब आप चीन से हथियारों की सप्लाई के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : क्या अमरीकी सहायता के कारण ये गतिविधियां हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर : मूल प्रश्न के पृथक भाग के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि कोई असाधारण गति विधियां नहीं हैं सरकार साधारण गतिविधियां किन्हें मानती है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उदाहरण के तौर पर सीमा पर गश्त लगाना सेना की सामान्य गतिविधि है। यह चलती रहती है। मैंने बताया है कि पाकिस्तान के साथ लगने वाली भारतीय सीमा पर कोई असाधारण गतिविधि नहीं देखी गई है।

नरेन्द्र कुमार सांघी : एक ओर मंत्री महोदय कहते हैं कि सीमा पर कोई असाधारण गतिविधि नहीं है। क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता नहीं है कि पाकिस्तानी सेना युद्ध स्तर कि तैयारी कर रही है, सीमा पर सड़कें बनाई जा रही हैं, बंकर और हवाई अड्डे बनाये जा रहे हैं और उन्हें चीन से सैनिक साज सामान प्राप्त हो रहा है? क्या उन्हें इस बात का भी पता नहीं है कि पाकिस्तानी मुजाहिद हमारी सीमा में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे जानवर उठा कर ले जा रहे हैं? क्या यह सीमा पर सामान्य गतिविधि है। आज़ाद काश्मीर के क्षेत्र में उस पार सैनिक दल बनाया जा रहा है। जब हमारे पास यह सब जानकारी है और जिससे हम बहुत अधिक क्षुब्ध हैं तो मंत्री महोदय ऐसा किस प्रकार कह सकते हैं कि सीमा पर कोई असाधारण गतिविधि नहीं है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : रक्षा उपायों में सुधार तथा बंकर आदि बनाना आदि सामान्य गतिविधियां हैं जो शान्ति के समय में भी चलती रहती हैं। इसी लिये यह बताया गया है कि भारत-पाक सीमा पर कोई असाधारण गतिविधि नहीं देखी गई है। जानवरों की चोरी तथा सीमापार तस्करी आदि का माननीय सदस्य ने जो उल्लेख किया है, ये बातें बहुत दिनों से चल रही हैं। हम इन्हें रोकने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्रकुमार सांघी : राजस्थान सीमा पर छोटी मोटी मुठभेडों में सीमा सुरक्षा बल के बहुत से सैनिक मारे गये हैं। क्या यह गश्त करने की सामान्य गतिविधि है? क्या आप ने इस ओर ध्यान दिया है?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहते हैं।

श्री समरगुह : क्या यह सच है कि रक्षा मंत्री के चंडीगढ़ के वक्तव्य के सम्बन्ध में इस आशय का समाचार दो, तीन कालम में प्रकाशित हुआ कि भारत के साथ पाकिस्तानी सीमा पर असाधारण गतिविधि हुई, यदि ऐसा है तो मंत्री महोदय ने पहले ही इसका खंडन क्यों नहीं किया? क्या मैं यह बात भी जान सकता हूं कि शिमला समझौते के समय से क्या भारत की पश्चिमी सीमा के साथ पाकिस्तानी सेना के जमाव में कोई वृद्धि हुई है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सरकार अपना मूल्यांकन बता चुकी है।··· (व्यवधान)

श्री समर गुह : दो-तीन कालम का वक्तव्य श्री जगजीवन राम जी के नाम से आया है श्री शुक्ल जी के नाम से नहीं श्री जगजीवन राम को इस बात का उत्तर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय यह बात कहते हैं कि कोई असाधारण गतिविधि नहीं है तो आप ऐसी स्थिति क्यों पैदा करते हैं कि उन्हें कहना पड़े कि असाधारण गतिविधि है उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया है ।

श्री समर गुह : दो-तीन कालम में प्रकाशित इस आशय के वक्तव्य को भारत में सभी ने देखा है कि पाकिस्तानी सीमा पर असाधारण गतिविधि देखी गई है। यह वक्तव्य श्री जगजीवन राम जी ने चंडीगढ़ से दिया है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सरकार के पास इस समय जो जानकारी है वह मैंने दी है। मैं फिर वही बात कहता हूं कि शान्ति काल में हमने सीमा पर कोई असाधारण गतिविधि नहीं देखी है। रक्षा मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है वे ही स्वयं उसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : मुझे इस समय चंडीगढ़ में दिया गया वक्तव्य याद नहीं है परन्तु पाकिस्तान की सैनिक शक्ति में नई वृद्धि के विषय में एक प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर मैंने स्वीकार के रूप में दिया था। जहाँ तक सीमा पर गतिविधियों का प्रश्न है कोई असाधारण गतिविधि नहीं पाई गई है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं मंत्री महोदय का ध्यान समाचार पत्रों के कुछ विशिष्ट समाचारों की ओर दिलाना चाहता हूं। एक समाचार जम्मू और काश्मीर सीमा के साथ साथ पड़ी हुई झोंपड़ियों में बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री टुकड़ियों के केन्द्रित होने के सम्बन्ध में है और दूसरा समाचार फीरोजपुर क्षेत्र में मई के अन्त में सीमा पर गोली चलने की धटना के विषय में है। क्या यह घटना पाकिस्तानियों के भारतीय सीमा में प्रवेश करने के कारण हुई, क्या भारतीय सीमा में प्रवेश करने की घटना को सामान्य गतिविधि माना जाएगा, और यदि ऐसा है, तो हमारे कितने लोग मारे गये ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इन सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल के सैनिक तैनात हैं और गश्त करते समय दूसरे प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने की छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। शान्ति के समय ये घटनाएं असाधारण नहीं हैं। माननीय सदस्य के विशिष्ट उदाहरण के सम्बन्ध में मुझे विशिष्ट जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Hon. Minister has claimed that there is no abnormal activity on the border causing danger. Now he has admitted the incidents of firing on the border with Border Security force. May I know whether it is a fact that there have been several incidents of firing between the Military forces of India and Pakistan on Poonch border in Jammu and Kashmir and Pakistanis are creating danger to Poonch Sector?

Shri Vidya Charan Shukla : So long as our borders are manned by Border Security force, the position is considered to be normal. In unusual circumstances Border Security Force is replaced by Military Forces and as I have said some minor firing incidents do take place. Some times Patrolling parties forget their track and intrusion takes place. These things are not abnormal and have been happening for a long time on Indo-Pak borders. Nothing abnormal has happened on our borders.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Hon. Minister has just now stated that there is no activity on borders. But now he says that firing has been there. It appears that firing is an ordinary matter for him. Mr. Speaker, Sir, I have to say that the Hon. Minister is misleading the House, he is concealing the facts. Is it normal if there is a clash on the border between our Border Security Forces and Pakistani Border Security forces?

Mr. Speaker : If you agree I can take you to the border with me. You will take skirmishes on the border as normal within three four days.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I have been to Jammu and Kashmir recently. If there is any firing, the House should be informed accordingly.

Mr. Speaker : I will have to take you to the borders.

ईरान द्वारा भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की सहायता करने के बारे में समाचार

*65. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार ने 1 जुलाई, 1973 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित इस प्रकार के समाचार देखे हैं जिन में कहा गया है कि यदि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करता है तो ईरान पाकिस्तान की सहायता करेगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, सरकार ने रेडियो ईरान से 30 जून को इससे संबंधित प्रसारण प्रेस रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) यह सुविदित है कि भारत ने कभी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया लेकिन अकारण आक्रमण से उसे अपनी रक्षा अवश्य करनी पड़ी है। यह भी उतना ही सुविदित है कि हमने पाकिस्तान के साथ अपनी सभी समस्याओं को द्विपक्षीय बात-चीत से तथा ताकत का इस्तेमाल किये बिना निपटाने का निश्चय कर रखा है। हाल में ईरान की अपनी यात्रा के समय मुझे यह आश्वासन मिला है कि ईरान, इस उप-महाद्वीप की सभी प्रमुख समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का उपयोग करेगा।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : राष्ट्रपति भूट्टो की ईरान की यात्रा के अवसर पर 8 मई, 1973 को जारी की गई पाकिस्तान की प्रेस विज्ञाप्ति से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान ईरान के शाह को पाकिस्तान की सुरक्षा की बहुत चिंता थी और उन्होंने ईराक में पाकिस्तानी राजदूत को यह निदेश जारी किये थे कि वह पाकिस्तान के लिये आवश्यक किसी भी सहायता के लिये दिन तथा रात सभी समय शाह से सम्पर्क रखें। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान पाकिस्तान को ईरान से कितनी राशि की तथा किस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई। अपने भूतकालिक अनुभवों के आधार पर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी ही परिस्थितियों में भारत सरकार ईरान से पाकिस्तान को कितनी राशि की तथा किस प्रकार की सहायता दिये जाने की आशा करती है ?

श्री स्वर्ण सिंह : गत दोनों युद्धों के दौरान पाकिस्तान को हथियारों के रूप में कितनी सहायता मिली इस सम्बन्ध में आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। यह पहले प्रश्न का उत्तर है। यदि पाकिस्तान

को किसी आगामी युद्ध में ईरान से कोई सहायता मिलती है तो वह किस प्रकार की होगी, मैं इस का अनुमान नहीं लगा सकता। इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विदेश मंत्री ईरान से पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता की राशि तथा प्रकार के बारे में सदन को सूचना नहीं दे सकते। परन्तु विश्वस्नीय सूत्रों से यह बात ज्ञात हुई है कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों में ईरान पाकिस्तान की सक्रिय रूप से सहायता करेगा।.

विदेश मंत्री से मेरा दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, हमारे विदेश मंत्री ने आशा व्यक्त की है उन्हें ईरान की उनकी यात्रा के समय आश्वस्त कराया गया है कि ईरान सभी समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिये पाकिस्तान पर अपना प्रभाव डालेगा। परन्तु आज के 'पैट्रियट' में एक समाचार प्रकाशित हुआ है जिसमें पैट्रियट के सम्बाददाता ने ईराक के विदेश मंत्री से अपने साक्षात्कार के पश्चात यह बताया है कि :–

> "श्री अब्दुल बकी ने आज यहां कहा की ईरान कि बड़े पैमाने पर सैनिक तैयारी से तथा सैन्टो के पुनः सक्रिय हो जाने से सामान्य रूप से इस क्षेत्र के सभी देशों की तथा विशेष रूप से भारत तथा ईराक की शान्ति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है"।

मैं इन समाचारों की ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ! उनकी यात्रा से केवल एक दिन पूर्व ईरान के शाह ने, प्रेस प्रतिनिधियों द्वारा अमरीका से प्राप्त हुए हथियारों के उपयोग की बात पूछे जाने पर, प्रश्न को टाल दिया था।

ईरान के विदेश मंत्री द्वारा व्यक्त की गयी शंकाओं तथा प्रेस प्रतिनिधियों को शाह ईरान द्वारा दिये गये टाल मटोल के उत्तर के सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह: जैसा कि सदन को पता ही है, हम ईराक से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं। कुछ सप्ताह पूर्व में स्वयं ईराक गया था वहां ईराक के विदेश मंत्री से फारस की खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, भारतीय उपमहाद्वीप की सामान्य स्थिति तथा दक्षिण एशिया की स्थिति के बारे में विचारों का आदान प्रदान बड़ा उपयोगी रहा। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ईरान तथा ईराक के बीच बहुत सी समस्यायें विवादास्पद हैं और मैं ईरान द्वारा बड़े पैमाने पर जुटाये गये हथियारों से उत्पन्न ईराक के विदेश मंत्री द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता को भली प्रकार समझता हूं ; अतः इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की प्रतिक्रिया को मैं भली प्रकार समझता हूं।

उन्होंने दूसरा प्रश्न यह पूछा है कि ईरान के शाह ने प्रश्न का उत्तर टाल दिया। प्रश्न का उत्तर टाल देने पर मैं क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता हूं।

श्री मुहम्मद खुदाबख्श : क्या उन्हें उनके साथी रक्षा मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि यदि ईरान भी पाकिस्तान की सहायता करता है तो भी भारत ईरान तथा पाकिस्तान के संयुक्त प्रयासों के लिये पर्याप्त से भी अधिक है ?

अध्यक्ष महोदय : आप उनका मत जानना चाहते हैं। यहां यह अनुपूरक प्रश्न किस प्रकार पूछा जा सकता है।

श्री पैन्यूली

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : क्या कुछ समय पहले प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया गया है कि आधुनिक हथियारों के उपयोग के बारे में ईरानी विशेषज्ञ पाकिस्तान की सेना को प्रशिक्षण दे रहे हैं! और यदि हां! तो क्या भारत सरकार ने ईरान सरकार से इसका कोई विरोध किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह असाधारण बात नहीं है कि एक देश के विशेषज्ञ दूसरे देश की सेना को प्रशिक्षण दें। इसमें विरोध करने की कोई बात नहीं है।

श्री बी० एम० रेड्डी : क्या इसके पीछे अमरीका का कोई हाथ है और क्या विदेश मंत्री ने हाल ही में अपनी चर्चा के दौरान ईरान के विदेश मंत्री से यह मामला उठाया था ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान को शस्त्र सप्लाई करने वाला प्रमुख देश है और वह ईरान से अच्छे खासे दाम वसूल करने की स्थिति में तथा साथ ही ईरान भी मुक्त मूल्य अदा कर सकता है। ब्रिटेन भी संभवतः ईरान को शस्त्रों की सप्लाई करेगा परन्तु उसके मूल्य सामान्य वाणिज्यिक मूल्य होंगे। आज विश्व में बहुत से सप्लायर हैं जो कि दाम देने वाले किसी भी देश को शस्त्र सप्लाई कर सकते हैं।

श्री बी० एन० रेड्डी : मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या सरकार को उस स्थिति के पीछे अमरीका का हाथ दिखाई देता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि अमरीका ईरान को शस्त्रों की बिक्री के माध्यम से संभवतः प्रमुख सप्लायर है और ऐसे कार्य करने के लिए कार्यवाही तो की ही जाती है।

Shri Ram Sahai Pandey : As has been stated by Shri Bhutto that Pakistan's and India's disputes are thousands years old; it is quite possible that she may be driven to attach India by this madness and only time can tell whether Iran would help them; but I want to know whether he had asked the Shah of Iran, when he met the Shah, about the basis of this provocation and also about Pakistan's purchasing of arms and ammunition from America particularly when America, China and Russia were getting closer? In view of our nearness to Iran, the House can very well have an apprehension that Pakistan would use those arms against India. I want to know as to what would be the attitude of Iran in case Pakistan attacks us?

Secondly, why arms and ammunitions are being collected there?

Mr. Speaker : You have yourself given the reply to that.

श्री स्वर्ण सिंह : मैं सभा को यह सूचित करूंगा कि यहां तक कि ईरान के शाहनशाह ने अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में तथा प्रेस-साक्षात्कारों में यह जाहिर करने का प्रयास किया है कि ईरान के पास जो हथियार हैं वो पाकिस्तान को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नहीं मिलेंगे जब तक कि स्वयं पाकिस्तान पर ही आक्रमण न हो जाये, और दूसरे, पाकिस्तान की अखण्डता को कोई खतरा पैदा न हो जाए जिसका अर्थ यही है कि यदि बलूचिस्तान तथा फ्रंटियर प्रोविन्स में ऐसी समस्यायें उत्पन्न हो जायें जिससे कि पाकिस्तान की अखण्डता को भारी खतरा पैदा हो जाये, तब ईरान इस स्थिति का सामना करने के लिये पाकिस्तान की सहायता करेगा।

दूसरे पहलू के बारे में, हमारी स्थिति बड़ी स्पष्ट है कि हम किसी भी देश के भीतरी मामलों में दखल नहीं देते और पाकिस्तान की अखण्डता को कोई खतरा पैदा हो, निश्चय ही वह भारत की ओर से नहीं होगा।

श्री आर० वी० स्वामिनाथन : मंत्री महोदय के इस उत्तर के संदर्भ में कि ईरान भारत और पाकिस्तान के मध्य शांतिपूर्ण समझौता कराने में अपनी सेवाओं का उपयोग करेगा; क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय ने अपनी हाल की ईरान यात्रा के दौरान इस संबंध में क्या धारणा बनाई है कि यदि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य कोई संघर्ष हुआ तो क्या ईरान अलग तथा निष्पक्ष रहेगा अथवा कि वह हस्तक्षेप करेगा? मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में वहां के लोगों तथा ईरान के शहनशाह का क्या मत है?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूं। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने कभी ये शब्द नहीं कहे हैं कि ईरान समझौता कराने में अपनी सेवाओं का उपयोग करेगा, क्योंकि शिमला समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान को अपने सभी मत-भेद परस्पर मिलकर तथा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने हैं। मैंने तो यह कहा है कि वे पाकिस्तान को अपना प्रभाव डालकर ही ये सुझाव दे कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने मत-भेद शांतिपूर्वक हल करे।

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये इस उत्तर के संदर्भ में रक्षा मंत्री द्वारा लन्दन में तथा अन्यत्र दिये गये इस आशय के वक्तव्य में कि पाकिस्तान की ओर से हमें शंका है क्योंकि ईरान बड़े पैमाने पर शस्त्रास्त्र खरीद रहा है और विदेश मंत्री के इस वक्तव्य में कि शस्त्रास्त्रों की इस खरीद से भारत को कोई डर नहीं है, परस्पर क्या तालमेल है?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझ से पूछिये तो इन दोनों वक्तव्यों में परस्पर कोई भेद नहीं है। मैंने यह कभी नहीं कहा कि हमें कोई शंका नहीं है। अतः इन वक्तव्यों में परस्पर भेद का तो कोई प्रश्न ही नहीं है. . .(व्यवधान)

श्री पटेल स्वयं रक्षा सचिव प्रतिरक्षा-सचिव रहे हैं। मैंने तो यह कहा है कि किसी पड़ोसी देश द्वारा बड़े पैमाने पर शस्त्रास्त्रों की खरीद निश्चय ही ध्यान देने योग्य बात होगी। यह संभव है कि हमें कुछ शंकाएं हों, परन्तु हमारा प्रयास यह भी है कि हम इन शंकाओं को यथासंभव कम करें जोकि इस प्रकार के आश्वासनों से ही हो सकता, जब तक कोई विशेष घटनायें न हों तब तक उक्त हथियार हमारे विरुद्ध प्रयोग में नहीं लाये जायेंगे तब हमें ऐसे ही आश्वासनों को प्राप्त करने को प्रयत्नशील रहना पड़ता है। मुझे तो रक्षा मंत्री और अपने वक्तव्यों में परस्पर कोई विरोध नहीं नजर आता। मैं तो पहले भी ऐसे कई वक्तव्य दे चुका हूं कि ईरान द्वारा इतने बड़े पैमाने पर शस्त्रास्त्रों की खरीद हमारे लिये समस्या खड़ी कर सकती है, और यही कारण है कि हमने ईरान से इस आशय से बात-चीत करने का निर्णय किया है कि वह हमें ऐसे आश्वासन दे जिससे कि हमारी उक्त शंकायें सही सिद्ध न हों। इस प्रकार यह तो बिल्कुल सीधी-सी बात है।

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय के वक्तव्य से देश में तथा यहां सभा में भी शंकायें पैदा होती हैं। उनके द्वारा प्राप्त इस आश्वासन की पृष्ठ भूमि में कि जब तक पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं होगा ईरान अपनी सेना तथा शस्त्रास्त्रों को पाकिस्तान की सहायता के लिये नहीं भेजेगा। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि वर्ष 1965 तथा 1971 में दोनों बार ही यद्यपि पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया था तो भी ईरान ने पाकिस्तान का ही पक्ष लिया था। दूसरे जहां तक पाकिस्तान की अखण्डता का प्रश्न है, संभव है बलुचिस्तान, फ्रंटियर क्षेत्रों अथवा सिंध में लोकतंत्रात्मक आंदोलन हों। या संभव है कल ही पाकिस्तान में सैनिक शासन हो जाये और पंजाब में सैनिक शासन के विरुद्ध लोकतंत्रात्मक आन्दोलन शुरू हो जाये। ऐसी परिस्थिति में, पाकिस्तान की अखण्डता के नाम में वे सेनायें तथा शस्त्रास्त्र हमारी सीमाओं पर आ जायें। क्या यह बात हमारी चिन्ता का विषय नहीं होगी? क्या मैं जान सकता हूं कि विदेश मंत्री महोदय का

ऐसा वक्तव्य देश को भ्रामक सुरक्षा-भावना में नहीं फंसाये रखेगा? क्या इससे हमारे उन मित्रों को परेशानी पैदा होगी जिनको हमारे साथ, ईराक, अफगानिस्तान गणतन्त्र तथा अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध हैं ? मैं इस संबंध में जानना चाहता हूं ।

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक भिन्न बात है कि उत्तरीय फ्रंटियर प्रोविन्स तथा बलूचिस्तान में ऐसी कुछ घटनायें या आन्दोलन हो जायें और उनमें वही के देशीय लोगों का हाथ हों । हम पाकिस्तान के उन भागों को ऐसे कोई भावनायें पैदा करने का कोई विचार नहीं रखते हैं । यदि पाकिस्तान में वहीं के लोगों द्वारा कोई मामले या आंदोलन खड़े होते हैं तो वह पाकिस्तान का अपना घरेलू मामला है और उसके अपने एककों और प्रदेशों का मामला है । ऐसी परिस्थितियों में यदि उन आंदोलनों को दबाने के लिए पाकिस्तान और ईरान के मध्य कोई करार होता है तो हमारा इससे कोई सीधा संबंध नहीं है । यह मामला दोनों देशों के बीच होगा और वे दोनों ऐसा कोई भी करार कर सकते हैं जिससे कि हम पर कोई प्रभाव न पड़े । अतः हमें इन बातों को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये और इस संबंध में किसी प्रकार के भ्रम के शिकार न हों । माननीय सदस्य का पहला प्रश्न बड़ा ही संबद्ध प्रश्न है । पहली बात तो यह है कि हमने ईरान सहित सारे विश्व को बता दिया है कि वर्ष 1965 तथा 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर कभी आक्रमण नहीं किया । इन दोनों अवसरों पर हमने अपनी ही रक्षा की थी । परन्तु यदि ईरान सार्वजनिक रूप से यह कहता है कि वह जब तक कि पाकिस्तान पर आक्रमण न हो वह किसी भी रूप में पाकिस्तान को कोई वचन नहीं देता तो हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिये तथा इस आश्वासन में मीन-मेख नहीं निकालनी चाहिये ।

श्री भागवत झा आजाद : प्रश्न बहुत स्पष्ट है । पहले पाकिस्तान हम पर आक्रमण करता रहा परन्तु हमेशा कहता यह रहा है कि हमने उस पर आक्रमण किया । क्या मंत्री महोदय ने ईरान के शाह से यह स्पष्टीकरण प्राप्त किया कि ऐसी स्थिति में ईरान क्या करेगा ? यही मेरा प्रश्न है ।

श्री भोगेन्द्र झा : वर्ष 1965 में यही बात हुई थी ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां किसी को झूठी सुरक्षा के स्वप्न दिखाने का प्रश्न नहीं है । निश्चय ही ऐसी कोई मन्शा हमारी नहीं है और मुझे विश्वास है कि हम अपनी अखण्डता तथा सुरक्षा को किसी भी खतरे से सुरक्षित रखने की अपनी क्षमता को सुदृढ़ करने का अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं ।

दूसरी बात यह है कि यदि पाकिस्तान के साथ यदि हमारा कोई संघर्ष हो जाये तब कौन यह निर्णय करेगा कि आक्रांता भारत है या नहीं । पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि 1965 तथा 1971 के युद्ध के समय ईरान ने यह कभी नहीं कहा कि वह पाकिस्तान को इसलिए सहायता कर रहा है क्योंकि इस पर आक्रमण किया गया है । उनका कभी भी यह दृष्टिकोण नहीं रहा । अतः, यदि अब ईरान कोई दूसरी नीति अपना लेता है तो फिर हमने देखना है कि वह नीति क्या होती है ।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है...

अध्यक्ष महोदय : वह बैठ जायें । वह अब और अन्य प्रश्न नहीं पूछ सकते । यह प्रश्नकाल है और इसमें वाद-विवाद अथवा तर्क-वितर्क नहीं किया जा सकता । इन दिनों में हम तीन या चार प्रश्न से अधिक नहीं कर पाये ।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं स्पष्ट करना चाहूंगा ताकि कोई संदेह न रहे, कि ईराक के साथ हमारी मित्रता सर्वविदित है और इसी प्रकार अफगानिस्तान से भी है ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या प्रश्न काल का सारा समय माननीय सदस्य को नीति स्पष्ट करने में ही लगा दिया जायेगा ? क्या हम सारा समय इसी बात पर लगा देंगे।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं तो सभा की प्रगति पर कार्य करता हूं। ईराक के साथ हमारी नीति में परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं है जबकि हम ईरान के साथ अपने संबंधों में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं।

Reports Re : Pakistan planted bugging devices in telephones of Indian Embassy in Islamabad

***67. Shri M. S. Purty :**

Shri Dhan Shah Pradhan :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received reports that Pakistan had planted American made bugging devices in the Telephones installed in the Indian Embassy in Islamabad to get inside information;

(b) if so, since when this tapping of telephones had been going on and how Government came to know about it; and

(c) the steps taken by Government to guard against such incidents in future?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Shri M. S. Purty : I wanted to know from the hon. Minister whether we have been maintaining contacts with our mission in Islamabad, about the war and whether there have been any break down in the telephone during this period and the same were got repaired by the Pakistani Mechanics for want of Indian Mechanics? Does it rule out the possibility that Pakistan might have installed, certain devices to overhear or tape our secret conversations?

Shri Surendra Pal Singh : I have already stated that we have received no reports of this nature.

All India convention of Bidi workers

***68. Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether an All-India Convention of Bidi workers was held at Bhopal in the last week of June;

(b) if so, whether the Convention adopted a resolution demanding uniform wage at the rate of Rs. 6 per thousand Bidis throughout the country and payment of bonus to the Bidi workers; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) . समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार, सम्मेलन ने 1,000 बीड़ी बनाने के लिए 6 रुपये की न्यूनतम मजूरी की मांग की थी।

(ग) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत बीड़ी मजदूरों की मजदूरी-दरें राज्य-राज्य में भिन्न-भिन्न हैं। विभिन्नताओं को कम करने के प्रश्न पर 17 जनवरी, 1973 को हुई राज्य श्रम मंत्रियों की बैठक में विचार किया गया था। तब यह तय हुआ था कि कुछ राज्यों/क्षेत्रों में पहले से प्रचलित उच्चतर मज़दूरी-दरों पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, 1000 बीड़ी बनाने की न्यूनतम मज़दूरी 3.25 रुपये प्रतिदिन (विविधताओं के साथ 3.50 रुपये प्रतिदिन तक) लाई जाय। राज्य सरकारों से तदनुसार आगे कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना की गई है।

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 ऐसे प्रत्येक कारखाने व प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें लेख वर्ष के किसी दिन 20 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित किये गये हों, और यह बीड़ी उद्योग पर भी लागू होता है।

Shri Ram Avtar Shastri : Lakh of Bidi workers and their dependents belong to a very poor class. Keeping this in view, I would like to know whether there is any relation between their wages of Rs. 3.25 or Rs. 3.50 and the present high prices and if not, whether Government propose to have a uniform set of regulations about the wage and service conditions of these workers in the whole country and if not, why not.

Shri G. Venkataswamy : A conference of Labour Ministers was held in Delhi in July, 1973 and the Labour Ministers of the States attended that conference. It was decided there at that the minimum wages in all the States should be uniform and that the minimum wages should be between Rs. 3.25 to Rs. 3.50 while explaining their respective difficulties the Labour Ministers of all the States had agreed to it. The Ministry of Labour has now written to all the States in this respect and has asked them to implement this decision forthwith.

Shri Ram Avtar Shastri : I have not got the complete reply to my question (*Interruptions*) I had asked whether there was any relation between the present high prices and the wages fixed by you. The hon. Minister has not replied to that. In addition to it I want to know, as you have referred to the Bonus Act, whether in any State, any factory owners pay bonus to their workers. If you are aware of it, please let us know the name of those States where the Bidi workers are given bonus, if not what action is being taken against such factories?

Shri G. Venkataswamy : As regards the matter of uniformity of wage and that of cost of living index the State Government are well aware of it. They can fix up minimum wages since the states may takes action as has been provided in Section 3 of 1948 Act. We are pursuing this matter for plugging up the discrepancies wherever found. Certain States *viz.* Andhra Pradesh, Madhya Pradesh etc. have not laid down the minimum wage of Rs. 3.25 we are pursuing them.

The hon. Member just now raised the question of bonus. The Bonus Act 1965 is automatically applicable to all the Bidi factories and the State Government authorities would implement it. The difficulty comes in the case where the workers roll Bidis at their home. We are making further efforts in this behalf also.

Shri Ram Avtar Shastri : The hon. Minister should have had the information about the states where Bonus Act is applicable to Bidi workers. Being a Labour Minister if he does not have that information, that is not going to produce good results.

Mr. Speaker : The question has already been replied to. Why do you then go so deep?

Shri Ram Avtar Shastri : I had asked the names of the States where Bidi workers are being paid Bonus. Let him state that or say that he does not have that information with him.

Shrimati Sahodra Bai Rai : Bidis are rolled in Saugar, Damoh and Jabbalpur in Madhya Pradesh but the workers get only Rs. 2/- as their wage. Why do they not get their wages at the rate of Rs. 3.50? May I know when they would be given that much wage? As regards bonus, he said that they do not get bonus. Only the wraper pasters and mixers get it, not to the artisans. Why is it so? May I know when would they get it? Also they should get their wages at the rate of Rs. 3.50. Pepole are dying of starvations there because of non-availability of employment. Let the hon. Minister state as to when the wages at the rate of Rs. 3.50 would be put into effect?

Shri G. Venkataswamy : It was decided in the Labour Minister's Conference that this should be given effect to from 1st July. I am not aware which of the states have implement it. I shall let you know whenever it is known. It was also decided that the wage would be revised again in 1974.

Shri Ishaq Sambhali : Is it a fact that in the Labour Minister's Conference the hon. Minister had admitted that he had fixed the rate of rolling of Bidis as Rs. 6/- per thousand. But after that, as is being said, the minimum wage has been fixed between Rs. 3.25 and Rs. 3.50. Are the Government aware that even today the rate of rolling of Bidis is Rs. 8/- per thousand in Gujarat and Rs. 6.75 per thousand in West Bengal? In view of that are the Government going back from their decision taken at the Labour Minister's Conference?

Shri G. Venkataswamy : There is no doubt that Rs. 6/- are being paid at several places in Maharashtra. And if you want information about these States I can give that. In Andhra it was Rs. 2/- to Rs. 2.65 till 1971; in Bihar it is between Rs. 2/- to Rs. 3/-...

Shri Ishaq Sambhali : My time will be exhausted in this. I am not asking that. I want to say that Rs. 6/- was fixed of the All India Labour Minister's Conference held at Bangalore whereas you stated that in January, 1973 at the Labour Minister's Conference held in Delhi it was fixed at Rs. 3.25 and Rs. 3.50. I want to know as to what happened to the decision arrived at Bangalore Session in respect of Rs. 6/- per thousand?

Shri G. Venkataswamy : As the hon. Member stated about the Labour Minister's Conference in 1972, it was the joint decision of Southern Labour Minister's but All India Labour Minister's Conference was held in Delhi and their decision I have told.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

'क्वेंचिग-कार' रेल इंजनों का देश में निर्माण आरम्भ करना

*64. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लोहा तथा इस्पात उद्योग अब 'क्वेंचिग-कार' रेलवे इंजन देश में ही बनाने की स्थिति में हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त इंजनों के देश में निर्माण से उनके आयात पर हमारी निर्भरता किस सीमा तक कम हो जायेगी ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) भारतीय लोहा और इस्पात उद्योग ने पहले ही अपनी नई तथा प्रतिस्थापन आवश्यकताओं के लिए देश में निर्मित 'क्वेंचिग-कार' रेलवे इंजनों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया है ।

(ख) देश में बने प्रत्येक संपूर्ण 'क्वेंचिग-कार' रेलवे इंजन से लगभग 12 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी ।

पाकिस्तान द्वारा शिमला करार का उल्लंघन

*66. **श्री शंकर राव सावन्त** :

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पाकिस्तान ने अब तक कितनी बार, किन-किन अवसरों पर तथा किस-किस प्रकार शिमला करार के उपबंध तथा भावनाओं का उल्लंघन किया है; और

(ख) प्रत्येक अवसर पर भारत की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया रही ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सरकार ने समय-समय पर पाकिस्तान का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया है कि उनके द्वारा निरन्तर भारत-विरोधी प्रचार करते रहना, युद्धबंदियों के मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाना तथा भारतीय वायु सीमा में वायुयान-उड़ानों के मामले को अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन परिषद् में फिर से शुरू कराने का प्रयत्न करना शिमला समझौता के अनुरूप नहीं है।

पाकिस्तानी युद्धबन्दियों पर व्यय

*69. **श्री एस० ए० गुरुगमत्तम** :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारत में रखे हुए पाकिस्तानी युद्धबंदियों पर अब तक कुल कितना व्यय किया है; और

(ख) युद्धबंदियों के शिविरों में उन्हें क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अभी तक किए गए संकलनों के अनुसार 31 मई, 1973 तक पाकिस्तानी युद्धबंदियों के साथ साथ सिविलियनों पर जो सुरक्षा अभिरक्षा में हैं, लगभग 21 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं।

(ख) युद्धबंदियों को जिनेवा समझौते के अनुसार भोजन, वस्त्र, आवास, अग्रिम वेतन, चिकित्सा तथा मनोरंजन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ।

वर्ष 1973-74 के दौरान इस्पात का प्रस्तावित आयात

*70. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार, कितना इस्पात आयात किया गया;

(ख) वर्ष 1973–74 के दौरान कितना इस्पात आयात किया जायेगा; और

(ग) राज्यों को इसके वितरण का तरीका क्या होगा ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) लगभग 10 लाख टन ।

(ग) आयात किए गए इस्पात का वितरण राज्यवार नहीं किया जाता है। आयात का विनियमन 1973–74 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार किया जाता है जिसकी घोषणा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 अप्रैल, 1973 को भारत के असाधारण राजपत्र में की गई थी।

विवरण

साधारण इस्पात का आयात

(लाख टन)

1969-70	3.45
1970-71	5.51
1971-72	10.86
1972-73 (अप्रैल-दिसम्बर)	7.26

किरकी एम्यूनिशन फैक्टरी में विस्फोट

*71. **श्री विक्रम महाजन :**

श्री समर मुखर्जी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 जून, 1973 को किरकी एम्यूनिशन फैक्टरी में एक विस्फोट हुआ था जिसमें चार मजदूर मारे गए; और

(ख) दुर्घटना का व्यौरा और उसके कारण क्या हैं और इस दुर्घटना के फलस्वरूप मरने वाले मजदूरों के निटकतम रिश्तेदारों को क्या मुआवजा दिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) विस्फोट 20-6-1973 को 13.55 बजे बिल्डिंग संख्या 555 के एफ-1 सेक्शन में हुआ था । विस्फोटक प्रेरकों को इस बिल्डिंग में रखा गया था । विस्फोट के कारणों की जांच करने के लिए एक जांच मण्डल की स्थापना के आदेश दे दिए गए हैं और उनकी कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है । प्रत्येक मृतक के परिवार को 3,100 रुपये राशि दी गई है । विस्तृत विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

प्रत्येक मृतक कर्मचारी के परिवार को दी गई वित्तीय सहायता इस प्रकार है:—

(1) शानी मेमोरियल निधि से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,000 रुपये ।

(2) आयुध फैक्टरी सहकारी साख समिति द्वारा प्रत्येक मृतक के परिवार को 1,000 रुपये ।

(3) श्रमिक कल्याण निधि से 100 रुपये ।

मृतकों के वैध उत्तराधिकारियों को कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम के अन्तर्गत ग्राह्य मुआवज़े की अदायगी के लिए भी 6-7-1973 को मंजूरी जारी कर दी गई है ।

उपर्युक्त वित्तीय सहायता के अतिरिक्त प्रत्येक मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाती है ।

डिगो गारसिया द्वीप में अमरीकी नौसैनिक तथा वायुसैनिक सर्विस स्टेशन की स्थापना

*72. **श्री डी० के० पंडा :**

श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने डिगो गारसिया द्वीप में नौसैनिक तथा वायुसैनिक सर्विस स्टेशन की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 1966 में संयुक्त राज्य और युनाइटेड किंगडम की सरकार के बीच डिगो गारसिया में एक हवाई पट्टी सहित नौसेना, वायुसेना और संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए करार हुआ था। 18 जून, 1973 को संयुक्त राज्य के रक्षा विभाग ने यह घोषणा की थी कि डिगो गारसिया का 'संचार केन्द्र' 23 मार्च, 1973 से चालू हो गया है।

(ख) 1965 से ही भारत सरकार ने डिगो गारसिया में अड्डा बनाने के निर्णय के लिए संयुक्त राज्य और यू० के० की सरकारों की बार-बार निन्दा की है क्योंकि इससे हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की सैनिक प्रतिद्वन्द्विता बढ़ सकती है। भारत का यह मत सुविदित है कि हिन्द महासागर शान्ति क्षेत्र रहे और बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता तनाव और उनके अस्तित्व से मुक्त हो।

कोक-भट्टी बैटरियों की खराब दशा का दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादन पर प्रभाव

*73. **श्री रोबिन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के उत्पादन पर वहां की कोक-भट्टी पर चलने वाली बैटरियों की खराब दशा का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इन बैटरियों के इतने शीघ्र खराब हो जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कोक ओवन बैटरियों की हालत खराब होने के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने की पहली कोक ओवन बैटरी दिसम्बर, 1959 दूसरी दिसम्बर, 1960 तीसरी मई, 1962 और चौथी अगस्त, 1967 में चालू की गई थी। आरम्भ में रख-रखाव ठीक न होने के कारण और बाद में श्रमिक अनुशासन हीनता के कारण बैटरियों को बार-बार तापीय झटके लगने से प्रथम तीन बैटरियों की हालत खराब हो गई। और बैटरी की मशीनों के ठीक हालत में न होने के कारण इनमें प्रायः खरावी आती रहीं और परिणामतः ओवन की पुशिंग नियमित रूप से नहीं हुई। भूत में अक्सर लगने वाले तापीय झटकों के कारण बैटरी संख्या चार में भी खराबी के चिन्ह दिखाई देने लगे। हाल में बैटरी में खराबी आई है और यह समझा जाता है कि यह खराबी गलत रूपांकन के कारण आई है।

(ग) नवम्बर, 1968 में प्रथम बैटरी को पुनर्निर्माण के लिए बन्द कर दिया गया क्योंकि यह समझा गया कि सामान्य किस्म की मरम्मत न तो पर्याप्त होगी और न ही मितव्ययी होगी। आधी बैटरी के अगस्त 1973 में तथा शेष आधी बैटरी के अक्तूबर, 1973 में चालू कर दिये जाने की सम्भावना है। बैटरी संख्या दो तथा तीन की बड़े पैमाने पर मरम्मत का कार्य हाथ में लिया गया है। अतिरिक्त आधी कोक ओवन बैटरी लगाने के पश्चात् इन दो बैटरियों का भी प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम-अनुसार पुनर्निर्माण करने की एक योजना बनाई गई है। जहां तक बैटरी संख्या चार का सम्बन्ध है बैटरी में आई त्रुटियों की ठीक-ठीक खराबियों का पता लगाने तथा उनके लिए उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए विशेषज्ञ इसकी जांच कर रहे हैं। इस बीच इस बैटरी की भट्टियों को और अधिक क्षति से बचाने के लिए अस्थाई उपाय किए गये हैं।

चीन द्वारा हाइड्रोजन बम का विस्फोट

*74. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री बयालार रवि :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने हाल ही में हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत को इससे उत्पन्न होने वाले खतरे का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) चीन ने 27 जून, 1973 को वायु मण्डल में एक अणु परीक्षण किया था ।

(ख) अणु हथियारों के निर्माण के सम्बन्ध में सरकारी नीति संसद में कई बार स्पष्ट की जा चुकी है । सरकार का विश्वास है कि परम्परागत हथियारों के आधार पर उपयुक्त सैनिक तैयारी करने पर हमारी सीमाओं की सुरक्षा अच्छी प्रकार से की जा सकती है ।

नये आप्रवास नियमों के अन्तर्गत भूतपूर्व आप्रवासियों को राजक्षमा प्रदान करने स ब्रिटेन सरकार द्वारा इन्कार किया जाना

*75. **श्री योगेन्द्र झा :**

श्री ज्योतिर्मय वसु :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार ने उन गैर-कानूनी प्रवासियों के लिये सामान्य राजक्षमा की घोषणा करने से इन्कार कर दिया है जो इस वर्ष जनवरी में आप्रवास सम्बन्धी नया अधिनियम लागू होने से पहले ब्रिटेन में बस गये थे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी हां ।

(ख) सरकार को आशा है कि ब्रिटिश अधिकारी उन बहुत से आप्रवासियों पर आप्रवासन अधिनियम, 1971 की व्यवस्थाओं को सहृदयता से लागू करेंगे जिससे कि इन आप्रवासियों को किसी अनुचित मानवीय कठिनाई का सामना न करना पड़े जो कि बहुत वर्षों से यूनाइटेड किंगडम में कानून को मानकर और समाज के उपयोगी अंग बनकर रहते आए हैं ।

भारत में बनी कारों के मूल्यों में वृद्धि

*76. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बनी कारों के मूल्यों में हाल ही में काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) तथा (ख) 1-7-73 से प्रीमियर प्रेसिडेंट कार का कारखाने से निकलते समय का खुदरा विक्रय मूल्य 223 रुपये और स्टेंडर्ड गेजल कार का मूल्य 127 रुपये बढ़ा दिया गया है। दोनों मामलों में वृद्धि खरीदे गए हिस्से-पुर्जों के मूल्य और प्रत्यक्ष मजूरी में वृद्धि तक सीमित है जिसकी अनुमति कार मूल्यों के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रख कर देनी पड़ी।

Strategic Hill Road on Nepal border

***77. Shri Chiranjib Jha :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether there is a scheme to construct a strategic hill road linking the big city Jamula, 70 Kilometres South of Nepal Tibet border of China; and

(b) if so, the reaction of Government of India thereto?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

कारखानों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान का भुगतान

*78. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सब कारखानों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा के विशेष अंशदान का भुगतान करना अनिवार्य है चाहे उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा की सुविधाएं उपलब्ध हैं अथवा नहीं; और;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) (श्रम और पुनर्वास मंत्री श्री रघुनाथ रेड्डी की ओर से) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, के अन्तर्गत आने वाले सभी कारखानों को 30-6-1973 तक नियोजक का विशेष अंशदान अदा करने के लिए, उसके अध्याय 5क के अन्तर्गत बाध्य किया गया। यह अध्याय 1 जुलाई, 1973 से वापिस ले लिया गया है। इस तारीख से, क्रियान्विति न किये गये क्षेत्र के नियोजकों को इस दायित्व से मुक्त किया गया है, जबकि ऐसे क्षेत्रों में, जहां इस योजना के अन्तर्गत लाभ उपलब्ध हैं, नियोजक अधिनियम की अनुसूची 1 में निर्धारित दरों पर अंशदान का भुगतान करते हैं।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा योजना देश में अपनी तरह की पहली योजना रही है। इसकी क्रियान्विति की पहली अवस्था में यह निर्णय किया गया था कि इस सामाजिक बीमा योजना के कार्यकरण से प्राप्त अनुभव के बाद इसे अधिकाधिक भौगोलिक क्षेत्रों में धीरे-धीरे विस्तृत किया जाये। यह योजना दिल्ली और कानपुर में पहले-पहल प्रारम्भ की गई। चूंकि नियोजकों के लिये श्रमिकों की मजदूरी का लगभग 4.5 प्रतिशत अपने भाग के अंशदान के रूप में अदा करना अपेक्षित था, इसलिये उन्होंने यह अभ्यावेदन किया कि इस योजना की भौगोलिक आधार पर क्रियान्विति करने से वे ऐसे क्षेत्रों के अन्य कारखानों के नियोजकों के मुकाबले में, जहां यह योजना क्रियान्वित नहीं हुई, प्रतियोगी असुविधा में रहेंगे। इसलिये इस अधिनियम को संशोधित किया गया और अध्याय 5क के अस्थाई उपबन्धों को लाया गया ताकि नियोजकों के भाग के अंशदान का भार समस्त भारत के

सभी ऐसे कारखानों में, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत आ सकते थे बंट जाएं। नियोजक के विशेष अंशदान का भुगतान इस प्रकार विनियमित किया गया कि जो क्रियान्विति किये गये क्षेत्र में थे उन्हें क्रियान्विति न किये गये क्षेत्र वालों से अधिक भुगतान करना पड़े। इस योजना के विस्तार से, हाल के वर्षों में और देश में इसके अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के एक बड़े भाग में इसका विस्तार करने से स्थिति बदल गई है और सरकार ने यह निर्णय लिया कि अध्याय 5क को वापिस लिया जाना चाहिए।

संयुक्त भारत-बंगलादेश पेशकश के प्रति पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

*79. **श्री नरेन्द्र सिंह :**

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त भारत-बंगलादेश घोषणा के स्पष्टीकरण के लिये अधिकारियों की बैठक के प्रस्ताव को दोहराते हुए पाकिस्तान ने जो पत्र भेजा है उसकी मोटी-मोटी बातें क्या हैं;

(ख) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या कोई उत्तर भेज दिया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) 23 जून, 1973 के अपने पत्र में श्री अज़ीज़ अहमद ने लिखा है कि अधिकारियों की बैठक में केवल पाकिस्तानी युद्ध-बन्दियों के प्रत्यावर्तन पर ही नहीं वरन् 17 अप्रैल, 1973 को जारी की गई भारत-बंगलादेश संयुक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित अन्य मामलों पर भी विचार किया जाएगा। भारत सरकार ने बराबर यह कहा है कि वह 17 अप्रैल, 1973 की भारत-बंगलादेश संयुक्त घोषणा के आधार पर पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से बातचीत करने को तैयार है। इस संयुक्त घोषणा में, पाकिस्तानी युद्ध-बन्दियों और नागरिक नज़रबन्दों, केवल उन्हें छोड़कर जिन पर गणप्रजातंत्री बंगलादेश सरकार अपराधिक आरोपों के लिए मुकदमा चलाना चाहती है, पाकिस्तान में जबरदस्ती रोके गए बंगालियों और बंगलादेश में रह रहे पाकिस्तानियों के एक साथ प्रत्यावर्तन द्वारा सभी मानवीय समस्याओं के हल के लिए दोनों देशों की सरकारों की तत्परता प्रकट की गई है।

(ग) बातचीत के लिए एक प्रतिनिधिमण्डल पाकिस्तान भेजने की सहमति व्यक्त करते हुए पाकिस्तान के पत्र का उत्तर भेजा गया है।

कोयला उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए भारत पोलैण्ड सहयोग

*80. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**

श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोयला उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए भारत-पोलैण्ड सहयोग का प्रस्ताव रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ?

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क), (ख) और (ग) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने पोलैण्ड की एक फर्म मैसर्स कोपेक्स के साथ एक समझौता किया है। यह समझौता भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करने के लिए तथा राष्ट्रीयकृत कोकिंग कोयला खानों के पुनर्निर्माण हेतु एक शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए किया है।

शक्यता प्रतिवेदन के अगले कुछ महीनों में प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।

Manufacture of T-25 Tractor in Madhya Pradesh

601. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether a firm in Madhya Pradesh is manufacturing T-25 Tractor; and

(b) if so, the location thereof and the number of tractors manufactured by the said firm every year?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) No firm in Madhya Pradesh is manufacturing T-25 tractors. M/s. Harsha Tractors Ltd. have been granted a licence to manufacture these tractors at Loni at Ghaziabad in Uttar Pradesh. They have yet to commence regular manufacture.

Statement by Lord Mountbatten for release of POWs in India

602. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Lord Mountbatten told the Members of the Indian Parliamentary Delegation that he was in favour of releasing the Pakistani Prisoners of War in India; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) & (b) There is no record available with Government of what Lord Mountbatten said in the course of a private meeting with three Members of our Parliament. The latter were alone with him. However, in his publicly expressed views on the subject of Pakistani POWs, he showed an awareness of the complexities of the issue, and said that it required simultaneous sorting out of other connected political and humanitarian issues by the Governments concerned.

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा निर्यात के लिये ढलवां लोहा रिलीज़ करना

603. श्री सी०के० जाफर शरीफ : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र ने मई, 1973 तक कितना ढलवां लोहा निर्यात के लिये रिलीज़ किया था; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान इसके कितने उत्पादन की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : बोकारो स्टील लि० ने मई, 1973 तक निर्यात के लिए 2,07,000 टन कच्चा लोहा दिया है।

(ख) चालू वर्ष में बोकारों इस्पात कारखाने में कच्चे लोहे का उत्पादन 7,57,387 टन होने की आशा है।

इस्पात का उत्पादन और मांग

604. **श्री वयालार रवि :**

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1973-74 में देश में इस्पात की आवश्यकता का अनुमान क्या है और देश में कुल कितने उत्पादन की सम्भावना है और इसका संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इस्पात के स्वदेशी उत्पादन में कमी हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) लोहा और इस्पात टास्क-फोर्स द्वारा इस्पात की मांग और उपलब्धि का अनुमान लगाने के लिए गठित किए गये योजना दल ने अनुमान लगाया है कि 1973-74 में इस्पात की घरेलू मांग लगभग 67 लाख टन होगी। वर्तमान संकेतों के अनुसार मुख्य इस्पात कारखानों का उत्पादन लगभग 50 लाख टन होने की सम्भावना है जैसा कि नीचे दिखाया गया है :—

	लाख टन
भिलाई	17.5
दुर्गापुर	6.7
राउरकेला	8.1
टिस्को	13.7
इस्को	4.1
	50.1

विद्युत् भट्टी एककों और दूसरे पुनर्वेलकों का उत्पादन 11.6 लाख टन होने की सम्भावना है।

(ख) इस वर्ष की प्रथम तिमाही में मुख्य इस्पात कारखानों का विक्रय इस्पात का उत्पादन लक्ष्य से काफी कम रहा है। बिजली की अत्यधिक कमी के कारण कोकिंग कोयला खानों और कोयला शोधनशालाओं में काम बहुत कम हुआ जिससे इस्पात कारखानों को पर्याप्त मात्रा में कोयला सप्लाई करने के लिए उपलब्ध नहीं हो सका। यह एक मुख्य कारण था जिससे इस्पात कारखानों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण रोलिंग के लिए कोक ओवन गैस की उपलब्धि पर प्रभाव पड़ा। भिलाई को छोड़कर बिजली की कमी के कारण दूसरे सभी इस्पात कारखानों के बेलन कार्यक्रम पर सीधा प्रभाव पड़ा। प्रथम तिमाही में मुख्य इस्पात कारखानों का विक्रय इस्पात का कुल उत्पादन इस तिमाही के लिए निश्चित किए गये लक्ष्य से लगभग 29.3 लाख टन कम हुआ है।

प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, त्रिवेंद्रम के कार्यालय के लिये भवन तथा कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

605. **श्री वयालार रवि :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री 22 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 413 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, त्रिवेन्द्रम के कार्यलय भवन और कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण-कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है:—

(क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने नई दिल्ली में हुई अपनी 5-5-1973 की बैठक में अन्तिम रूप से यह निर्णय लिया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा त्रिवेन्द्रम में पट्टम पलेस क्षेत्र में उपलब्ध किए गए भूमि के टुकड़े पर क्षेत्रीय कार्यालय का भवन तथा कर्मचारियों के लिए क्वार्टर भी निर्मित किए जाएं । तदनुसार, मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है । वास्तुकारों ने क्षेत्र का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया है और कार्यालय भवन और कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिए आरम्भिक नक्शे तैयार कर लिए हैं । जिनकी जांच की जा रही है । काम शुरू होने से भवन निर्माण में लगभग 2 वर्ष लगेंगे । इसलिए, भवनों के 1975 के अन्त तक तैयार होने की सम्भावना है ।

जुलाई, 1973 में पाकिस्तान वापस भेजे गए युद्धबन्दी

606. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ युद्ध-बन्दी जुलाई, 1973 में पाकिस्तान वापिस भेजे गए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) 11 जुलाई, 1973 को 363 बीमार और घायल युद्ध-बन्दियों को और 20 जुलाई, 1973 को एक युद्ध-बन्दी को करुणाजन्य कारणों के आधार पर स्वदेश वापस भेजा गया था ।

कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना (मैसूर) का कार्यकरण

607. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा जापानी और अमरीकी सहयोग के साथ प्रायोजित कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना (मैसूर) का कार्यकरण सन्तोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या जापान इस बारे में आगे सहयोग देने की स्थिति में नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) जापान के इस्पात कारखानों द्वारा पेलेट फीड स्लरी का आयात न करने के बारे में हाल में लिए गए निर्णय के कारण जापान और अमरीका की पार्टियों का सहयोग प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां पेश आई हैं। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि क्या जापान को सिन्टर फीड और पेलेट का निर्यात किया जा सकता है और इस पर क्या लागत आएगी और यह कहां तक मितव्ययी रहेगा।

ब्रिज एण्ड रूफ वर्कर्स यूनियन से ज्ञापन

608. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मेंसर्स ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंण्डिया) लिमिटेड, हावड़ा-1, को ठेका पद्धति द्वारा कर्मचारियों को शोषण करने के सम्बन्ध में ब्रिज एण्ड रुफ वर्कर्स यूनियन की ओर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से मुख्य मुद्दे उठाये गये हैं; और

(ग) सरकार ने कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

बिजली घरों के प्रबन्धकों के परामर्श से कोयले का मूल्य नियत करना

610. **श्री रण बहादुर सिंह** : **इस्पात और खान मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कोयले के मूल्य नियत करते समय बिजली घरों के प्रबन्धकों से परामर्श नहीं किया था हालांकि ये बिजली घर देश में सब से बड़े उपभोक्ता हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस बात को देखने के लिये बिजली परियोजनाओं के लिये, अपेक्षित इस्पात और सीमेंट उन्हें समय पर मिलता रहे, एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) (क) कोयले की कीमतें इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा निर्धारित नहीं की जाती हैं क्योंकि जुलाई, 1967 से कोयले की कीमतों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। वह कीमतें जिन पर कोयला बिजली घरों को आपूर्ति किया जाता है उन्हें कोयला उत्पादनों और बिजली घर प्राधिकारियों के मध्य परस्पर बातचीत से तय किया जाता है।

(ख) जून, 1973 में हुए राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्षों के सम्मेलन ने यह सिफारिश की है कि बिजली परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए इस्पात और सिमेंट की पर्याप्त और सामयिक आ-पूर्तियां सुनिनिश्चत करने की दृष्टि से केन्द्रीय जल और बिजली आयोग, इस्पात विभाग और औद्योगिक विकास मंत्रालय के संयोजन से स्थायी समिति स्थापित की जानी चाहिए।

नागालैण्ड में भूविज्ञान सर्वेक्षण

611. **श्री डी० पी० जदेजा** : : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड में कोई भूविज्ञान सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) क्या उक्त सर्वेक्षण का प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : : **(क) और (ख)** जी, हां । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा नागालैण्ड में 1390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सुव्यवस्थित भूवैज्ञानिक मानचित्रण किया जा चुका है । सर्वेक्षण द्वारा महत्वपूर्ण प्राप्तियों में नजीरा तथा झांजी—दिसाई कोयला क्षेत्रों में कोयला के प्राप्ति स्थल सम्मिलित हैं । मोको कचुगं जिले के लखूनी, और चंग की कोंग में कोयला लखना तालपुंग और पश्चिमी बिबूओ के समीप तेल स्त्राव तथा तेजु घाटी में पंचमी और कुरानी के समीप एसबैस्टास भी अवस्थापित किए गए हैं।

(ग) और आगे कार्यों में, जिन्हें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 1973–74 के अगले क्षेत्र कार्यक्रम में किए जाने की सिफारिश की गई है, मोकोकचुंग और कोहिमा जिलों में खनिज वाले क्षेत्रों का सुव्यवस्थित मानचित्रण नजीरा और झांजी-दिसाई कोयला क्षेत्रों में कोयले के लिए समन्वेशी व्यधन तथा तुएनसिंग जिले के राकफुर में मेग्नेटाइट, क्रोमाइट, निकल, कोबाल्ट खनिजीकरण के लिए विस्तृत मानचित्रण सम्मिलित हैं ।

भारतीय कार कम्पनी के सम्बन्ध में जांच

612. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :

श्री विरेन्द्र सिंह राव :

क्या **भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कार कंम्पनी ने अनेक अनियमित कार्य किये हैं।

(ख) यदि हां, तो यह अनियमितताएं किस प्रकार की हैं ;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्यों ने सरकार से मांग की है कि भारतीय जांच आयोग स्थापित किया जाए ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त प्रकार का आयोग स्थापित करने का है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) ; (क) तथा (ख) श्रीमान, भारी उद्योग मंत्रालय की जानकारी में कोई भी नहीं है ।

(ग) भारी उद्योग मंत्रालय से ऐसी कोई भी मांग नहीं की गई है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रधान मंत्री की युगोस्लाविया की यात्रा

613. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने जून, 1973 में युगोस्लाविया का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा के दौरान किन विषयों पर चर्चा हुई और उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) इस चर्चा में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर तथा आपसी हित के द्विपक्षीय मामलों पर विचार किया गया । प्रधान मंत्री की यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विराप्ति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल०टी०--5193/73]

प्रधान मंत्री की कनाडा यात्रा

614. **श्री एम० एस० संजीव राव :**

श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री की हाल की कनाडा यात्रा के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) क्या उनकी उक्त यात्रा के दौरान कोई समझौते सम्पन्न हुए और यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) प्रधान मंत्री की हाल की कनाडा यात्रा का परिणाम यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में सारांश में दिया गया है ; इसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । [ग्रंन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 5194/73]

(ख) जी, नहीं ।

श्रीनगर में एच० एम० टी० वाच फैक्टरी 3 की निर्माण प्रगति में विलम्ब

615. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर में एच० एम० टी 0 वाच फैक्टरी 3 के निर्माण कार्य में और उसे चालू करने में इस्पात, सीमेन्ट तथा ईस्पात बनाने के सामान की अनुपलब्धता जैसे परिहार्य कारणों से विलम्ब हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को पूरा करने के संम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ । कुछ सीमा तक ।

(ख) कारखाने का निर्माण लगभग 75% तक पूरा हो गया है और इस वर्ष के अंत तक काम समाप्त हो जाने की आशा है ।

मशीनी औजारों की आवश्यकता के बारे में सर्वेक्षण

616. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **भारी उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मशीनी औजारों की आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण न किये जाने के कारण तीसरी और चौथी योजनाओं में मशीनी औजार उद्योग के लिए कार्यकारी दल द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन गलत सिद्ध हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अधिष्ठापित क्षमता में हुई वृद्धि के प्रयोजनार्थ मशीनी औजारों की आवश्यकता के बारे में कोई उचित ब्यौरेवार सर्वेक्षण किया गया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रकार, आकार तथा मूल्यों में मशीनी औजारों की आवश्यकताओं का ब्यौरा पांचवी योजनावधि में आवश्यकताओं का अनुमान लगाते हूए तैयार किया जायेगा ।

नैवेली लिग्नाइट को हानि

617. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट को अब तक 22 करोड़ रुपये की हानि हुई है : और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) नेवेली लिग्नाइट निगम द्वारा 1971–72 वर्ष के अन्त तक उपगत की गई संचित हानि 45,85 करोड़ रुपए है । 1972–73 वर्ष में निगम को 12.64 करोड़ रुपये (अनंतिम) की हानि हुई। इस प्रकार 1972–73 वर्ष के अन्त तक उपगत की गई कुल हानि 58.50 करोड़ रुपए (अनंतिम) है ।

(ख) भारी हानियों के मुख्य कारण, लिग्नाइट का अपेक्षित मात्रा में खनन करने में कठिनाइयों के कारण, उपभोक्ता एककों, अर्थात् बिजली घर और ईष्टिकाकरण और कार्बनीकरण संयंत्र को लिग्नाइट की अपर्याप्त आपूर्ति है । उर्वरक संयंत्र के मामले में, अनेक प्रक्रिया और तकनीकी समस्याओं के कारण प्रतिष्ठापित क्षमता अभिप्राप्त नहीं की जा सकी ।

बजाज आटो लिमिटेड तथा आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड का विस्तार

618. **श्री सी० बी० एम० तिवारी :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजाज आटो लिमिटेड और आटोमोबाइल प्रोडक्टस आफ इंडिया लिमिटेड के विस्तार का मामला सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : मे० बजाज आटो लिमिटेड तथा मे० आटोमोबाइल प्राडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड दोनों को अपनी अपनी क्षमता प्रतिवर्ष 48,000 स्कूटर तक बढ़ाने के लिये लाइसेंस दे दिये गये है ।

भारत के आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के प्रयासों में भारत-कनाडा सहयोग

619. **श्री मधु लिमये :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रधान मंत्री की कनाडा यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई भारत–कनाडा विज्ञप्ति के इस वाक्य की ओर दिलाया गया है कि भारत के आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के प्रयासों में, खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा पोटाश सहित उर्वरकों की सप्लाई करके भारत-कनाडा सहयोग बढ़ाने के प्रश्न पर शीघ्रता से विचार करने पर सहमति प्रकट की गई ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने "आत्म-निर्भरता" शब्द की व्याख्या बदल कर इसका अर्थ "खाद्यान्नों, खाद्य तेलों आदि का आयात" लगा लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विज्ञप्ति में इस वाक्य को सम्मिलित करने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह वाक्य हमारी नीति के प्रतिकूल नहीं है ।

हिन्द महासागर के बारे में श्रीलंका के प्रतिनिधियों के साथ वार्त्ता

620. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन :**

श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जून, 1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "इंडिया, लंका डिफर आन ओसन इस्यू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है और विवाद का विषय क्या है ; और

(ग) क्या प्रधान मंत्री की उस देश की यात्रा के दौरान मतभेदों को हल किया गया था और उस समय दोनों प्रधान मंत्रियों द्वारा दोनों देशों के बीच कौन से अनिर्णीत प्रश्नों को हल किया गया था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) हिन्द महासागर के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है । इस सम्बन्ध में अब भी वही स्थिति है जो प्रधान मंत्री की श्रीलंका यात्रा की समाप्ति पर दिनांक 29 अप्रैल, 1973 को जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में बताई गई थी ।

हिन्दुस्तान ट्रैक्टर, बड़ौदा को सरकारी नियन्त्रण में लेना

621. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य में बड़ौदा स्थित हिन्दुस्तान ट्रैक्टर को नियन्त्रण में लेने का निर्णय किया है।

(ख) यदि हां, तो इस एकक को अधिकार में लेने के क्या कारण हैं ;

(ग) सरकारी नियन्त्रण से उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि होगी; और

(घ) क्या नियंत्रण में लेने के पश्चात् सरकार ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान ट्रैक्टर लिमिटेड के कारखाने में टैक्टरों का उत्पादन पूर्णरूप से बन्द हो जाने से सरकार ने 12-3-73 को कंपनी का प्रबन्ध अपने अधिकार में ले लिया और कम्पनी चलाने के लिये गुजरात एग्रो-इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन को अधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया है ।

(ग) और (घ). अधिकार में लेने से कम्पनी अपनी वित्तीय कठिनाइयों को दूर कर सकेगी और अधिकतम उत्पादन कर सकेगी । मामूली रूप में उत्पादन पुनः शुरू कर दिया गया है ।

तीसरा मजूरी बोर्ड और श्रमजीवी पत्रकारों को अन्तरिम सहायता

622. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जरनलिस्टस की कार्यकारी समिति ने यह मांग की है कि तीसरा मजूरी बोर्ड नियुक्त किया जाये और वेतनमानों में परिवर्तन होने तक श्रमजीवी पत्रकारों को अन्तरिम सहायता दी जाये ;

(ख) क्या सरकार को उन विभिन्न संकल्पों की प्रतियां मिल गई हैं जो उन्होंने 30 जून और 1 जुलाई 1973 को हुई अपनी बैठक में पास किये थे ;

(ग) यदि हां, तो उनमें किन विषयों का उल्लेख किया गया है ; और

(घ) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ की कार्यकारी समिति की बम्बई में 30 जून और 1 जुलाई 1973 को हुई बैठक में पारित किए गए प्रस्तावों का सार सदन की मेज़ पर रख दिया है ।

(घ) मज़दूर बोर्ड स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव श्रम और पुनर्वास मंत्रालय से सम्बन्धित हैं और मामले की जांच की जा रही है । दूसरे प्रस्ताव सूचना और प्रसारण मंत्रालय और [कंपनी कार्य विभाग से संबंधित हैं और उसकी प्रतियां उन्हें भेज दी गई हैं।

विवरण

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ की कार्यकारी समिति की बम्बई में 30 जून और 1 जुलाई, 1973 को हुई बैठक में पारित किए गए प्रस्तावों का सार

मजदूरी बोर्ड

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ की कार्यकारी समिति 1 जुलाई, 1973 को बम्बई में हुई बैठक द्वारा सरकार से यह साग्रह अनुरोध करती है कि वह श्रमजीवी पत्रकारों के लिए तीसरा मजदूरी

बोर्ड अविलम्ब गठित करे और समाचार-पत्र और समाचार अभिकरण स्वामियों को निर्देश दे कि वे मजदूरी दरों की पुनरीक्षा होने तक अपने कर्मचारियों को उपयुक्त अंतरिम सहायता प्रदान करें।

कार्यकारी समिति का यह मत था कि उद्योग में शान्ति और ऐक्य सुनिश्चित करने के लिए गैर-पत्रकार कर्मचारियों के मजदूरी ढाचे की भी साथ ही पुनरीक्षा करने के लिए उचित कार्यवाही की जानी चाहिए ।

स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ की कार्यकारी समिति की बैठक भारत सरकार से अपील करती है कि वह समाचार-पत्रों और समाचार अभिकरणों के विकेन्द्रीयकरण सम्बन्धी अपने प्रस्ताव को अविलम्ब कार्यरूप दे ताकि राष्ट्र के समाचार-पत्र स्वास्थ्य आधार पर बड़े उद्योगपतियों और अन्य निहित स्वार्थियों द्वारा थोपी गई बेड़ियों को काट कर उद्भूत एवं विकसित हो सकें।

समाचार अभिकरण

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ की कार्यकारी समिति की बैठक सरकार से मांग करती है कि वह राष्ट्र के प्रमुख समाचार अभिकरणों को सार्वजनिक निगमों में परिवर्तित करें ताकि उन्हें एकाधिकार वाले समाचार-पत्र ग्रुपों के असाधारण चंगुल से मुक्त किया जा सके। विदेशी समाचारों के भारत में और भारतीय समाचारों के विदेशों में प्रसारण के लिए सरकार को एक अलग निगम भी बनाना चाहिए । श्रमजीवी पत्रकारों और समाचार-पत्रों के कर्मचारियों को निदेशक-बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए ।

इस बैठक ने समाचार अभिकरण के प्रबन्धकों द्वारा अपने ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध जो मजदूर संघ कार्य-कलापों में सक्रिय भाग लेते हैं दमन-चक्र चलाए जाने की भर्त्सना की और वह यह चाहती है कि यह दमन अवश्य ही तुरन्त समाप्त होना चाहिए ।

मूल्य पृष्ठ अनुसूची

राष्ट्रीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ की कार्य समिति की यह बैठक भारत सरकार से अनुरोध करती है कि वह मूल्य पृष्ठ अनुसूची कानून को पुनर्जीवित करे जिससे मूल्य पृष्ठ अनुसूची को पुनर्जीवित करके और उसे संविधान की अनुसूची 9 के अधीन न्यायिक पुनरीक्षा की परिधि से बाहर रख कर समाचार-पत्र उद्योग के विभिन्न एककों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता सुनिश्चित हो सके ।

प्रेस परिषद्

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ यह मांग करता है कि भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ को कानून के अनुसार भारतीय प्रेस परिषद् में, जिसका 30-9-73 के बाद पुनर्गठन किया जाना है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए ताकि नई प्रेस परिषद् को भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संगठन का, जो कि भारत के श्रमजीवी पत्रकारों का एकमात्र प्रतिनिधि संगठन है, प्रामाणिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो ।

नवभारत

यह बैठक भारत सरकार से यह अनुरोध करती है कि वह इस समाचार-पत्र के मामलों की सी० बी० आई० द्वारा जांच का आदेश दे। जांच होने तक कम्पनी कानून प्रशासन को चाहिए कि वह समाचार-पत्र के प्रबंध-तंत्र में अपने निदेशक नियुक्त करे।

Manufacture of Scooter 'Rajhans'

623. **Shri G. P. Yadav:** Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) whether Government have issued a licence for manufacturing a new scooter Rajhans' in Uttar Pradesh; and

(b) if so, the annual anticipated production capacity of this scooter factory and the likely price of this scooter as also the date by which it will become available in the market ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddheshwar Prasad): (a) A licence for the manufacture of 'Rajhans' scooters is under issue to M/s. U.P. Scooters Ltd., Kanpur.

(b) The production capacity will be 24,000 per annum. The party expects to sell the scooter at an ex-factory price of Rs. 3194 excluding excise duty and other taxes. Trial production has already commenced.

अलवर (राजस्थान) में निर्मित स्कूटर के प्रारूप का निरीक्षण

624. **श्री नरेन्द्र कुमार सोंधी :** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलवर, राजस्थान में बनाये जाने वाले स्कूटर का प्रारूप जन, 1972 में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया था और क्या निरीक्षण अभी भी पूरा नहीं हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप पार्टी को औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो निरीक्षण कब तक पूरा हो जायेगा और प्रारूप के परीक्षण में इतना समय लगने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि इस बीच लाइसेंस दे दिया गया है तो फैक्टरी द्वारा उत्पादन कब प्रारम्भ किया जायेगा और स्कूटर का सड़क पर मूल्य 'क्या होगा' ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम ने अलवर (राजस्थान) में बनाये जाने वाले स्कटर के अग्ररूप का पहले-पहले ही परीक्षण कर लिया है और उसे सड़क पर चलने योग्य पाया गया है।

(ग) निगम द्वारा संयंत्र तथा मशीनों के आयात के लिये दिये गये आवेदन पर विचार किया जा रहा है। इस पर निर्णय हो जाने के पश्चात् औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। इस अवस्था में पहले ही यह बता सकना कि वाणिज्यिक उत्पादन कब होने लगेगा, संभव नहीं है। निगम ने अपनी परियोजना रिपोर्ट में यह वताया है कि उत्पादन-शुल्क, बिक्री-कर आदि को छोड़कर कारखाने, से निकलते समय का अनुमानित विक्रय मूल्य लगभग 2,630 रुपये होगा।

छोटी कार के निर्माण के लिए मारुति लिमिटेड को दिये गये आशय पत्र की अवधि का तीसरी बार बढ़ाया जाना

625. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लिमिटेड को छोटी कार निर्माण के लिए दिये गये 'आंशय पत्र' की अवधि तीसरी बार बढ़ाई गई है ।

(ख) यदि हां तो आशय पत्र की अवधि बढ़ाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि मारुति लिमिटेड ने अन्तिम स्वीकृति के न होते हुए केवल आशय पत्र के आधार पर ही छोटी कार का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) मे० मारुति लिमिटेड ने बताया था कि केवल आद्य-रूप का विकास करने के लिये आवश्यक पुर्जों की सप्लाई हेतु सुस्थापित संभरणकर्ता छोटे क्रयादेश नहीं लेना चाहते हैं । अतः कम्पनी ने सही बनावट और किस्म के पुर्जे तैयार करने हेतु मशीनी औज़ारों का डिजाइन बनाने और लगाने के लिए समय मांगा था ।

(ग) जी नहीं ।

महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर एक नौसैनिक स्कूल खोलने के बारे में प्रस्ताव

626. **श्री मधु दंडवते :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर मालवान पत्तन के निकट नौसैनिक स्कूल अथवा नौटिकल कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी नहीं श्रीमान ।

पाकिस्तानी विमानों के भारतीय क्षेत्र पर से उड़ान पर भारत द्वारा लगाये गये प्रतिबंध का मामला पाकिस्तान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में उठाने का निर्णय

627. **श्री मधु दण्डवते :**

श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी विमानों के भारतीय क्षेत्र पर से उड़ने पर भारत द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के मामले को पाकिस्तान ने अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन में उठाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह शिमला समझौते का उल्लंघन नहीं है; और

(ग) क्या सरकार ने शिमला समझौते के इस उल्लंघन पर पाकिस्तान सरकार का ध्यान दिलाया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यह शिमला समझौते के अनुरूप नहीं है ।

(ग)- सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया था और अब पाकिस्तान सरकार ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए अपनी इच्छा प्रगट की है । इस बीच अंतर्राष्ट्रीय सिविल विमानन संगठन के समक्ष प्रस्तुत पाक आवेदन पर विचार स्थगित है ।

भारत द्वारा ईराकी पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए ईराक के साथ समझौता

628. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**

डा० एच० पी० शर्मा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेहरान में इस आशय का वक्तव्य दिया गया है कि ईराक द्वारा हाल ही में रुस से प्राप्त किए गए मिग–21 लड़ाकू विमानों कों उड़ाने का ईराकी पायलटों को प्रशिक्षण देने हेतु वायु सेना के कुछ अधिकारियों को ईराक भेजने के बारे में भारत ने ईराक के साथ गुप्त समझौता किया है ; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस संम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट की है और यदि हां तो इस मामले का व्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 22 जून, 1973 के 'द वाशिंग्टन पोस्ट'' में प्रकाशित तेहरान की एक रिपोर्ट सरकार ने देखी है रिपोर्ट के अनुसार ईराक और भारत में गुप्त समझौता है और उसमें कहा गया है कि बगदाद में भारतीय वायु सेना का एक छोटा सा मिशन मिग लड़ाकू वायुयानों को उड़ाने के लिए ईराकी विमान चालकों को प्रशिक्षण दे रहा है ।

(ख) विदेश मंत्रालय के अधिकृत प्रवक्ता ने 22 जून, 1973 को इस विषय पर एक वक्तव्य दिया था जिसका पाठ सदन की मेज पर रख दिया गया है । ईराक से कोई गुप्त समझौता नहीं है और ईराक में भारतीय वायुसेना का केवल वही दल है जो 14 वर्ष पहले गया था और जिसकी संख्या हाल के वर्षों में घटी है ।

विवरण

भारतीय महासागर जिसमें अरब सागर और खाड़ी भी शामिल है, से संबंधित अपनी नीति को कई बार दुहराया गया है । हमारा विश्वास है कि यह क्षेत्र शांति का क्षेत्र होना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव, महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा अथवा सैनिक तीव्रता से मुक्त हो । हमारा हित इसी में है कि पारस्परिक हितों के आधार पर इस क्षेत्र के सभी राज्यों से हम मैत्रीपूर्ण तथा सहकारी सम्बन्धों का विकास करें । वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में इस के सभी राज्य के साथ हमारे व्यापारिक तथा आर्थिक सहयोग का विस्तार हुआ है ।

2. भारत के ईराक के साथ निकट के तथा मैत्रीपूर्ण संबंध है । हाल में आर्थिक, सांस्कृतिक वैज्ञानिक तथा अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के वीच सहयोग काफी बढ़ा है । हाल ही में तेल की खरीद के संबन्ध में एक समझौता हुआ है और इस वर्ष अप्रैल में सांस्कृतिक और वैज्ञानिक समझौते हुए । पिछले 14 वर्ष से ईराक में एक छोटा सा भारतीय वायु सेना का दल रहता आया है । वास्तव में पिछले कुछ

वर्षों से इसकी संख्या में कमी हुई है। ईराक और भारत के बीच कोई गुप्त समझौता नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारी मित्रता तथा सरकार का उद्देश्य किसी अन्य देश का विरोध नहीं है।

3. ओमान के साथ पारस्परिक रुप से हमारे वाणिज्यीय तथा सांस्कृतिक संम्बन्ध हैं और आपसी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भी हम अत्यंत इच्छुक हैं। तकनीकी क्षेत्र में भारतीय डाक्टर और तकनीशियन कई वर्षों से कार्य कर रहें हैं। सेना के कुछ विशेषज्ञ कुछ विशिष्टकार्य करने के लिए ओमान ठेके पर गये हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की लड़ाई के कार्य में नहीं लगा है। वे वहां तब तक रहेंगे जब तक उनकी उपस्थिति अपेक्षित होगी या जब तक वे प्रायोजनाएं समाप्त न हो जायं जिसके लिए वे भेजे गए हैं।

4. सनिक साज सामान की विक्रय संम्बन्धी हमारी नीति भी जाहिर ही है। विश्व के विभिन्न भागों में इस तरह की बिक्री केवल वाणिज्य की दृष्टि से की जाती है। यह सच नहीं है कि किसी देश से "नैट" की बिक्री के लिए कोई बातचीत हुई है अथवा उसके लिए क्रय आदेश प्राप्त हुए हैं।

5. जहां तक प्रशिक्षण का संम्बन्ध है हम बहुत से मित्र देशों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देते है। निमंत्रण पर हमारे प्रशिक्षण दल ठेके पर विदेशों में गए हैं। यह हमारी उस व्यापक नीति का अंश है जिसके अनुसार हम विकासशील देशों के साथ अपने अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं।

रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है और यह विशेष अभिप्राय से लिखी गई है।

भारत में युद्ध बन्दियों पर चलचित्र

629. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**
श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या पाकिस्तान ने आरोप लगाये हैं कि भारत ने जेनेवा समझौते का उल्लंघन किया है और पाकिस्तान युद्ध वन्दियों पर चलचित्र बनाया है ;

(ख) क्या पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि पहले तो भारत ने युद्धबन्धियों को नई बरदियां, बर्तन तथा अन्य वस्तुएं दी परन्तु चलचित्र की शूटिंग के पश्चात् वे वापस ले लीं ; और

(ग) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीं सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) : सरकार का ध्यान इन आरोपों की ओर आकर्षित किया गया है, जो कि नितांत निराधार हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री दूषण रोकने सम्बन्धी कन्वेंशन को प्रशासन चलाने के लिए एक नये निकाय का प्रस्ताव

630. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या समुद्री दूषण रोकने के सम्बन्ध में कन्वेंशन का प्रशासन चलाने के लिए अमरीका ने एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन-किन देशों ने सहयोग मांगा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : संयुक्त राज्य अमरीका ने सभी समुद्री दूषण कार्यों का समन्वयन व प्रशासन करने की दृष्टि से अंतर-सरकारी समुद्री परामर्शकारी संगठन के ढांचे में एक स्थायी निकाय बनाने का प्रस्ताव किया था । उक्त संगठन की परिषद् ने प्रस्ताव का समर्थन किया और संभावित कार्यों का अध्ययन करने, प्रस्तावित निकाय का गठन और कार्य सुनिश्चित करने के लिए एक तदर्थ कार्यकारी दल स्थापित कर दिया, जिस में अंतरिम नाम समुद्री पर्यावरण सुरक्षा समिति होगा । यह दल समिति की स्थापना से उत्पन्न होने वाली बजट एंव विधि संबंधी बातों पर भी विचार करेगा ।

इस तदर्थ कार्यकारी दल में अंतर-सरकारी समुद्री परामर्शकारी संगठन के सभी सदस्य आ सकते हैं, अर्थात्—अल्जीरिया, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, घना, यूनान, भारत, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, नार्वे, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ और संयुक्त राज्य अमरीका ।

इस कार्यकारी दल की पहली बैठक 23 जुलाई, 1973 को होगी ।

आन्तरिक उपभोग तथा निर्यात के लिये लोह अयस्क की मांग

631. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या योजना आयोग के कार्यकारी दल के अनुमानानुसार देश में आन्तरिक खपत तथा निर्यात के लिये पांचवी योजना अवधि के अन्त तक लौह अयस्क की कुल मांग लगभग 6.6 करोड़ मीटरी टन की होगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारी लौह अयस्क की खानें अनुमानित मांग उपलब्ध करा सकने में सक्षम हैं ; और

(ग) क्या नई खानों का पता लगाने के लिये अन्वेषण विंग निरन्तर प्रयास कर रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) :

(क) लौह धातु के टास्क फोर्स के लौह खनिज के योजना दल ने अनुमान लगाया था कि 1978-79 तक लौह खनिज की मांग 6.6 करोड़ टन हो जायेगी ।

(ख) ऐसी संभावना है कि देश की लौह खनिज की खानों से अनुमानित मात्रा उपलब्ध हो जाएगी ।

(ग) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन से देश के लौह अयस्क वाले क्षेत्रों का अन्वेषण करने के के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार करने को कहा गया है ।

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक संगठनों के कर्मचारियों के लिए बोनस

632. **श्री राजदेव सिंह** :

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरे वेतन आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक संगठनों के विभागीय कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस पर कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की आशा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) (क) और (ख) ये कर्मचारी बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 से वर्जित किए गए हैं। इस अधिनियम की धारा 32 (4) देखिए।

विशाखापत्तनम का नौसैनिक अड्डा

634. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम नौसैनिक अड्डे का विकास कार्य, जो तीन वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ था, निर्धारित समयावधि से पीछे चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विलम्ब के कारण प्राकृतिक हैं अथवा उसके लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी है ; और

(ग) क्या भविष्य में होने वाले और विलम्ब को रोकने के लिए कोई उपचारी उपाय किए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) देरी के कारण मुख्यता प्राकृतिक हैं जिनका पहले अनुमान नहीं लगाया जा सका ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

भारत बंगलादेश संयुक्त प्रस्ताव पर पाकिस्तान के साथ बातचीत

635. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले उनका विचार युद्धबंदियों, बंगलादेश में पाकिस्तानी तथा पाकिस्तान में बंगाली लोगों की त्रिपक्षीय स्वदेश वापसी के लिये भारत-बंगलादेश के संयुक्त प्रस्ताव पर बात-चीत करने के लिये जुलाई के दूसरे सप्ताह में इस्लामाबाद जाने का था और यदि हां, तो दौरे को अन्तिम रूप न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इसे कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोकिंग कोयला खानों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदम ।

636. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लेने के पश्चात् अधिकांश कोयला खानों में उत्पादन में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये कोकिंग कोयला खानों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) सरकार द्वारा खानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के पश्चात् कोकिंग कोयले के उत्पादन में मामूली कमी हुई है । उत्पादन में कमी के कारण बिजली की अपर्याप्त सप्लाई, बार-बार लोड का कम होना, इस्पात के माल की अनुपलब्धि, भूतकाल में खनन कार्य का कोई क्रम न होना जबकि अब खनन कार्य क्रमबद्ध ढंग से किया जाता है, रेत की अपर्याप्त उपलब्धि तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी न होना। कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी न होने का मुख्य कारण अर्न्तयूनियन प्रतिद्वन्दिता है ।

(ग) भारत कोकिंग के कोल लिमिटेड ने पहले ही सम्बन्धित अधिकारियों से पर्याप्त मात्रा में बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कहा है तथा आवश्यक मशीनों और समग्री, स्टोविंग के लिए रेत्न इत्यादि की प्राप्ति के लिए प्रबन्ध किए जा रहे है ।

भारत-बंगलादेश की संयुक्त पेशकश के सम्बन्ध में पाकिस्तान जाने के लिये सरकारी मिशन

637. **श्री एम० एस० पुरती :**

श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई ऐसा वक्तव्य दिया गया है कि पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव को यह सूचना दी है कि भारत-बंगलादेश की संयुक्त पेशकश के सम्बन्ध में भारत पाकिस्तान को एक सरकारी मिशन भेजने के लिए सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि, हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने 28 जून, 1973 को इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी है ।

(ग) सरकार को यह रिपोर्ट देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि पाकिस्तान का 23 जून का सन्देश नई दिल्ली में 24 जून को प्राप्त हुआ था और उस समय इस पर बंगला देश की सरकार के परामर्श से विचार हो रहा था । हमारे सरकारी प्रवक्ता ने इस स्थिति को स्पष्ट करने वाला एक वक्तव्य 28 जून को जारी किया था ।

हिन्द महासागर में प्रमुख शक्तियों के नौसैनिक बेड़ों का उपस्थित होना

638. **श्री एम० एस० पुरती :**

श्री समर गुहा :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्द महासागर में किन-किन बड़ी शक्तियों ने अपने नौसैनिक बेड़े रखे हुये हैं ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) ऐसी जानकारी है कि ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस और आस्ट्रेलिया हिन्द महासागर क्षेत्र में अपने नियन्त्रण के अधीन अड्डे की सुविधांए रखते हैं।

(ख) जैसा कि सदन में बार-बार बताया जा चुका है सरकार हिन्द महासागर क्षेत्र को तनाव तथा प्रतिद्वन्दिता से मुक्त रखना चाहती है। तथापि, महासमुद्र में विदेशी लड़ाकू जहाजों की गतिविधियों को रोकना अथवा उनमें दखल देना व्यावहार्य नहीं है।

U.S. Supplies of War Material in Pakistan

639. Shri M. S. Purty:
Shri Birender Singh Rao:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether U.S.A. has recently supplied some war materials to Pakistan;

(b) whether U.S.A. has supplied the said material to Pakistan under a guarantee that she will not use it against any other country; and

(c) if so, whether Government of India have urged upon U.S.A. not to supply such war material and if so, the outcome thereof?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh);

(a) Yes Sir.

(b) Pakistani aggression in 1965 and 1971 indicates that limitations imposed by the U.S. Government on the use of these arms have been ineffective.

(c) Government of India have consistently conveyed to the U.S. Government that supply of arms to Pakistan jeoparadizes the process of normalisation and adversely affects the chances of establishment of durable peace on the sub-continent. The Government of India continue to maintain this position and hope that the United States Government will refrain from supplying arms to Pakistan.

टोरान्टो (कानाडा) में प्रधान मंत्री के पास पहुंचने का प्रयास करने वाले व्यक्ति सम्बन्धी घटना की जांच

640. श्री एम० एस० पुरती :

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टोरान्टो (कनाडा) में 'आपको अपने गुनाहों के लिये भुगतना होगा' (यू विल पे फार यूर सिन्स) चिल्लाने वाले एक व्यक्ति ने सुरक्षा पंक्ति को तोड़ दिया था और हमारे प्रधान मंत्री के पास पहुंचने का प्रयास किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह व्यक्ति भारतीय साम्यवादी दल (एम० एस०) के एक नेता का 3 फुट लम्बा और 3 फुट चौड़ा फोटो वाला एक प्लेकार्ड लिए हुए था ; और

(ग) क्या सरकार ने कनाडा सरकार से इस मामले की जांच कराने का अनुरोध किया है और यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :(क) और (ख) यह मामला कनाडा के न्यायालय में विचाराधीन है और प्राधिकृत सूचना के मिलने में कुछ समय लगेगा ।

(ग) : हमने ओटावा स्थित अपने हाई कमीशन से कह दिया है कि मामले की समाप्ति पर वे शीघ्रातिशीघ्र विस्तृत विवरण दें ।

Arthur Butler Company, Muzaffarpur

641. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) whether even after taking over of Arthur Butler Company, Muzaffarpur by Government it has not been re-started so far;

(b) if so the reasons for delay; and

(c) the time by which Government propose to reopen it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (c) Based on the report of the Committee of investigation orders were issued on the 7th May, 1973 for taking over of the management of M/s. Arthur Butler & Co. (India) Ltd., Muzaffarpur (Bihar). Orders were simultaneously issued for appointment of an Authorised Controller for the above Company. But meantime one of the groups on the Board of Directors have obtained an ad-interim injunction order from Calcutta High Court. Steps are being taken to secure vacation of the injunction order.

Britannia Engineering Company, Mokameh closed down

642. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) whether the Britannia Engineering Company located at Mokameh in Patna District has been lying closed for several months;

(b) whether Government are considering the question of taking over the company; and

(c) if so, the time by which final decision is likely to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Yes Sir.

(b) and (c) The Committee of Investigation appointed to look into the affairs of M/s. Britannia Engineering Co. located in Mokameh in Patna has submitted its report. Decision is expected to be taken shortly.

भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से सेना की बैरकें तथा शिविरों का हटाया जाना

643. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल ने भारत से भारत-नेपाल सीमाक्षेत्र से सेना की अपनी बैरकें तथा शिविर को हटाने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं। 3 जुलाई, 1973 के 'टाइम्स आफ इन्डिया' में इस आशय की एक खबर छपी थी। यह खबर ग़लत थी और इसीलिए दूसरे दिन भारत सरकार के प्रवक्ता ने इसका खंडन कर दिया था।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार द्वारा भारत में एक सूचना केन्द्र खोलने के लिए अनुरोध

644. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**
श्री सरोज मुखर्जी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण वियतनाम की स्थाथी क्रान्तिकारी सरकार ने भारत सरकार से भारत में एक सूचना केन्द्र खोलने की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

ईरान को अमरीकी सैनिक सहायता और वहां से उसका पाकिस्तान मोड़ा जाना

645. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की सरकार ईरान को बड़े पैमाने पर सैनिक सहायता देने तथा ईरान की सैना को प्रशिक्षित करने के लिये सहायता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो ईरान को अमरीका से किस प्रकार के हथियार एवं उपकरण सप्लाई किये जायेंगे ;

(ग) क्या अमरीका से सप्लाई किये गये हथियारों को पाकिस्तान में भेज दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित कराने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं कि नये सैनिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत ईरान को सप्लाई किये गये हथियार एवं उपकरण पाकिस्तान न भेजे जायें।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) खबर है कि अमरीकी सरकार अगले कुछ वर्षों तक ईरान को 2 बिलियन डालर मूल्य के हथियार देगा। इस सौदे में आधुनिक सैन्य सामग्री का देना शामिल है जिनमें हवाई जहाज, हैलीकोप्टर, बखतरबंद चीजें तथा नौसेना उपकरण भी है।

(ग) हमारी सूचना के अनुसार, जिसमें पाकिस्तान से मिली अखबारी रिपोर्टें शामिल हैं कुछ हथियार और उपकरणों का स्थानान्तरण हो चुका है।

(घ) इस मामले को समुचित स्थानों में उठाया गया है।

युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा विश्व न्यायालय से शिकायत

646. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने युद्ध अपराधों के लिये पाकिस्तान युद्धबन्दियों पर प्रस्तावित मुकदमे के विरुद्ध विश्व न्यायालय से शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो शिकायत की मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 11 मई, 1973 को पाकिस्तान ने अंतराष्ट्रीय न्यायालय में एक आवेदन दिया जिसका शीर्षक था, "पाकिस्तानी युद्धबन्दियों पर मुकदमा---नर संहार अभिसमय के अधीन अधिकार क्षेत्र (पाकिस्तान बनाम भारत) ।" पाकिस्तान ने अन्तरिम उपायों के लिए भी अनुरोध किया । यह आवेदन पत्र नर संहार अभिसमय के अनुच्छेद नौ के अधीन दिया गया जिसके भारत और पाकिस्तान दोनों ही पक्षधर हैं । इस अनुच्छेद में, नर संहार अभिसमय से संबंधित विवादों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की व्यवस्था है किन्तु भारत ने अभिसमय का एक पक्षधर बनने के साथ ही यह अधिकार सुरक्षित रखा था कि इस संबंध में भारत की सहमति आवश्यक होगी ।

पाकिस्तान का कहना यह है कि चूंकि युद्धबन्धियों द्वारा किए कार्य पाकिस्तानी प्रदेश में किए गए थे अतः इस प्रकार के नर संहार संबंधी किन्हीं भी आरोपों के लिए मुकदमा चलाने का वही एकमात्र अधिकारी है । इसलिए पाकिस्तान ने, अन्य बातों के साथ साथ, न्यायालय से यह अनुरोध किया कि वह यह निर्णय दे कि उन 195, या जितने भी हों, पाकिस्तानी राष्ट्रिकों पर, जो इस समय भारत की कैद में हैं और जिन पर पाकिस्तान के प्रदेश में नर संहार करने के आरोप हैं, मुकदमा चलाने का एक मात्र अधिकारी पाकिस्तान है । उनकी रक्षा के लिए अन्तरिम उपाय करने का अनुरोध करते हुए पाकिस्तान ने, अन्य बातों के साथ साथ इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करने की न्यायालय से प्रार्थना की थी :

"कि उन व्यक्तियों को, जो भारत की कैद में हैं और जिन पर तथा कथित नर संहार के आरोप लगाए गये हैं, मुकदमा चलाए जाने के लिए तब तक "बंगलादेश" को हस्तान्तरित न किया जाए जब तक कि न्यायालय द्वारा पाकिस्तान के इस दावे पर निर्णय नहीं हो जाता कि इस सबंध में पाकिस्तान ही एक मात्र अधिकारी है और यह कि इस संबंध में अन्य किसी सरकार या प्रधिकारी को कोई अधिकार नहीं हैं ।"

पाकिस्तान द्वारा मुकदमा दायर करने की सूचना मिलने पर भारत सरकार ने न्यायालय को तीन पत्र भेजे जिनमें अन्य बातों के साथ साथ यह भी कहा गया था कि नर संहार अभिसमय में हमारे रक्षित अधिकार को देखते हुए न्यायालय भारत सरकार की स्पष्ट स्वीकृति के बिना वैध रूप से इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता । इसके फलस्वरूप भारत सरकार ने मौखिक सुनवाई के समय न्यायालय में उपस्थित न होने का निश्चय किया । अब न्यायालय ने पाकिस्तान के अन्तरिम उपायों संबंधी अनुरोध पर अपना आदेश दे दिया है जिसमें उसने अन्तरिम उपायों का निरूपण करने से इनकार कर दिया है और अधिकार-क्षेत्र के प्रश्न पर दस्तावेज दाखिल करने के लिए आगे की समयावधि निश्चित की है ।

खेतिहर श्रमिकों को मजदूर संघों के अधिकार प्रदान करने के लिए विधान

647. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतिहर श्रमिक, जो देश के कुल श्रमिकों का एक चौथाई हैं, वर्तमान मजदूर संघ विधियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गये हैं।

(ख) क्या उनके हितों की रक्षा करने वाली विधियों के अभाव में खेतिहर मजदूरों का शोषण किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) मजदूर संघ अधिनियम, 1926 कृषि-श्रम को अपनी परिधि से बाहर नहीं रखता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 क्रमशः वाणिज्यिक आधार पर चलाए जा रहे कृषि-फार्मों और विशिष्ट बागानों में लगे हुए कृषिक श्रमिकों पर लागू होते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषिक श्रमिकों पर भी लागू होता है। फिलहाल कृषिक-श्रमिकों के लिए नए विधान बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

युगांडा से निकाले गये भारतीय ब्रिटिश और युगांडा पासपोर्टधारी उन व्यक्तियों की संख्या जिनको आपात प्रमाण पत्र दिया गया है

648. श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युगांडा से अब तक वापस भेजे गये उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो भारत में पहुंच चुके हैं ; और

(ख) उनमें से भारतीय ब्रिटिश तथा युगांडा के पासपोर्टधारी उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको भारतीय उच्चायोग द्वारा आपात प्रमाणपत्र दिये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) लगभग 5,195 व्यक्ति भारत आए हैं। इनमें से 4,129 भारतीय पासपोर्ट धारक थे ; यू० के० पासपोर्ट धारक लगभग 457 थे, और अनिश्चित राष्ट्रीयता के आपात प्रमाण पत्रों/शपथ पत्रों के आधार पर यात्रा करने वालों की अनुमानित संख्या 609 थी।

इसके अलावा 3,000 (अनुमानित) यू० के० पासपोर्ट धारकों को प्रवेश करने दिया गया है जिनके पास यू० के० में प्रवेश के प्रमाण पत्र थे।

देश में एल्युमिनियम की कमी

649. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बी० सी० ग्रेड के एल्यूमीनियम की बहुत कमी है ;

(ख) क्या इसका आयात किया जाता है ; यदि हां, तो वर्ष 1971-72 और 1972-73 में आयात की मात्रा कितनी कितनी है ; और

(ग) इसका आयात किस ऐजेन्सी के माध्यम से किया जा रहा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) विद्युत आपूर्ति में रुकावटों के कारण देश में ऐल्यूमिनियम के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परिणामतः इस समय इ० सी० ग्रेड ऐल्यूमिनियम का कुछ अभाव हो गया है।

(ख) 1971-72 के दौरान, 11,645 टन ई० जी० ग्रेड सिल्लें/तार छड़ें आयात की गई थी। तत्पश्चात् ई० सी० ग्रेड ऐल्यूमिनियम का कोई आयात नहीं किया गया।

(ग) ई० सी० ग्रेड ऐल्यूमिनियम, भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड के मध्यम से आयात हेतु "मारणीबद्ध" मदों की सूची में सम्मिलित है ।

सरकारी क्षेत्र के पास उपलब्ध अतिरिक्त इस्पात को गैर-सरकारी उद्योगों को देना

650. श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के पास इस्पात का अत्याधिक स्टाक जमा हो गया है जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत इंजीनियरिंग उद्योग को अत्याधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड के अध्यक्ष ने कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के पास उपलब्ध अतिरिक्त इस्पात को गैर-सरकारी क्षेत्र को देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) मार्च, 1973 में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के इस्पात के विभिन्न वास्तविक उपभोक्ताओं की माल की सूचियों के बारे में एक विस्तृत अध्ययन कराया गया था। इस प्रकार प्राप्त हुए आंकड़ों के आधार पर, इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा आबंटन करते समय उपयुक्त समंजन द्वारा असंतुलन को ठीक करने की कार्यवाही की गई है।

ईरान का अमरीका से हथियार खरीदना

651. श्री विक्रम महाजन :
श्री समर गुहा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान ने अमरीका से बहुत बड़ी संख्या में हथियार तथा अन्य युद्ध सामग्री खरीदी है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि ईरान ने पाकिस्तान के साथ एक युद्ध सन्धि की है और पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने का आश्वासन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमान्। ईरानी सशस्त्र सैनाओं के वर्तमान हथियार तथा उपस्कर अधिकतम अमरीका में बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त ईरान ने अमरीका से बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री खरीदने का प्रस्ताव किया है।

(ख) पाकिस्तान और ईरान के बीच किसी युद्ध-करार की औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है । तथापि, पाकिस्तान और ईरान की सशस्त्र सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सहित काफी सुरक्षा सहयोग है । हाल ही में ईरान के शाह ने कहा है कि यदि पाकिस्तान पर आक्रमण हुआ तो ईरान उसकी सहायता करेगा ।

(ग) हमारे रक्षा उपायों की योजना बनाते समय अपनी सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले सभी सम्बन्धित गतिविधियों पर विचार किया जाता है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी

652. **श्री विक्रम महाजन :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 22 मई, 1973 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में "रूरल अनएम्पलायमेंट पोजीशन वर्सन" शीर्षक से प्रकाशित इस आशय का समाचार देखा है कि कृषि सम्बन्धी कार्यकारी दल के प्रतिवेदन के अनुसार चौथी योजना के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की स्थिति बुरी तरह बिगड़ जाने की पूरी संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ओ० वेंकटस्वामी) : (क) : जी हां ।

(ख) बेरोजगारी संबंधी समिति द्वारा अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देते समय उसके द्वारा स्थापित किए गए कृषि संबंधी कार्यकारी दल की रिपोर्ट को ध्यान में रखा गया । 15-5-73 को प्रस्तुत की गई समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का अध्ययन करने और सरकार को सुझाव देने के लिए योजना आयोग द्वारा एक अंतमंत्रालय कार्यकारी दल पहले ही गठित किया जा चुका है ।

कोयला और माल डिब्बों की अपर्याप्त सप्लाई के कारण इस्पात के उत्पादन तथा लाने ले जाने पर प्रतिकूल प्रभाव

653. **श्री डी० के० पंडा :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता ;

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले और माल डिब्बों की अपर्याप्त सप्लाई के कारण सरकारी क्षेत्र में बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन तथा उसे लाने ले जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो कोयला और मालडिब्बों की समय पर तथा पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) कोयला खानों और कोयला शोधन शालाओं को बिजली की सप्लाई में कमी के कारण सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को पर्याप्त मात्रा में कोयला सप्लाई नहीं हुआ और इस तरह इस्पात पिण्ड और विक्रेय इस्पात के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। भिलाई को छोड़कर बिजली की सप्लाई में कमी का इस्पात के सभी कारखानों के बेलन कार्यक्रमों पर सीधा प्रभाव पड़ा है। यद्यपि गाड़ियों के परिचालन सम्बन्धी कारणों से यदा कदा प्रतिबन्ध लगाये जाते रहे हैं तथापि इन तीन महीनों में पिछले वर्ष के इन्हीं तीन महीनों के मुकाबले में हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानों ने कुल मिलाकर अधिक मात्रा में विक्रय इस्पात भेजा है और इससे भी अधिक मात्रा में माल भेजने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) दामोदर घाटी निगम तथा पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के विद्युत् बोर्डों से बिजली प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में बिजली की कमी को देखते हुए इन अधिकरणों से कोकिंग कोयला खानों, कोयला शोधन शालाओं और इस्पात कारखानों को उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर बिजली देने के लिए विशेष रूप से कहा गया है। यदि ये अभिकरण सहायता न देते तो स्थिति कहीं ज्यादा खराब होती। मानसून के आ जाने से बिजली के उत्पादन में सुधार होने की आशा है जिससे कोयले के उत्पादन और कोयला साफ करने तथा इस्पात के उत्पादन में सुधार करने में सहायता मिलेगी। दामोदर घाटी निगम तथा राज्य विद्युत बोर्डों के साथ सतत सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है ताकि बिजली की सप्लाई समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में हो सके। रेलवे के साथ भी लगातार सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है ताकि इन कारखानों से इस्पात के और अधिक प्रेषण के लिए डिब्बे मिल सकें।

तेहरान में हुई सैन्टो की बैठक में पाकिस्तान द्वारा भाग लेना

654. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से सेन्ट्रल ट्रीटी आरगेनाईज़ेशन (सैन्टो) में फिर से रुचि लेना आरम्भ कर दिया है और उसने हाल ही में तेहरान में हुई 'सैन्टो' की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने ऐसे रक्षा समझौतों का हमेशा विरोध किया है।

दामोदर घाटी निगम से अपर्याप्त बिजली की सप्लाई के कारण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को हुई हानि

655. **श्री रोबिन सेन :**
श्री राम भगत पासवान :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम से अपर्याप्त बिजली की सप्लाई के कारण दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को इस वर्ष अप्रैल, मई तथा जून के महीनों में कितनी हानि हुई; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) बिजली की अपर्याप्त सप्लाई तथा निम्न आवृत्ति के कारण दुर्गापुर इस्पात कारखाने को अप्रैल, मई और जून, 1973 में विक्रेय इस्पात के उत्पादन में हुई हानि निम्नलिखित है :—

	विक्रेय इस्पात के उत्पादन की हानि	
	मात्रा (टन)	मूल्य (लाख रुपये)
अप्रैल, 1973 . .	3,835	24.74
मई, 1973 .	20,628	144.96
जून, 1973 .	8,736	70.24

(ख) कुल उपलब्धि तथा मांगों की परस्पर प्राथमिकता को देखते हुए इस्पात कारखानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली सप्लाई करने की आवश्यकता के बारे में संबंधित प्राधिकारियों के साथ पहले ही लिखा पढ़ी की गई है और यह स्वीकार कर लिया गया है कि इस्पात कारखानों की आवश्यकता को उच्चतम प्राथमिकता दी जाए।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सुरक्षा दल तथा पुलिस द्वारा मजदूरों पर गोली चलाया जाना

656. **श्री रोबिन सेन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और पुलिस ने 6 जून, 1973 को मजदूरों पर गोली चलाई थी;

(ख) कितने व्यक्ति घायल हुए; और

(ग) गोली चलाये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) सुरक्षा दल और स्थायी पुलिस को विवश होकर अपने बचाव के लिए 7 जून, 1973 (न कि 6 जून, 1973) को मजदूरों की एक हिंसक और दृढ़-संकल्प उत्तेजित भीड़ पर गोली चलानी पड़ी थी क्योंकि उन्होंने सुरक्षा दल और पुलिस के कई जवानों को, ईंटें, बरसा कर तीर चलाकर और बम्ब तथा दूसरे घातक हथियार फेंक कर घायल कर दिया था। उपद्रव करने वालों में से एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हुआ और एक लाठी लगने से घायल हो गया था। एक सिपाही को पीठ पर तीर लगने से चोट आयी थी और सुरक्षा दल के एक जवान को तीर लगने से घुटने पर चोट आयी थी। ईंटों, तीरों और फर्सों से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सुरक्षा कर्मचारियों और पुलिस के कर्मचारियों को मिलाकर कुल 19 व्यक्तियों को चोटें आयी थी, जिनमें होम गार्ड के एक उप-अधीक्षक, एक सहायक पुलिस अधीक्षक, बागमारा, एक पुलिस इंस्पेक्टर, बागमारा और कटरास पुलिस थाने के कार्यभारी अधिकारी भी शामिल हैं ।

कोयलाखान प्राधिकार

657. **श्री रोबिन सेन :**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शक्ति प्राप्त कोयलाखान प्राधिकार की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका गठन क्या होगा; और

(ग) नये प्राधिकार का कृषिक्षेत्र तथा अन्य विशेषताएं क्या होंगी?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (ग) 14 जून, 1973 को भारत सरकार के पूर्णतया स्वामित्वाधीन कोयला खान प्राधिकारी लिमिटेड नामक एक नई संस्था कम्पनी निगमित की गई थी और उसे राष्ट्रीयकृत अकोककारी कोयला खानों का स्वामित्व तथा प्रबन्ध सौंपा गया। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को इस नई कम्पनी का अनुषंगी कम्पनी बनाया जा रहा है जिसे सिंगरैनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड में केन्द्रीय सरकार के शेयरों को भी अन्तरित किया गया है । इस प्रयोजनार्थ अन्य कोई निकाय गठित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा भारत-विरोधी प्रचार

658. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के विदेश मंत्री सहित उसके अन्य अधिकारियों द्वारा किए जा रहे भारत-विरोधी प्रचार की ओर दिलाया गया है; और

यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार ने अखबारों में ऐसी खबरें देखी हैं जिनमें पाकिस्तान के विभिन्न अधिकारियों द्वारा दिये गये भारत विरोधी वक्तव्यों को छापा गया है।

(ख) इस प्रकार के वक्तव्य शिमला समझौते के अनुरूप नहीं हैं

जाली दस्तावेजों के आधार पर इछापुर आयुद्ध कारखाने से रायफलों की ठगी।

659. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली दस्तावेजों के आधार पर रायफलों की सप्लाई लेकर इछापुर आयुध कारखाने में से 2 लाख रुपए से अधिक राशि का धोखा किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) रायफल फैक्टरी इछापुर द्वारा शिकार के लिए हथियारों की बिक्री के कुछ सौदों के बारे में एक बैंक द्वारा जारी की गई पैसे की तथाकथित रसीद को जांच पड़ताल करने पर असली नहीं पाया। इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है।

भारी उद्योग के उत्पादन और लाभ को बढ़ाने के लिए योजनाएं

660. **श्री योगेन्द्र झा :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारी उद्योग के विभिन्न एककों का वास्तविक उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में कितना रहा और उनका लाभ अथवा हानि क्या है;

(ख) आगामी वर्षों में उनके उत्पादन तथा लाभ को बढ़ाने की क्या योजनाएं हैं; और

(ग) क्या हटिया स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के तीनों एककों में उत्पादन निरन्तर कम हो रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उपचारी कार्यवाही की गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5195/73]।**

(ख) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों को सुधारने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में, युक्तिपूर्ण कार्मिक नीति को धीरे-धीरे लागू करना, प्रोत्साहन योजनायें, उत्पादन के सुधरे हुए तरीके, आयोजन और नियंत्रण तथा कच्चे माल की

प्राप्ति उपयुक्त क्षेत्रों में दुहरी/तिहरी पालियों में काम करना, उत्पादन कार्यक्रम में विविधीकरण, सहायक उद्योगों का विकास और प्रबन्ध का पुनर्गठन करना और मजबूत बनाना आदि सम्मिलित है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहां आवश्यक समझा जाता है सुधारात्मक कार्य किया जाता है, जिसमें इन एककों के कार्यों की जांच करने और सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु विशेषज्ञ दलों की नियुक्ति सम्मिलित है। इसके अलावा प्रबन्ध सूचना प्रणाली और एक मोनीटरिंग सेल इस मंत्रालय में स्थापित किया जा रहा है। इन उपायों के परिणामस्वरूप आशा है कि सरकारी क्षेत्र के इन एककों के कार्य में आने वाले वर्षों में सुधार होगा।

(ग) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के तीन एकक अभी अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर सके हैं। फिर भी, क्षमता के उपयोग में 1970-71 के 19 प्रतिशत और 1971-72 के 26 प्रतिशत से 1972-73 में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इस प्रकार की परियोजनाओं के पनपने की अवधि लम्बी होती है क्योंकि भारी और जटिलतम टेक्नोलाजिकल उपकरणों और मशीनों पर समयावधि के पश्चात् ही कामगर आवश्यक दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। प्रारम्भ के वर्षों में निर्माण सम्बन्धी कार्यकलाप भी कार्य संचालन सम्बन्धी प्रावस्था के साथ परस्पर व्याप्त थे और सामूहिक या पुनरावर्ती आर्डरों की भी कमी असंतोषजनक श्रमिक सम्बन्धों और प्रबन्ध में त्रुटियों सहित इन सब कारणों से एच० ई० सी० के एककों में वांछित उत्पादन नहीं हो सका।

इन एककों के कार्यों में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय शुरू किए गए हैं :—

(1) प्रधान (कोर) क्षेत्र द्वारा अपेक्षित पूंजीगत उपकरणों की प्रमुख वस्तुओं का मानकीकरण।

(2) परिक्रामी योजना (रिवाल्विंग प्लान) के जरिये और अच्छे सामग्री प्रबन्ध को चालू करना।

(3) प्रत्येक शाला (शाप) के लिए विस्तृत ठोस अनुवर्ती कार्यवाही करना।

(4) सामग्री की प्राप्ति और प्रबन्ध से सम्बन्धित प्रक्रियाओं को सरल बनाना और लेखा-पद्धति को कम्प्यूटरीकृत करना।

(5) चुने गये क्षेत्रों में दो/तीन पालियों को धीरे-धीरे चालू करना।

(6) हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की विभिन्न शालाओं (शापों) और तीसरी पालियों में अधिक कुशल कारीगरों को लगाना।

(7) रद्दी माल को कम करने के लिये किस्म नियंत्रण में सुधार करना।

(8) श्रमिकों की कठिनाइयों के शीघ्र निवारण और प्रणालीबद्ध पदोन्नति प्रक्रिया के लिये कार्मिक नीति लागू करना।

(9) प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करना।

(10) रिपोर्ट के लिये वैज्ञानिक प्रबन्ध सूचना पद्धति का विकास करना।

बल्लारपुर कोयलाखान (महाराष्ट्र) के कर्मचारियों का स्थानान्तरण/निलम्बन/हटाया जाना

661. **श्री योगेन्द्र झा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री बल्लारपुर (महाराष्ट्र) की कोयला खान के कर्मचारियों के स्थानांतरण/निलम्बन/हटाये जाने के बारे में 12 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6945 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्लारपुर कोयलाखान के सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कदाचारों के आरोपों की जांच इस बीच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

हैवी इलैक्ट्रीकल्ज, भोपाल में भर्ती के बारे में कथित कदाचार

662. **श्री सूरज प्रसाद वर्मा :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भोपाल स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल्ज फैक्टरी में भर्ती के बारे में कथित कदाचार हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन कदाचारों को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या प्रभावी उपाय करने का है?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) : सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कार्मिकों की भर्ती करने के लिए सरकार ने कुछ मार्ग-दर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं। हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल द्वारा इन सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जा रहा है और इस उपक्रम में भर्ती के बारे में किसी भी प्रकार के कदाचार की बात सरकार की जानकारी में नहीं आई है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड में कार्मिकों की भर्ती निर्धारित नीति के अनुसार की जाती है। इस नीति के अनुसार तकनीकी और वैज्ञानिक किस्म के पद, जिनका मूल वेतन 210 रुपये से कम है और गैर-तकनीकी तथा गैर-वैज्ञानिक पद भी जिनका मूल वेतन 500 रुपये प्रतिमास तक है, इन पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवार भेजने के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किए जाते हैं। इस प्रकार विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सामान्यतः मध्य प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है। जहां ऐसे पदों के लिए स्थानीय रोजगार कार्यालय उपयुक्त उम्मीदवार समायोजित नहीं कर सकता है और उनके द्वारा अनुपलब्धता प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और उच्च स्तर की नियुक्तियों के मामले में भी, पद प्रमुख समाचार पत्रों में अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में विज्ञापित किए जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त आवेदन पत्रों पर इस प्रयोजन के लिए गठित चुनाव समिति के जरिए कार्मिक विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है। ऐसी अवस्था में जबकि किसी भी प्रकार का कदाचार का मामला इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है, आगे कोई कदम उठाना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

बढ़ रही बेरोजगारी के कारण

663. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या के कारणों का पंक्तिबद्ध अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) : संभाव्यतः माननीय सदस्य का संकेत 15 मई, 1973 को सरकार की प्रस्तुत की गई बेरोजगारी सम्बन्धी नीति की रिपोर्ट की ओर है। समिति की रिपोर्ट में दिए गए मुख्य निष्कर्षों और सिफारिशों का सारांश सदन की मेज पर उसी दिन रख दिया गया था।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का अध्ययन करने और सरकार को सुझाव देने के लिए योजना आयोग द्वारा एक अन्तर्मंत्रालय कार्यकारी दल पहले ही गठित किया जा चुका है।

जम्मू और काश्मीर में युद्ध के कारण बेघर हुए व्यक्तियों का पुनर्वास

664. **श्री सुख देव प्रसाद वर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के दौरान जम्मू और काश्मीर के सीमावर्ती गांवों से बेघर हुए उन लोगों की कुल संख्या कितनी है जो अभी तक शिविरों में हैं;

(ख) क्या उनके शीघ्र पुनर्वास के लिए जम्मू और काश्मीर राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) लगभग 31,000 (17-7-73 की स्थिति)।

(ख) और (ग) : जी, हां। राज्य सरकार को इन विस्थापित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था पर खर्च करने का अधिकार दे दिया गया है और सारा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकार को 12.29 करोड़ रुपए की राशि पहले ही दी जा चुकी है।

रोजगार तथा जनशक्ति आयोजन सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना

665. **श्री नगेन्द्र सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की है कि रोजगार तथा जनशक्ति आयोजन सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग, वर्तमान वित्तीय समितियों की भांति एक संसदीय समिति तथा रोजगार और जनशक्ति आयोजन सम्बन्धी एक विभाग स्थापित किया जाये;

(ख) क्या उक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का अध्ययन करने और सरकार को सुझाव देने के लिए योजना आयोग द्वारा एक अन्तर्मन्त्रालय कार्यकारी दल पहले ही गठित किया जा चुका है।

बेरोजगार सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

666. **श्री नरेन्द्र सिंह** :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार का विचार इन पर क्या कार्यवाही करने का है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 15-5-1973 को प्रस्तुत करदी और रिपोर्ट में दिए गए मुख्य निष्कर्षों एवं सिफारिशों का सारांश उसी दिन सदन की मेज़ पर रख दिया गया।

(ग) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का अध्ययन करने और सरकार को सुझाव देने के लिए योजना आयोग द्वारा एक अन्तर्मन्त्रालय कार्यकारी दल पहले ही गठित किया जा चुका है।

वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण आयोग से कनाडा का हटना

667. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण आयोग से हटने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) जी, हां। 29 मई, 1973 को कनाडा के विदेश मंत्री ने हाऊस आफ कामन्स में एक वक्तव्य द्वारा घोषणा की कि कनाडा 31 जुलाई, 1973 के बाद अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण और पर्यवेक्षण आयोग में नहीं रहेगा।

(ख) उसी वक्तव्य में कनाडा के विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के कार्य निष्पादन सम्बन्धी कनाडा की विचारधारा स्वीकार नहीं की गई है और यदि इस समय कनाडा आयोग से हट जाए तो यह सभी सम्बद्ध पक्षों के लिए लाभप्रद होगा।

(ग) कनाडा के इस निर्णय पर सरकार ने अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है।

श्री लंका के प्रतिनिधियों और भारतीय अधिकारियों के बीच दिल्ली में वार्ता

668. **श्री एम० एस० संजीवी राव :**
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1973 में दिल्ली में श्रीलंका के प्रतिनिधि मन्डल और भारतीय अधिकारियों के बीच परस्पर हितों के मामलों पर बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर बातचीत हुई और उसका क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :) (क) जी, हां।

(ख) प्रधानमंत्री की 27 से 29 अप्रैल, 1973 की श्रीलंका यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में द्विपक्षीय विषयों पर दोनों देशों के बीच विचार-विमर्श की बात निहित थी। इसके अनुसरण में श्रीलंका के रक्षा एवं विदेश सचिव श्री डब्ल्यू०टी० जयसिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि-

मण्डल आपसी हित के मामलों पर बातचीत करने के लिए दिल्ली आया। बातचीत मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुई और इससे एक दूसरे के विचारों को भली प्रकार समझने एवं सराहने में सहयोग मिला।

बंगला देश को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के प्रश्न पर कनाडा में प्रधान मंत्री द्वारा की गई बातचीत

669. श्री एम० एस० संजीवी राव :
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की हाल की कनाडा यात्रा के दौरान, बंगला देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने के प्रश्न पर बातचीत की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में दोनों प्रधान मंत्रियों की यह आशा अभिव्यक्त की गई थी कि बंगला देश जल्दी ही संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में अपना उचित स्थान ले लेगा।

संयुक्त वक्तव्य का सम्बद्ध पैरा इस प्रकार है :

"भारत की प्रधान मंत्री ने 17 अप्रैल, 1973 के भारत-बंगलादेश के संयुक्त घोषणा-पत्र के अनुरूप भारतीय उप-महाद्वीप की हाल की घटनाओं को समझाते हुए बताया कि वह 1971 के युद्ध से उत्पन्न मानवीय समस्याओं को सुलझाने की दिशा में ईमानदारी से उठाया गया कदम है और उससे क्षेत्र में स्थायी शांति और सहयोग बढ़ेगा। कनाडा के प्रधान मंत्री ने वर्तमान गतिरोध को दूर करने की दिशा में किए जा रहे प्रयत्नों की सराहना की। दोनों प्रधान मंत्री इस पर सहमत हुए कि पुरानी समस्याओं का स्थायी हल उपमहाद्वीप के देशों के बीच वार्ता के जरिये निकालना चाहिए। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि बंगला देश संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में अपना उचित स्थान जल्दी ही प्राप्त कर लेगा। उन्होंने राष्ट्रमन्डल में बंगलादेश की सदस्यता का स्वागत किया।"

कोरिया के पुनः एकीकरण के बारे में विश्व की संसदों से डी० आर० पी० के० की अपील

670. श्री समर मुकर्जी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ पीपल्स कोरिया की पीपल्स असेम्बली ने विश्व की सभी संसदों से कोरिया के पुनः एकीकरण की समस्या तथा अमरीकी कब्जे को खत्म करने के बारे में अपील की है;

(ख) यदि हां, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ पीपल्स कोरिया की पीपल्स असेम्बली ने क्या मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं; और

(ग) इस बात को देखते हुए कि भारत कोरिया के पुनः एकीकरण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र आयोग का सदस्य है, सरकार का अपील के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) कोरियाई जनवादी लोक गणराज्य की सुप्रीम पीपल्स एसेम्बली ने विश्व के सभी देशों की सरकारों तथा संसदों को पत्र भेजा था, जिसमें उसने कोरिया के पुनः एकीकरण तथा दक्षिण कोरिया से अमरीकी सेना की वापसी पर अपना विचार व्यक्त किया था। इस पत्र में कोरियाई जनवादी लोक गणराज्य सरकार द्वारा कोरिया के शांतिपूर्ण पुनः एकीकरण के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन है।

(ग) कोरिया के पुनः एकीकरण से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र आयोग का भारत सदस्य नहीं है। फिर भी राज्य-सभा के सभापति तथा लोक-सभा के अध्यक्ष ने कोरियाई जनवादी लोक गणराज्य की सुप्रीम पीपुल्स एसेम्बली को इस पत्र के लिए समुचित रूप से प्राप्ति-स्वीकृति भेज दी है। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति यह है कि दक्षिण एवं उत्तरी कोरिया द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से पुनः एकीकरण के लिए बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के द्विपक्षीय बातचीत द्वारा जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वह उनका समर्थन करती है।

कलकत्ता स्थित कर्मचारी राज्य बीमा के कार्यालय से खाता बही पुस्तकों का गुम होना

671. श्री समर मुकर्जी : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता स्थित कर्मचारी राज्य बीमा के कार्यालय से शिकायतों तथा भ्रष्टाचार के मामलों का बहुमूल्य रिकार्ड वाली सात खाता पुस्तकें (लेजर्स) गुम हो गई हैं;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कदाचारों तथा दस्तावेजों की चोरी में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना भेजी है:—

(क) और (ख) क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता से ऐसी कोई खाता पुस्तक (लेजर) जिसमें शिकायतों और भ्रष्टाचार के मामले अन्तर्विष्ट हो; गायब नहीं हैं। तथापि पश्चिम बंगाल में तारातोला स्थानीय कार्यालय से लाभ के भुगतान से सम्बन्धित एक खाता-पत्र गायब है और धन के अपहरण का शक है।

(ग) मामले की सूचना सी०बी०आई० को दी गई थी और स्थानीय कार्यालय के उस समय के प्रबन्धक, कोषाध्यक्ष और चपरासी को 9 जुलाई, 1973 को पुलिस की हिरासत में ले लिया गया था। वे सभी निलंबित भी कर दिए गए हैं।

चीन और भारत के सम्बन्ध

672. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :
श्री राज राज सिंह देव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चीन को मित्र बनाने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाए गये हैं ; और

(ग) क्या एशिया के दो शक्तिशाली देशों के बीच सद्भावना और सूझबूझ का वातावरण उत्पन्न करने के लिये सांस्कृतिक तथा संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान पर विचार किया जा रहा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए बराबर प्रयत्न कर रही है।

(ग) सरकार संस्कृति और खेलकूद जैसे क्षेत्रों में संबंध बढ़ाने के पक्ष में है। इस समय चीन को संसदीय शिष्टमंडल भेजने का प्रस्ताव नहीं है।

पूना में नेशनल डिफेंस अकादमी की परेड के समय चीन के सैनिक सहचारी का उपस्थित रहना

673. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना में नेशनल डिफेंस अकादमी की परेड के समय चीन के सैनिक सहचारी की उपस्थिति अन्य बातों के अलावा दोनों सरकारों के बीच संबंध सुधारने की ओर एक कदम है; और

(ख) यदि हां, तो क्या चीन ने पहले कभी पारस्परिक आधार पर ऐसा किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) हमारे देश में प्रत्यायित अन्य देशों के सैनिक अटैचियों की भांति ही चीनी सैनिक अटैची को भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़गवासला की पासिंग आउट परेड समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस बात को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

(ख) जहां तक चीनी स्थापनाओं का प्रश्न है, पेकिंग स्थित हमारे सैनिक अटैची के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाता।

नौसेना में पुराने जहाजों को बदलना

674. **श्री एस० एन० मिश्र** :
श्री एम० कतामुतु :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौसेना के ऐसे कितने जहाज हैं जो अपनी निर्धारित अवधि से अधिक चल चुके हैं;

(ख) क्या इन जहाजों को बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि नियत करने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) काफी दिनों तक उपयोग में आने के कारण कई जहाज अब अपनी उत्तम स्थिति में नहीं हैं। हमारी नौसेना के पुराने तथा जीर्ण जहाजों को बदलने की आवश्यकता के बारे में सरकार पूर्णतया सजग है। नए जहाज प्रतिस्थापित करने तथा स्वदेशी निर्माण को तीव्र करने या अपने वित्तीय साधनों के आधार पर विदेश से अर्जित करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस मामले में और अधिक सूचना देना लोक हित में नहीं होगा।

कोयला खानों का बंद होना

675. **श्री एस० एम० मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कितनी कोयला खानें बंद की गई हैं; उनके नाम तथा पते क्या हैं;

(ख) उनके बंद होने के कारण क्या हैं ;

(ग) इनमें से प्रत्येक कोयलाखान में कोयला खान-वार तथा संवर्ग वार कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं ; और

(घ) राष्ट्रीयकरण से पूर्व कोयला खानें कितने समय से कार्य कर रहीं थीं और उनके बंद होने की तारीख क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सरकार द्वारा 31 जनवरी, 1973 को अथवा उसके पश्चात् प्रबंध ग्रहण की गई कोई कोयला खान बंद नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते है।

कोयला खान प्राधिकरण के साथ विलय से पूर्व राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधिकारियों को पदोन्नति

676. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को कोयला खान प्राधिकरण के सामान्य संवर्ग में विलय करने से एक महीने पूर्व निगम के अधिकारियों को पदोन्नत किया गया था; और

(ख) क्या उपरोक्त विलय के उपरान्त उनको प्राईवेट गैर-कोकिंग कोयला खानों जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर 1972 में अपने नियंत्रण में ले लिया था, के नए खपाए गए अधिकारियों की तुलना में और आगे वरीयता दी गई थी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधिकारियों को कोयला खान प्राधिकारी को उद्घाटित किए जाने पर अयोग्य पदोन्नतियां नहीं दी गई थीं।

(ख) जी, नहीं।

सैनिक कर्मचारियों के लिए बीमा योजना

677. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा योजना का विस्तार सैनिक कर्मचारियों तक करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जी नहीं श्रीमन्। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

पाकिस्तानी सेना द्वारा छम्ब क्षेत्र में मोर्चाबन्दी

678. **श्री पी० गंगादेव** :

श्री श्रीकृष्ण मोदी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान अधीन छम्ब क्षेत्र में पाकिस्तान ने हाल ही में मोर्चाबंदी की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान सेना एक ऐसी ठोस कांक्रीट की रक्षा दीवार बनाने में व्यस्त है जिसे टैंकमार चैनल और बड़ी संख्या में स्टील पिल बाक्सिज से लैस किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चीन द्वारा पाकिस्तान को टी० यू०-16 विमान सप्लाई करना

679. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चीन द्वारा पाकिस्तान को टी० यू०-16 विमान सप्लाई किए जाने के समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस तथ्य की भी जानकारी है कि टी०यू०-16 विमानों का उपयोग करने का प्रशिक्षण पाकिस्तानियों को देने के लिए बड़ी संख्या में चीनी सलाहकार, पायलट और वायुयान तकनीशियन पाकिस्तान गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) और (ख) के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) ऐसा जान पड़ता है कि पाक वायु सेना के कुछ अधिकारी और तकनीशियन टी यू-16 विमान के प्रशिक्षण के लिए चीन गए थे परन्तु ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि अधिक संख्या में चीनी पायलट/तकनीशियन पाकिस्तान में पाक वायु सेना कार्मिकों को प्रशिक्षण देने आये हों। पाकिस्तान द्वारा प्राप्त ऐसी सारी सहायता के प्रभाव का हमारी रक्षा तैयारियों की योजना बनाते समय ध्यान में रखा जाता है।

युगांडा से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास

680. **श्री पी० गंगा देव :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने युगांडा से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों को गैर कृषि व्यवसायों में लगाने के लिए किसी योजना को अंतिम रूप दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अंतर्गत स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों को व्यापार तथा आवास संबंधी ऋण, एक मुश्त पुनर्वास सहायता तथा अन्य रियायतें दी जायेंगी; और

(ग) युगांडा से कुल कितने व्यक्ति अब तक स्वदेश आये हैं और राज्यवार, उनको किन स्थानों पर बसाया गया है तथा अब तक उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) यूगांडा से लौटने वाले भारतीय पासपोर्ट वाले प्रत्याशियों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना मंजूर की जा

चुकी है। योजना को राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इन प्रत्यावासियों को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) 30-6-1973 तक युगांडा से 9958 प्रत्यावासी भारत आ चुके थे। यद्यपि उन स्थानों के बारे में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है फिर भी अनुमान है कि इन प्रत्यावासियों में से लगभग 5000 गुजरात; लगभग 2000 महाराष्ट्र तथा पंजाब और गोवा में से प्रत्येक में लगभग 800 और शेष, लगभग 1300, अन्य राज्यों को चले गए हैं।

इन प्रत्याशियों को तत्काल राहत सहायता देने के लिए 30-6-1973 तक कुल लगभग 2.71 लाख रुपए का व्यय किया जा चुका है।

विवरण

यूगांडा से भारत लौटे उन प्रत्याशियों को दी जाने वाली पुनर्वास सहायता का विवरण जो भारतीय नागरिक हैं और जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं।

भाग I

(1) **व्यवसाय ऋण:** उन्हीं शर्तों पर जो श्री लंका से लौटे प्रत्याशियों पर लागू होती हैं, व्यापार या व्यवसाय में पुनर्वास के लिए 5,000 रु० तक प्रति परिवार।

(2) **आवास सुविधाएं:** उन प्रत्याशियों को, जो गैर-कृषि व्यवसायों में बसाए जाएंगे, प्लाट खरीदने और मकान बनाने के लिए ऋण की सहायता :

	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
	रु०	रु०
(क) आवासीय प्लाट की लागत .	600 (ऋण)	200 (ऋण)
(ख) भूमि का विकास . .	1500 (ऋण)	600 (अनुदान)
(ग) गृह-निर्माण की लागत . .	2000 (ऋण)	1250 (ऋण)
जोड़	4100	2050
(घ) व्यवसाय स्थान का निर्माण . .	500 (ऋण)	200 (ऋण)
जोड़	4600	2250

आवास सुविधाओं के लिए सहायता की राशि (ऋण और अनुदान मिलाकर) शहरी क्षेत्रों में 4100 रु० और ग्रामीण क्षेत्रों में 2050 रु० की सीमा तक होना चाहिए। इन सीमाओं के अन्तर्गत प्रत्यावासी किसी मद पर अधिक और किसी में कम खर्च कर सकते हैं। फिर भी जहां निर्माण आवास तथा व्यापार दोनों प्रयोजनों के लिए किया गया हो तो उस मामले में गृह निर्माण के लिए मिलने वाले ऋण के अलावा स्थान बनाने के लिए मिलने वाले ऋण का भी प्रयोग किया जा सकता है।

उक्त दोनों रियायतें केवल उन्हीं प्रत्यावासियों को दी जानी चाहिए जो अपने साथ दस हजार रुपए के मूल्य से अधिक की परिसम्पत्तियां न लाए हों।

भाग II

(3) **एक मुश्त पुनर्वास सहायता** : तीन महीने के लिए 30 रु० प्रति सदस्य की दर से परन्तु अधिक से अधिक कुल 450 रु० प्रति परिवार।

उक्त एक मुश्त पुनर्वास सहायता केवल उन्हीं प्रत्यावासियों को दी जानी चाहिए जो अपने साथ दो हजार रुपए की लागत से अधिक की परिसम्पत्तियां न लाए हों।

भाग III

पुनर्वास सहायता की उपर्युक्त तीन मुख्य मदों के अलावा, श्रीलंका से लौटे प्रत्यावासियों को स्वीकृत रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण में प्राथमिकता, सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए आयु सीमा में छूट, प्रत्यावासियों के बच्चों के लिए स्कूलों/कालेजों/ प्रशिक्षण संस्थानों/एप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शिक्षा के लिए वजीफ तथा पुस्तक अनुदान जैसी अन्य सहायक सुविधाएं युगांडा से आए प्रत्यावासियों के लिए भी लागू कर दी गई हैं।

"आर्म्स बिल्ड अप बाई द आयल रिच कन्ट्रीज इन वैस्ट एशिया" शीर्षक से समाचार

681. श्री पी० गंगा देव :
श्री के० लकप्पा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 मई, 1973 के इंडियन एक्सप्रेस में "आर्म्स बिल्ड अप बाई द आयल रिच कन्ट्रीज इन वैस्ट एशिया" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप देश की सुरक्षा को नया खतरा पैदा हो गया है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) जी हां, श्रीमन्।

मई, 1973 में कोलम्बो में भारत और श्रीलंका के प्रतिनिधियों में हुई वार्ता

682. श्री पी० गंगा देव : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिनिधिमंडल और श्रीलंका के दल में मई, 1973 के दूसरे सप्ताह में कोलम्बो में वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) क्या भारत एक करोड़ रुपये की सहायता देने पर सहमत हो गया है ताकि श्रीलंका अपनी निर्यात क्षमता बढ़ा सके और भारत के साथ व्यापार संतुलन स्थापित कर सके?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस बातचीत में औद्योगिक सहयोग, भारत/श्रीलंका व्यापार, दूर संचार, प्रसारण, पयर्टन/भारत से क्रेडिट लाइनें, तकनीकी सहायता, पशु-पालन, भारत/श्रीलंका के बिजली ग्रिडों को जोड़ना तथा जहाजरानी से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था।

(ग) जी नहीं। लेकिन, कई ऐसे प्राथमिक प्रस्ताव रखे गए थे जिनसे श्रीलंका की निर्यात क्षमता बढ़ती जिसमें भारत को निर्यात करना भी शामिल है। दोनों पक्षों की होने वाली बैठकों में इन प्रस्तावों पर आगे विस्तार से विचार किया जाएगा।

भारतीय श्रम सम्मेलन और स्थाई श्रम समिति की बैठकें

683. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय श्रम सम्मेलन की पिछली बैठक किस तिथि को हुई थी ;

(ख) स्थायी श्रम समिति की पिछली बैठक किस तिथि को हुई थी ; और

(ग) भारतीय श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति की इन बैठकों में किन-किन मुख्य प्रश्नों पर चर्चा हुई थी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) भारतीय श्रम सम्मेलन की पिछली बैठक (27वां सत्र), 22-23 अक्तूबर, 1971 को हुआ था।

(ख) स्थायी श्रम समिति की पिछली बैठक (29वां सत्र) 23-24 जुलाई, 1970 को हुई थी।

(ग) भारतीय श्रम सम्मेलन के 27वें सत्र में जिन मुख्य मदों पर बातचीत हुई वे थीं :—

(i) राष्ट्रीय श्रम आयोग की त्रिपक्षीय सलाहकार तंत्र संबंधी सिफारिशें।

(ii) उपदान भुगतान संबंधी केन्द्रीय अधिनियम।

(iii) औद्योगिक उपक्रमों की बंदी।

(iv) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की पुनरीक्षण।

(v) संघों की मान्यता।

स्थायी श्रम समिति के 29वें सत्र में जिन मुख्य विषयों पर बातचीत हुई वे थे :—

(i) औद्योगिक संबंध आयोग एवं श्रम न्यायालय।

(ii) संघों की मान्यता।

(iii) श्रमिक संघ, पंजीकरण की पद्धति एवं अन्य मामलों सहित।

(iv) 'उद्योग' और 'कर्मकार' शब्दों की परिभाषा।

(v) हड़ताल/तालाबंदी का अधिकार।

(vi) अनुचित श्रम व्यवहार।

(vii) मजूरी बोर्डों की पद्धति।

(viii) औद्योगिक श्रमिकों के लिए परिवार पेंशन-एवं-जीवन बीमा योजना।

(ix) अस्पतालों और औषधालयों में श्रमिक-औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की प्रयोज्यता।

(x) राष्ट्रीय श्रम संस्थान।

(xi) फिल्म उद्योग के श्रमिकों संबंधी विधान पर त्रिपक्षीय समिति की रिपोर्ट।

16 LSS/73—6.

पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर जवानों को बर्खास्त करना

684. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पुलिस जांच रिपोर्ट आधार पर कितने जवानों को बर्खास्त किया गया;

(ख) जांच किस प्रकार की जाती है; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) और (ग) क्योंकि जांच गोपनीय है अतः इसके ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

केरल में भारी उद्योग

685. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केरल सरकार से कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें राज्य में भारी उद्योग आरम्भ करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) इसकी मुख्य विशेषताएं हैं

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) भारी उद्योग मंत्रालय का गठन 7 फरवरी, 1973 को हुआ था। अनुभाग जो अब भारी उद्योग मंत्रालय में आ गये हैं से उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि केरल राज्य इंजीनियरी तकनीशियन (वर्कशाप) औद्योगिक निगम सोसायटी लिमिटेड से 24,000 की वार्षिक क्षमता में स्कूटरों का निर्माण करने के लिए अगस्त, 1972 में प्राप्त आवेदन-पत्र के अलावा गत दो वर्षों में भारी उद्योगों के लिए कोई दूसरा आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

अधेड़ उमर वाले और आयु सीमा पार करने वालों में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिये उपाय

687. **श्री बी० बी० नायक :**

श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) देश में रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की रोजगार कार्यालय के रजिस्टरों के अनुसार इस समय कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो नियोजकों द्वारा आयु-सीमा निर्धारित किए के कारण आयोग्य हो गए हैं;

(ग) उन व्यक्तियों के लिये, जो अब आयु-सीमा पार कर चुके हैं और जो कुछ समय के पश्चात् आयु सीमा पार कर लेंगे, रोजगार ढूंढने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं, और

(घ) अधेड़ आयु वालों में व्याप्त बेरोजगारी के बारे में क्या योजनाएं हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) 31-5-1973 को 74.38 लाख ।

(ख) नियोजकों द्वारा निर्धारित आयु-सीमा भिन्न-भिन्न नियोजकों एवं कार्यों के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। अतः विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है। 31-12-1972 को रोजगार कार्यालयों की चालू पंजिका में दर्ज नौकरी चाहने वालों की, सामान्य आयु-वर्गों में संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) जहां तक भारत सरकार के अधीन रोजगार का संबंध है, कुछ सेवाओं में प्रवेश के लिए आयु-सीमाओं में छूट दी गई है। उदाहरणस्वरूप प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि के लिए भर्ती की आयु 24 से बढ़ा कर 26 कर दी गई, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षाओं के लिए 30 वर्ष तक बढ़ा दी गई, श्रेणी-तीन अलिपिकवर्गीय पदों की सीधी भर्ती के लिए 21 से 25 वर्ष कर दी गई, आदि।

ऐसे प्रयासों के अतिरिक्त, सरकार ने स्व-नियोजन की योजनाओं का समर्थन किया है, जिनके संबंध में सुविधाएं ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं जो सरकारी या गैर-सरकारी संगठनों में नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते।

विवरण

(लाखों में)

आयु-वर्ग	31-12-72 को चालू पंजिका में दर्ज नौकरी चाहने वालों* की संख्या
1	2
1. 24 वर्ष तक	50.2
2. 25—34 वर्ष	15.0
3. 35—44 वर्ष	3.0
4. 45—54 वर्ष	0.6
5. 55 वर्ष या अधिक	0.1
जोड़ . . .	68.9

*चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों के आयु-वर्गीकरण के संबंध में आकड़े प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के अन्त में एकत्र किये जाते हैं।

Asian Peace Conference held in Dacca

688. Shri Shrikrishna Agrawal: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether India participated in the "Asian Peace Conference" held in Dacca (Bangladesh) in May 1973;

(b) the names of the other countries which participated in the said Conference; and

(c) the decisions taken at the Conference?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh):

(a) A delegation representing the All India Peace and Solidarity Organisation is under-stood to have participated in the Conference.

(b) Delegates from the following countries are reported to have taken part in the conference:

Arab Republic of Egypt, Australia, Bulgaria, Canada, France, German Democratic Republic, Guyana, Hungary, Iraq, Japan, Jordan, Laos, Malaysia, Mongolia, Nepal, Sri Lanka, Syria, U.S.A., USSR, Democratic Republic of Vietnam, Oman, Yemen Arab Republic, Peoples' Democratic Republic of Yemen.

(c) The conference is understood to have passed resolutions on various subjects, including the situation on the sub-continent, in the Middle East, Indo-China and the Gulf region. The Conference expressed support for the Indo-Bangladesh Joint Declaration of 17th April, 1973, deplored the policy of persecution and detention of Bangalees in Pakistan, and drew attention to the obstacles to return to peaceful conditions posed by continued non-recognition of Bangladesh by Pakistan.

Discontinuance of Collaboration with Foreign Countries in Defence Production

689. Shri Shrikrishna Agrawal: Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to totally discontinue defence production in collaboration with foreign countries in the near future;

(b) if so, the efforts made so far to manufacture those defence equipment indigenously which are now being manufactured in collaboration with foreign countries; and

(c) the success achieved in his regard ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Consistent with the Government policy to achieve maximum self-reliance, a decision has been taken to do without foreign technical collaboration in the matter of defence production and to rely on indigenous research and development as far as possible. Where, however, a particular item involves sophisticated technology which has not yet been developed in the country, it may still be necessary to seek or rely on foreign technical assistance either by resort to one-time purchase of technical know-how or collaboration for a limited period for productionisation of such an item.

(b) and (c) The purpose of manufacture under collaboration is to indigenise production of the equipment covered by such agreements. In this respect considerable success has been achieved and efforts are constantly made to increase the indigenous content.

मास्को में रूसी अधिकारियों से हुई बातचीत।

690. श्री इन्द्रजीत गुप्त: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मास्को में रूसी अधिकारियों से हाल में हुई बातचीत का संबंध भारत की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं से था जो पाकिस्तान, ईरान, साउदी अरब तथा कुवैत में हाल की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ये 1971 को भारत-रूस संधि के उपबंधों के अन्तर्गत सामान्य पारस्परिक बातचीत का एक अंग है; और

(ग) क्या किसी भी मामले में इसका परिणाम भारत के दृष्टिकोण के अनुकूल था ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :(क) जी नहीं श्रीमन्।

(ख) रक्षा मंत्री का रूस का दौरा रूस के रक्षा मंत्री, मार्शल ग्रिचको, द्वारा उनको तथा श्रीमती जगजीवन राम को विश्राम के लिए एक निमंत्रण के उत्तर में था। तथापि, उन्होंने इस अवसर पर दोनों देशों के आपसी हित के कुछ मामलों पर विचार किया।

(ग) इस वार्ता के परिणामस्वरूप दोनों देशों ने अपने सामान्य हित की समस्याओं को पूरी तरह से समझा है।

इंडोनेशिया और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास

691. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रक्षा मंत्री** 5 अप्रैल, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 6131 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास के लिए इंडोनेशिया सरकार से अंतिम प्रस्ताव प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के अभ्यासों से भारत का क्या हित साधन होगा; और

(ग) इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 12/13 जून 1973 को भारतीय जहाज के इंडोनेशिया में सद्भावना दौरे के दौरान भारतीय नौसैनिक जहाज नीलगिरी तथा इंडोनेशिया के नौसैनिक जहाज ने इंडोनेशिया में नौसैनिक अभ्यास किए थे।

(ख) भारतीय जहाज का दौरा तथा किए गए अभ्यास सफल रहे थे तथा सामान्य रूप से इंडोनेशिया की जनता पर तथा विशेषरूप से इंडोनेशिया की नौसेना पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा था। भारतीय नौसेना तथा इंडोनेशिया नौसेना के द्वारा किए गए अभ्यास आपस में मित्रता तथा सहयोग की अभिव्यक्ति करते हैं। इंडोनेशिया हिन्द महासागर का एक महत्वपूर्ण समुद्र तटवर्ती राष्ट्र होने के कारण हमारे लिए विशेष हितकर हैं।

(ग) इस प्रकार के नौसैनिक अभ्यास क्षेत्र में शांति तथा आपसी सहयोग के हित के लिए वांछनीय है।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा करने के लिए आयोजित सम्मेलन

692. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 मई 1973 को पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा करने के लिये नई दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) क्या उक्त सम्मेलन में इस बात पर सहमति हुई थी कि इस तथ्य को देखते हुए कि पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड का पंचाट 31 दिसम्बर 1973 को समाप्त हो जाएगा, सरकार को कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन संघो के साथ वेतन ढांचे का पुनरीक्षण करने के बारे में त्रिपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव रखना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) जी हाँ।

(ख) यह सहमति हुई कि इस प्रयोजन के लिए तंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में पत्तन तथा गोदी श्रमिकों के सभी फेडरेशनों से अपने-अपने विचार लिखित रूप में भेजने के लिए प्रार्थना की जायेगी और यह कि उसके पश्चात् इस मामले पर उनके साथ एक बैठक में विचार-विमर्श किया जायेगा।

(ग) इस मामले पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

वेतन और ग्रेडों के बारे में कोयला खान प्राधिकरण के अधिकारियों से अभ्यावेदन

693. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खान प्राधिकरण के अधिकारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें वेतन तथा ग्रेड के निर्धारण से संबंधित शिकायतें शामिल हैं ;

(ख) क्या कुछ श्रेणियों के मामले में अधिकारियों के वेतनमान राष्ट्रीयकरण से पूर्व उन्हें मिलने वाले वेतनों से कम निर्धारित किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में तथ्य क्या ह; और

(घ) इन अभ्यावेदनों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) ग्रहीत कोयला खानों के अधिकारियों का वेतन उपयुक्त रुप से गठित समितियों द्वारा उचित जांच के पश्चात् उनकी अर्हताओं, अनुभव, सामान्य उपयुक्तता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए, समुचित पब्लिक सेक्टर के वेतन के ग्रेड में नियत किया गया है।

(घ) प्राप्त अभ्यावेदनों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

चीन द्वारा अन्तरमहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों की रेंज का बढ़ाया जाना

694. **श्री वयालार रवि :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन द्वारा अन्तरमहाद्वीप में वैलिस्टिक मिसाइल का विकास करने से अपने देश की सीमा को खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन गतिविधियों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) चीन द्वारा अन्तरमहाद्वीपीय वैलिस्टिक मिसाइल के विकास से एशिया के सभी देशों की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। चीन की अणु-अस्त्र क्षमता के सुरक्षा पर प्रभावों का सरकार लगातार मूल्यांकन कर रही है। तथापि, ऐसे मूल्यांकन के ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि आयोग के कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदन

695. **श्री वयालार रवि : क्या श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय के कर्मचारियों से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उनकी यूनियन को मान्यता दी जाए तथा उनकी अन्य शिकायतें दूर की जाएं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय कर्मचारियों ने अपने संघों और महा संघों के माध्यम से अपने संघों की मान्यता और कतिपय मांगें जैसे केरल और तमिलनाडु क्षेत्रों के कर्मचारियों को उन अवधियों के लिए मजदूरी का भुगतान, जिनमें वे हड़ताल पर थे, वेतनमानों की पुनरीक्षा, बोनस की मंजूरी, कार्य सम्बन्धी मानकों की पुनरीक्षा, अतिरिक्त पदों का सृजन आदि मंजूर कराने के लिए अभ्यावेदन दिया था।

(ग) मांगों पर विचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में निकल परियोजना

696. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अब तक उड़ीसा में सुकिंडा में स्थापित होने वाले निकल परियोजना को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो वहाँ निर्माण कार्य वस्तुतः कब से आरम्भ होगा ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार के साथ हुए पिछले समझौते में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना को तैयार करने वाली कम्पनी के गठन की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) कम्पनी की संरचना को ज्ञात करना समय पूर्व की बात है।

भावी इस्पात कारखाने का स्थान चयन सम्बन्धी अध्ययन

697. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भावी इस्पात कारखानों के लिये स्थान का चयन करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या उसने अब उड़ीसा में स्थान के चयन के सम्बन्ध में अपना अध्ययन आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) नई इस्पात क्षमता के लिए तकनीकी आर्थिक शक्यता अध्ययन करने हेतु स्थानों का चयन करने के लिए इस्पात और खान मंत्रालय द्वारा गठित किये गये कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) और (ग) कार्यकारी दल ने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की सिफारिश की है कि बोनेगढ़/नयागढ़ के लोह अयस्क के भण्डारों पर आधारित एक प्रायोजना का तकनीकी आर्थिक शक्यता अध्ययन करने का काम आरम्भ किया जाए। ये अध्ययन जो दीर्घकालीन इस्पात विकास कार्यक्रम के ही भाग होंगे, पाँचवी योजना अवधि में आरम्भ किए जाएंगें।

तीसरे देश को अमरीका शस्त्रास्त्र देने के बारे में अमरीका के श्री जोजफ सिस्को का कथित वक्तव्य

698. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका के सहायक विदेश मंत्री श्री जौजफ़ सिस्को के इस वक्तव्य को ध्यान में रखा है कि मित्र देशों को दिए गए अमरीकी शस्त्रास्त्रों को तीसरे देश को स्थानान्तरित होने से नहीं रोका जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 6 जून को कांग्रेस की उप-समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान, श्री सिस्को से कहा गया था कि वह सऊदी अरब तथा कुवाइत को दिए जाने वाले अमरीकी हथियारों का तीसरे देशों को स्थानांतरित किए जाने की सम्भावनाओं पर अपनी टिप्पणी दें। खबर है कि श्री सिस्को ने कहा कि, "मैं आपको स्पष्ट आश्वासन नहीं दे सकता, हां, इतना भर कह सकता हूं कि हमें इसका समुचित भरोसा है कि ऐसा नहीं होगा"।

(ख) भारत सरकार सभी संबद्ध सरकारों पर बराबर यह जोर देती आई है कि सीधे ही या परोक्ष रूप से पाकिस्तान को हथियार देने से उपमहाद्वीप में स्थिति सामान्य होने में बाधा पड़ेगी और यह हमारे लिए भारी चिंता का विषय है।

एच० ई० एल० भोपाल, हैदराबाद, और हरिद्वार के लिये सीमा-बद्ध कार्यक्रम और निर्धारित क्षमता

699. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० ई० एल० भोपाल, हैदराबाद और हरिद्वार के लिये निर्धारित क्षमता तक पहुंचने हेतु अब तक कोई सीमा-बद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तैयार कार्यक्रम का स्वरूप क्या है ; और

(ग) क्या इन कारखानों में उपयोगिता क्षमता अब बढ़ गई है ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). भारी वैद्युत संयंत्र, भोपाल, हैदराबाद तथा हरिद्वार में निर्धारित क्षमता प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर दिया गया है। ये कार्यक्रम प्रोग्राम इवेल्यूयेशन रिव्यू टेकनिक नेटवर्क चार्ट पर तैयार किए गये हैं ताकि वे उपाय स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जा सकें ; जिन्हें शुरू करना निर्धारित समय-सारिणी का पालन करने के लिए समय-समय पर सरकार तथा अन्य विभिन्न अभिकरणों के लिए आवश्यक है।

(ग) इन एककों की क्षमता के उपयोग में स्पष्टतः समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

संगठित क्षेत्र में रोज़गार सम्बन्धी वृद्धि दर का अध्ययन करने के लिये सर्वेक्षण

700. **श्री प्रभुदास पटेल:** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और गैर-सरकारी क्षेत्र के कृषि-भिन्न एककों में रोजगार सम्बन्धी वृद्धि दर का अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने संगठित क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अध्ययन से यह पता चला है कि इन संगठित क्षेत्रों में रोजगार सम्बन्धी वृद्धि दर, जो 1971 में सीमान्त थी, अब भी अपरिवर्तित रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अध्ययन रिपोर्ट की अन्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों और गैर-सरकारी क्षेत्र के 10 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले कृषीत्तर प्रतिष्ठानों से रोजगार सम्बन्धी आंकड़े त्रैमासिक आधार पर इकट्ठे किए जा रहे हैं। मूलतः इन्ही आंकड़ों पर आधारित त्रैमासिक और वार्षिक रोजगार समीक्षायें समय-समय पर प्रकाशित की जाती हैं।

(ख) मार्च 1970 से सितम्बर, 1972 की अवधि में संगठित क्षेत्र में रोजगार विकास की नवीनतम उपलब्ध-दरें दिखाते हुए एक विवरण संलग्न है (अनुबंध एक)।

(ग) 1971-72 की वार्षिक रोजगार समीक्षा की मुख्य-मुख्य बातें अनुबंध दो में दी गई हैं।

विवरण—I

मार्च, 1970 से सितम्बर, 1972 के दौरान संगठित क्षेत्र* में रोजगार विकास की दरें

वर्ष/तिमाही के अन्त में	रोजगार (लाखों में)	पिछले वर्ष की प्रतिशत @ परिवर्तन	पिछली तिमाही की तुलना में प्रतिशत @ परिवर्तन
1	2	3	4
मार्च 1970	170.7	2.5	—
मार्च 1971	174.9	2.5	—
मार्च 1972	179.8	2.8	—
जून 1972	182.0	—	0.4 (−0.6)†
सितम्बर 1972 (अ)	183.2		0.7 (0.4)†

*इसमें सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान और 10 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र के कृषीतर प्रतिष्ठान शामिल हैं।

@प्रतिशत निरपेक्ष आंकड़ों पर आधारित है (लाखों तक पूर्णांकन से पहले)

अ–अनन्तिम

†कोष्टको में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष की अनुरुपी तिमाहियों में प्रतिशत परिवर्तनों को इंगित करते हैं।

विवरण—II

रोजगार समीक्षा 1971-72 की मुख्य-मुख्य बातें

(एक) संगठित क्षेत्र में रोजगार अवसरों में पिछले वर्ष हुई 2.5 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 1971-72 के दौरान 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निरपेक्ष शब्दों में, संगठित क्षेत्र में रोजगार अवसर मार्च, 1971 के अन्त में 174.91 लाख संशोधित से बढ़कर मार्च, 1972 के अन्त में 179.78 लाख हो गए।

(दो) 1971-72 के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि उच्च रही। सरकारी क्षेत्र में वृद्धि की दर 1970-71 में 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 1971-72 में 3.9 प्रतिशत हो गई, जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र में नाममात्र वृद्धि अर्थात् 0.9 प्रतिशत से 1.0 प्रतिशत हुई। यह स्थिति तब थी जब इसमें अक्तूबर, 1971 में सरकार द्वारा कोकिंग कोयला खानों को गैर-सरकारी क्षेत्र से हस्तांतरित करके सरकारी क्षेत्र में लेने पर रोजगार अवसरों को उपेक्षित कर दिया जाए। तथापि, वास्तविक स्थिति यह है कि सरकारी क्षेत्र में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र में लगभग निष्क्रियता रहने पर 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(तीन) पश्चिम क्षेत्र जिस में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, दमन व दीऊ सम्मिलित हैं, के अतिरिक्त देश के सभी क्षेत्रों में 1971-72 के दौरान रोजगार वृद्धि की दरें पिछले वर्ष की तुलना में उच्च रही। उत्तरी क्षेत्र में वृद्धि की दर उच्चतम (5.5 प्रतिशत) हुई। इसके पश्चात् उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (4.9 प्रतिशत) और तत्पश्चात् दक्षिणी क्षेत्र (4.0 प्रतिशत) आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में भी आलोच्य वर्ष के दौरान रोजगार में वृद्धि हुई, चाहे पिछले वर्ष (5.2 प्रतिशत) की तुलना में यह दर (1.6 प्रतिशत) कम थी।

(चार) 1971-72 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार प्रवृत्तियों के राज्यवार विश्लेषण से पता लगता है कि आलोच्य वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में वृद्धि की दर (13.4 प्रतिशत) उच्चतम थी। इसके बाद हरियाणा (9.1 प्रतिशत) और संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ (7.6 प्रतिशत) आता है। पांडिचेरी में भी 7.2 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि हुई। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में रोजगार वृद्धि की दरें क्रमशः 0.4 प्रतिशत, 0.7 प्रतिशत और 0.9 प्रतिशत रही। तीन अन्य राज्यों यथा बिहार, तमिलनाडु और दिल्ली में भी वृद्धि की दरें (क्रमशः 1.2 प्रतिशत, 2.3 प्रतिशत और 2.4 प्रतिशत) रही, जो कि अखिल भारतीय औसत से कम थीं। शेष राज्यों में वृद्धि की दरें 3.1 प्रतिशत (त्रिपुरा) और 6.1 प्रतिशत (गोवा, दमन व दीव) के बीच रही।

(पाँच) उद्योग-वार कार्यकलाप को मद्देनजर रखने से पता लगता है कि 1971-72 के दौरान अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य में रोजगार वृद्धि की दर (6.7 प्रतिशत) उच्चतम थी। इसके बाद निर्माण (5.9 प्रतिशत–जिस सीमा तक इस क्षेत्र को शामिल किया जा सका) और विद्युत, गैस व स्वास्थ्य सेवायें (5.7 प्रतिशत) आते हैं। खान और उत्खनन उद्योग–जिसने 1970-71 के दौरान रोजगार में 2.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की—ने 1971-72 के दौरान समुत्थान करके रोजगार में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की। उत्पादन डिवीजन में वृद्धि की दर 1.8 प्रतिशत हुई जो कि उसी वर्ष की अखिल–उद्योग औसत 2.8 प्रतिशत से कम थी। यह उसी डिवीजन में पिछले वर्ष की वृद्धि दर से भी कम थी जो कि 2.1 प्रतिशत थी। तथापि, सेवा डिवीजन में अखिल-उद्योग औसत से अधिक वृद्धि दर जारी रही। वृद्धि दर पिछले वर्ष (1970-71) के दौरान 3.0 प्रतिशत की तुलना में 3.2 प्रतिशत रही।

उगांडा के निष्कासितों के सम्पत्ति सम्बन्धी दावों का निपटान

701. **श्री प्रभुदास पटेलः**

श्री प्रसन्नभाई मेहताः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उगांडा के निष्कासितों के सम्पत्ति संबंधी दावे उगांडा सरकार के साथ निपटा दिए गए हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब क्यों हो रहा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). मुझे यह कहते हुए खेद है कि उगांडा से निष्कासित भारतीयों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति का उचित हिसाब-किताब करने के लिए उच्चतम स्तर पर की गई हमारी जबरदस्त कोशिशों के बावजूद, उगांडा सरकार ने इस दिशा में अभी तक अपनी कोई नीति निर्धारित नहीं की है। अप्रैल, 1973 में अमरीकी राष्ट्रपति को भेजे गए एक तार में उगांडा के राष्ट्रपति ने जब्ती के विरुद्ध कुछ सामान्य आश्वासनों को इन शब्दों में दोहराया था :

"जिन गैर-नागरिक एशियाइयों, ब्रिटिश और इसराइली फर्मों के व्यापार को मेरी सरकार ने लिया है, उन्हें उगांडा के वित्तीय साधनों के अनुसार मूल्यांकन तथा आकलन करने के बाद मुआवजा दिया जाएगा। आप मानेंगे कि यह काम तत्काल तो नहीं होगा।"

इस संबंध में उगांडा के अधिकारियों के साथ हमारी कोशिशें जारी हैं।

उगांडा से स्वदेश वापस आये व्यक्तियों के लिए गुजरात सरकार की योजना

702. **श्री प्रभुदास पटेलः**

श्री प्रसन्नभाई मेहताः

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने उगांडा के उन निष्कासितों के लिये एक योजना बनाई है जिन्होंने वहां बसने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ख) उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य को क्या सहायता दी जाएगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में गुजरात सरकार ने कुछ सुझाव दिए हैं और इन सुझावों पर भारतीय पासपोर्ट वाले उगांडा से लौटे प्रत्यावासियों के पुनर्वास के लिए सामान्य योजना बनाते समय विचार किया गया था। अब योजना को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है और इसे राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है।

इस योजना के कार्यान्वियन के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को आवश्यक वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाएगी।

शक्तिमान ट्रकों का उत्पादन करने वाली फैक्ट्री द्वारा अन्य वस्तुओं का उत्पादन

703. **श्री प्रभुदास पटेलः**

श्री पी० ए० सामीनाथनः

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शक्तिमान ट्रकों का उत्पादन करने वाली फैक्टरी द्वारा अन्य वस्तुओं का उत्पादन किए जाने की संभावना है और उसमें व्यापारिक ट्रकों का भी निर्माण किया जाएगा ?

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इससे रक्षा तैयारियों को कोई हानि होगी और उनमें कमजोरी आएगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). इस समय शक्तिमान तथा निशान मोटरगाड़ियां बनाने वाली व्हीकल फैक्टरी जबलपुर की क्षमता के विचार के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। रक्षा की आवश्यकताओं के अतिरिक्त पांचवीं योजना अवधि के दौरान वाणिज्यक मोटरगाड़ियों की भारी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के विचार से इसका विस्तार करने का विचार किया गया है।

(ग) जी नहीं, श्रीमन्।

Iran-Pak Military Agreement

704. Shri Dhan Shah Pradhan:
Shri Dharamrao Sharnappa Afzalpurkar:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Iran is equipping Pakistan with arms after the signing of Iran-Pak Military Agreement; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh): (a) and (b). Government of India are not aware of the signing of any Iran-Pak military agreement, though in the past some military equipment has reportedly been supplied to Pakistan.

Government have repeatedly made their views known in the proper quarters on this question we are pledged to solve all outstanding issues with Pakistan in a peaceful manner by direct discussions; the re-armament and re-militarization of Pakistan contradicts such an approach and, as past experience has shown, can jeopardizes the achievement of a peaceful settlement.

Increase Registered in Coal Production Capacity

705. Shri Dhan Shah Pradhan: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the extent of increase registered in the coal production capacity in the country this year vis-a-vis the target fixed; and

(b) the annual consumption of coal in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda):(a)The Task Force on Coal and Lignite set up by the Planning Commission has recently assessed the built-in-capacity for production of coal at 90 million tonnes per annum, against which the production expected to be achieved this year is about 80 million tonnes.

(b) The current level of consumption is about 78.00 million tonnes per annum.

वर्ष 1972 के लिए 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान

706. **श्री एस० एम० बनर्जी:**
श्री प्रसन्नभाई मेहता:

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी नियोजकों से अनुरोध किया है कि वे वर्ष 1972 के लिए 8.33 प्रतिशत बोनस का भुगतान करें; और

(ख) क्या यह आदेश सरकारी उपक्रमों पर भी लागू होता है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंटकस्वामी) : (क) नियोजकों के संगठनों को कहा गया है कि वे अपने घटकों को सलाह दें कि उन्हें 1972 वर्ष के दौरान शुरू होने वाले किसी लेखा वर्ष के लिए ऐसी दर पर न्यूनतम बोनस का भुगतान करना चाहिए जो 8.33 प्रतिशत से कम न हो।

(ख) अधिनियम के अन्तर्गत आये हुए सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को भी इसी प्रकार की सलाह दी गई है।

कानपुर में रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत विशेष मिश्रित इस्पात के कारखाने की स्थापना

707. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या योजना आयोग ने रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत कानपुर में एक विशेष मिश्रित इस्पात कारखाने की स्थापना का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या कानपुर में इस कारखाने पर 80 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है ;

(ग) यदि हां, तो इस कारखाने को कानपुर में स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या रक्षा संबंधी आवश्यकताओं और कानपुर के रोजगार कार्यालय में दर्ज हजारों बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने के लिए इस कारखाने को कानपुर में स्थापित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी नहीं श्रीमन्।

(ख) जी हां श्रीमन्।

(ग) इस परियोजना को कानपुर से स्थानांतरित करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) जी हां श्रीमन्। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ कानपुर, सी० ओ० डी० मजदूर संघ कानपुर तथा कर्मचारी संघ स्माल आर्म फैक्टरी, कानपुर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

देहरादून में रक्षा कर्मचारी संघ (डिफेंस एम्पलाईज फेडरेशन) की बैठक

708. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ (आल इंडिया डिफेंस एम्पलाईज फेडरेशन) ने 27 और 28 मई, 1973 को देहरादून में हुई अपनी बैठक में यह निर्णय किया है कि यदि सरकार ने

कर्मचारियों से संबंधित मामलों पर वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में फैडरेशन के नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने से इंकार किया तो वे सभी रक्षा प्रतिष्ठानों में देश-व्यापी हड़ताल कर देंगे ; और

(ख) यदि हां तो क्या उनको संकल्प भेजा गया है और यदि हां तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): (क) और (ख) अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ की कार्यकारी समिति द्वारा 27 और 28 मई, 1973 को देहरादून में हुई बैठक में पास किए गए प्रस्ताव की एक प्रति सरकार को प्राप्त हो गई है। प्रस्ताव के अनुसार 22 जुलाई 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह में प्रस्ताव में दी गई मांगों के लिए हड़ताल के लिए एक मत पत्र जारी किया जाना था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता का प्रश्न भी शामिल है। संघ को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार परार्मशदायी व्यवस्था की राष्ट्रीय परिषद् में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है; और कर्मचारी वर्ग के प्रतिनिधियों ने तृत्तीय वेतन आयोग की कुछ सिफारिशों पर अपनी आपत्तियों के संबंध में एक नोट दिया है। वे लोग 6 जुलाई, 1973 के मन्त्रियों के ग्रुप से भी मिले हैं और उन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है जिस पर विचार किया जा रहा है।

बलूचिस्तान में ईरानी सेनायें तैनात करना

709. **श्री मधु लिमये:**
श्री शशि भूषण:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ईरान द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में शस्त्रास्त्र एकत्र करने के बारे में जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो में ईरान द्वारा अनुमानतः कितना वार्षिक सैनिक व्यय किया गया है ;

(ग) क्या सरकार को बलूचिस्तान में ईरानी सेनाएं तैनात किए जाने के बारे में रिपोर्टें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश के हितों की रक्षार्थ सरकार ने क्या कूटनीतिक तथा अन्य कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) (क) बड़े पैमाने पर हथियार खरीदने की ईरान की कथित योजना के विषय में सरकार को जानकारी है।

(ख) ईरान के बजट में 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के वर्षो के लिए क्रमशः 1 अरब 10 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ और 1 अरब 95 करोड़ अमरीकी डालरों की व्यवस्था रक्षा मद के लिए की गई थी।

(ग) पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रान्त में कुछ ईरानी अधिकारियों की उपस्थिति से सम्बद्ध खबरें सरकार ने अखबारों में देखी हैं।

(घ) जब कभी मौका मिला है सरकार ने ईरान को यह समझाने की कोशिश की है कि वह न सिर्फ ईरान से ही जिसके साथ भारत का कोई हित-संघर्ष नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से भी मैत्रीपूर्ण सम्बंध चाहती है। सरकार देश की सुरक्षा और हितों की रक्षा करने के प्रति अपने दायित्व के प्रति पूरी तरह सजग है।

देश में रिगों की कमी को दूर करने के उपाय

710. **श्री मधु लिमये:** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह पता है कि देश में 'रिगों' की अत्याधिक कमी होने से सिंचाई विकास कार्यों, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केन्द्रों के लिये पेय-जल की व्यवस्था करने में रुकावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 'रिगों' का भारी पैमाने पर उत्पादन करने हेतु सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के भारी इंजीनियरिंग कारखानों को परिवर्तित करने और उनमें उपकरण बदलने की सम्भावना का पता लगाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) पीने के पानी और साथ ही सिंचाई के प्रयोजन के लिए कुओं की खुदाई करने हेतु विभिन्न प्रकार के रिगों का निर्माण करने के लिए देश में पर्याप्त क्षमता स्थापित की है। देशी निर्माताओं के पास ड्रिलिंग रिगों के लिए क्रयादेशों की कमी के कारण क्षमता का अधिकांश समय न्यून-उपयोग होता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि ड्रिलिंग रिगों या उनका निर्माण करने के लिए क्षमता की भारी कमी है। बड़े पैमाने पर ड्रिलिंग रिगों का उत्पादन करने के लिए सरकार विद्यमान क्षमता को भारी इंजीनियरी संयंत्रों में, चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों या गैर-सरकारी क्षेत्र में, बदलना आवश्यक नहीं समझती है। इस प्रकार के कदम से ड्रिलिंग रिगों के निर्माण के लिए अधिष्ठापित क्षमता में और वृद्धि होगी जो कि वर्ष में अधिकतर अप्रयुक्त रहती है।

बिहार में घटिया कोयला अथवा सौफ्ट कोक की कुछ किस्में बेचने पर प्रतिबन्ध के परिणामस्वरूप कोयले के मूल्य में वृद्धि

711. **श्री मधु लिमये:**
श्री हरि किशोर सिंह:

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसा कोई निदेश दिया है कि घटिया कोयला अथवा सौफ्ट कोक की कुछ किस्में बिहार में न बेची जायें तथा जिसके परिणामस्वरूप उस राज्य में कोयले के मूल्य में वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस आदेश को जारी करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार ने ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

कोयला खानों के सरकारीकरण के पहले और उसके बाद कोकिंग और गैर-कोकिंग कोयले का उत्पादन

712. **श्री मधु लिमये:** क्या इस्पात और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोकिंग कोयले की खानों के सरकारीकरण के उपरान्त की अवधि से अब तक कोकिंग कोयले के उत्पादन के महीनेवार आंकड़े क्या हैं और पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के आंकड़े क्या हैं जब ये खानें गैर-सरकारी व्यक्तियों के पास थीं; और

(ख) गैर-कोकिंग कोयले की खानों के सरकारीकरण के उपरान्त की अवधि से अब तक गैर-कोकिंग कोयले के महीनेवार आंकड़े क्या हैं और पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों के आंकड़े क्या हैं जब ये खानें गैर-सरकारी व्यक्तियों के पास रहीं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) कोकिंग कोयले की खानों के अधिग्रहण के पश्चात् कोकिंग कोयले का मासिक उत्पादन और इसके मुकाबले में पिछले वर्ष का तदनुरूपी मासिक उत्पादन नीचे दिखाया गया है:

(हजार टन)

	महीना	पिछले वर्ष का तदनुरूपी महीना
अक्तूबर, 1971	737	820
नवम्बर, 1971	855	888
दिसम्बर, 1971	931	946
जनवरी, 1972	866	927
फरवरी, 1972	845	894
मार्च, 1972	902	887
अप्रैल, 1972	850	928
मई, 1972	862	918
जून, 1972	798	888
जुलाई, 1972	801	850
अगस्त, 1972	823	847
सितम्बर, 1972	860	782

उत्पादन के आंकड़े कोकिंग कोयला खानों के अधिग्रहण के केवल एक वर्ष पूर्व तक के उपलब्ध हैं ।

(ख) नान-कोकिंग कोयले की खानों के अधिग्रहण के बाद के मासिक उत्पादन के आंकड़े तथा गत वर्ष के तदनुरूपी मासिक उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

	अधिग्रहण के पश्चात् उत्पादन	अधिग्रहण से पूर्व उत्पादन
	(हजार टन)	
	1973	1972
फरवरी .	349	301
मार्च . .	359	324
अप्रैल	348	331
मई	349	328

त्रिपुरा में नए प्रवासी शिविर

713. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा में नए प्रवासी शिविर अभी भी हैं;

(ख) प्रत्येक परिवार को कितनी राहत दी जाती है; और

(ग) इन शिविरों को कब तक बन्द कर दिया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) जी, हां।

(ख) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए उन नए प्रवासियों को, जिन्हें राहत शिविरों/मार्गस्थ केन्द्रों में प्रवेश दिया गया, मिलने वाली राहत सहायता की मात्रा और दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5196/73]**

(ग) शिविरों में रह रहे नए प्रवासी परिवारों को शीघ्र पुनर्वास के लिए हर प्रयत्न किए जा रहे हैं। जैसे ही इन परिवारों को पुनर्वास स्थलों/कार्य केन्द्रों में भेज दिया जाएगा, शिविर बन्द कर दिए जायेंगे। फिर भी कृषि भूमि की अनुपलब्धता आदि जैसे बहुत से अनिश्चित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को करने के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

त्रिपुरा में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के प्रबन्धकों द्वारा कार्मिक कानूनों का पालन न किया जाना

714. **श्री बीरेन दत्त**: क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के प्रबन्धक अपने श्रमिकों के बारे में कार्मिक नियमों और कानूनों का पालन नहीं करते हैं ;

(ख) क्या लगभग एक सौ आकस्मिक श्रमिकों को मामले के कानूनी पहलू पर विचार किए बिना ही रोज़गार से हटा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो त्रिपुरा में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के श्रमिकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

औषध निर्माण कम्पनियों, सेल्समैनों और एजेन्टों को कर्मकारों के वर्ग में शामिल करना

715. **श्री बीरेन दत्तः** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषध निर्माण कम्पनियों के सेल्समैनों और एजेन्टों ने मांग की है कि उन्हें कर्मकारों के वर्ग में शामिल किया जाए;

(ख) क्या वे इस समय केन्द्रीय कार्मिक कानूनों सम्बन्धी सुविधाओं से वंचित हैं; और

(ग) यदि हां, तो औषध निर्माण कम्पनियों के सेल्समैनों और एजेन्टों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) से (ग) चिकित्सीय और बिक्री प्रतिनिधियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत तथा-परिभाषित "कर्मकार" की परिधि में लाने के लिए समय-पमय पर मांगें की गई हैं क्योंकि इस समय वे कर्मकार नहीं माने जाते । प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

त्रिपुरा में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

716. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में त्रिपुरा में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) इस वृद्धि को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कदम अपनाने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या के बारे में यथार्थ सूचना उपलब्ध नहीं है । फिर भी रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज नौकरी चाहने वाले शिक्षित (मैट्रिक पास तथा अधिक योग्यता प्राप्त) व्यक्तियों की संख्या (सभी अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं हैं) नीचे दी गई हैं :—

वर्ष के अन्त में	संख्या	पिछले वर्ष के मुकाबले में प्रतिशत वृद्धि
1970	11,967	22.6
1971	15,065	25.9
1972	17,991	19.4

(ग) भारत सरकार ने देश में शिक्षित बेरोज़गारों की समस्या का प्रत्यक्ष एवं प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए, सामान्य योजना कार्यक्रमों के अतिरिक्त, विशेष रोज़गार योजनाएं शुरू की हैं। इस प्रयोजनार्थ शिक्षित बेरोज़गारों के लिए 1971-72 में विशेष रोज़गार योजनाएं शुरू की गई जो अभी जारी हैं। इसके अलावा 1972-73 में 27 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था के साथ सभी राज्यों तथा केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में एक विशेष रोज़गार कार्यक्रम शुरू किया गया, जो 1973-74 में भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त, 1973-74 में पांच लाख नौकरियों का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इन तीन योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1973-74 के सम्बन्ध में त्रिपुरा राज्य के लिए 62 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

निवेली में दूसरी खान खोलना

717. **श्री एम० के० कृष्णन:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास निवेली में दूसरी खान खोलने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) जी, हां।

(ख) परियोजना की साध्यता रिपोर्ट के अनुसार द्वितीय खान में लिग्नाइट की उत्पादन क्षमता 70 लाख टन प्रति वर्ष होगी। खान का पूंजीगत विनिधान 108 करोड़ रुपये होगा। इस खान से उत्पादित लिग्नाइट 1000 मेगावाट क्षमता के द्वितीय तापीय बिजली घर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जायेगा जिसे 200 करोड़ रुपये की लागत से नवेली में स्थापित करना प्रस्तावित है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

उड़ीसा में नेवल ववायज सेन्टर

718. **श्री अर्जुन सेठी:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में स्थापित किए जाने वाले नवल ववायज सेन्टर के लिए स्थान के बारे में अन्तिम निर्णय करने में क्या कठिनइयां हैं; और

(ख) इस परियोजना को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) चिलका लेक के तट पर बुवाएज प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना के लिए प्रारम्भ में चयन किए गए स्थल पर क्षेत्र की परिस्थिति पर सम्भावित प्रभाव के आधार पर पुनः विचार करना पड़ा है। इस विषय पर अब निर्णय कर लिया गया है और स्थानीय परिस्थिति की रक्षा के लिए कतिपय शर्तों के अनुसार चिलका में प्रतिष्टान स्थापित करना स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) परियोजना की विस्तृत योजना का कार्य हाथ में लिया जा रहा है।

राउरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादन

719. **श्री अर्जुन सेठी :**

चौधरी राम प्रकाश :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राउरकेला इस्पात कारखाने के उत्पादन पर पुनः प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां। इस वर्ष की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए राउरकेला इस्पात कारखाने का उत्पादन लक्ष्य 315.000 टन इस्पात पिंड और 213,600 टन विक्रेय इस्पात था जबकि वास्तविक उत्पादन 270,930 टन इस्पात पिण्ड और 161,347 टन विक्रेय इस्पात हुआ जो लक्ष्य का क्रमशः 86 प्रतिशत और 76 प्रतिशत था।

(ख) विद्युत संकट के परिणामस्वरूप कोक्कर कोयले के उत्पादन तथा शोधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिससे सभी इस्पात कारखानों को, (राउरकेला इस्पात कारखाना भी शामिल है), कोयले की पर्याप्त सप्लाई पर प्रभाव पड़ा। परिणामतः इस्पात पिण्ड के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। कारखाने को बिजली की सप्लाई की मात्रा तथा इसकी आवृत्ति में कमी के कारण इस्पात के बेलन पर सीधा प्रभाव पड़ा। कोयले की अपर्याप्तता के कारण कोक ओवन गैस के उत्पादन में भी कमी आई और इस कारण भी बेलन पर प्रभाव पड़ा। अप्रैल-मई, 1973 में कारखाने में श्रमिक अशान्ति का होना एक और कारण था जिससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ा।

Model Grievance procedure to deal with complaints of workers laid down under Code of Discipline

721. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Model Grievance Procedure laid down under the Code of Discipline has been formulated to deal with the day-to-day complaints of the workers and if so, whether it has been implemented;

(b) whether this procedure has been accepted by all establishments and, if not, the number of establishments that have accepted the procedure relating to complaints; and

(c) the number of workers whose day-to-day complaints have been heard and disposed of so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy): (a) to (c) Affiliates of Central Employers' and Workers' Organisations and such other unaffiliated enterprises, as subscribe to the Code of Discipline, are expected in principle to formulate a mutually agreed grievance procedure on the lines of the Model Grievance procedure or otherwise. Statistics are not maintained on grievance procedures so formulated and the number of complaints settled through them.

Study of Industrial Relations by Evaluation Wing

722. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) when the study of industrial relations in public as well as private sector undertakings was undertaken by the Evaluation Wing;

(b) the annual expenditure incurred on the Wing;

(c) the extent to which it has proved useful; and

(d) the major shortcomings detected in the implementation of industrial relations laws and labour laws in the Public Sector undertakings studied by it and the action taken by Government to remove these shortcomings ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy): (a) Studies in the public and private sector undertakings are being carried out since 1962 and 1967 respectively;

(b) As the officers conducting the studies in the Evaluation Wing discharge other functions also, it is not possible to indicate the exact expenditure incurred on the studies.

(c) The studies are found useful by the interests concerned.

(d) The implementation of the laws has been generally satisfactory. Shortcomings for corrective action are forwarded to the agencies concerned and the Evaluation Wing keeps in touch with the follow-up action taken by the authorities.

Amount Invested in Heavy Electrical Equipment Plant, Hardwar

723. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state:

(a) the total amount invested so far in the Heavy Electrical Equipment Plant, Hardwar and the share of India and U.S.S.R. therein;

(b) the annual administrative espenditure incurred on the Plants and the nature of value of goods produced annually indicating whether the capacity of the plant is being utilised fully; and

(c) whether the plant is running at a loss at present and if so, the total amount thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Heavy Industry (Shri Siddheshwar Prasad): (a) to (c) Total amount invested in the Heavy Electrical Equipment Plant, Hardwar is Rs. 92.58 crores. The entire investment is by the Govt. of India. U.S.S.R. have no share in it.

The administrative expenditure icurred on the plant during 1972-73 was Rs. 1.7 crores. Equipment for thermal and hydro power stations and heavy duty motors worth Rs. 23 crores were produced in the plant during 1972-73. The installed capacity is higher than present output, since operation skills are in the process of being developed. The rated output is expected to be reached in 1975-76.

The plant is running at a loss at present. The loss during 1972-73 amounted to Rs. 3.6 crores. The cumulative loss is Rs. 20.06 crores.

Price of Coal

724. **Shri M. C. Daga :**

Shri Chandulal Chandrakar:

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the price of coal per tonne at the time of nationalisation of coal mines and prce prevailing at present and the reasons for the steep rise in the price thereof; and

(b) the steps taken by Government to make coal available to the consumers easily?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) There is no statutory control on coal prices. The Coal Mines Authoritiy, after the take-over of the non-coking coal mines, adopted the prices notified by the Joint Working Committee of the Private Sector, as effective from 1st December, 1972. These were: **Bengal and Bihar coalfields.**

Grade of Coal	Steam	Slack
	Rs.	Rs.
Selected A	48.00	47.00
Selected B	45.00	42.00
Grade I	42.00	39.00
Grade II	38.00	35.00
Grade III A	35.89	32.62
Grade III B	34.74	31.45
Outlying Fields, M.P., Maharashtra, Orissa and Gujarat.		
Selected	46.50	44.50
Grade I	44.25	41.25
Grade II	42.25	39.25
Grade III.	41.25	38.25

The Coal Mines Authority has not since increased these prices. On the other hand, where there are subsisting agreements with consumers, assurances have been given of readjustment of prices after verification of the agreements.

Coal Mines Authority has also not increased the prices of Soft Coke prevailing prior to the take-over. It will be evident, therefore, that the ex-colliery prices have not increased after 31st January, 1973.

However, some traders, taking under advantage of the shortage of coal supplies in some regions due to inadequate rail transport and temporary difficulties arising out of the take-over of the management of the non-coking coal mines by the Government, have reportedly charged higher prices.

(b) The Railways are making efforts to improve the wagon availability for ensuring increased coal supplies to the areas of shortage. The Central Government are also taking steps to bring down prices by maintaining close coordination with the State Governments and by ensuring distribution through State Administrations, wherever necessary. A dump has also been recently opened by Coal Mines Authority in Calcutta for selling soft coke to priority consumers.

उत्तर वियतनाम के आर्थिक पुर्ननिर्माण के लिए सहायता देने का प्रस्ताव

725. **श्री एच० एन० मुकर्जी**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का विचार युद्ध से नष्ट उत्तर वियतनाम के आर्थिक पुर्ननिर्माण के लिए सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर वियतनाम को किस प्रकार की सहयता दी जाएगी और कितनी सहायता दिए जाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय सहायता का कृषि, पशु-चिकित्सा एवं उद्योग और विद्यार्थियों के लिए वजीफे देने के क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाने की सम्भावना है। वियतमान लोक गणराज्य की सरकार ने भारत सरकार से बहुत सी प्रार्थनाएं की हैं जिन पर विचार किया जा रहा है ।

दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की सप्लाई पर नियंत्रण के बारे में सुरक्षा परिषद् में चर्चा कराने का प्रस्ताव

726. **श्री एच० एन० मुकर्जी**: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्वेत अफ्रीका, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में सैनिक तैयारियां की जा रहीं हैं ;

(ख) क्या यह सैनिक तैयारियां उन पश्चिमी देशों की सहायता से ही सम्भव हुई हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा हथियारों की सप्लाई पर लगाए गये प्रतिबन्धों का उल्लंघन करके जातिवादी शासन को सैनिक साज सामान सप्लाई करते रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या दक्षिण अफ्रीका को अब से सैनिक सहायता बन्द कराये जाने के विचार से सरकार का इस प्रश्न को सुरक्षा परिषद् में उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख) जी हां ।

(ग) यह मामला जब कभी सुरक्षा परिषद् और अन्य संस्था में आया है, भारत ने बार-बार इस प्रकार की सैन्य सहायता बन्द करने की मांग की है । भारत, सुरक्षा परिषद् में तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य संस्थाओं में भी दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध हथियारों के प्रतिबन्ध पर कारगर अमल कराने की मांग निरन्तर करता रहेगा ।

सिक्किम में त्रिपक्षीय समझौते का क्रियान्वयन

727. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 मई, 1973 को भारत, चोग्याल और सिक्किम की राजनीतिक दलों द्वारा हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते को क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस समझौते को क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी हां, । 8 मई, 1973 के त्रिपक्षीय करार की व्यवस्थाओं के अनुसार मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति कर दी गई है और वह उसकी व्यवस्था के अनुरूप अपना कर्त्तव्य और कार्य कर रहे हैं । भारत सरकार ने सिक्कम में विधि व्यवस्था, सांप्रदायिक सामंजस्य और अच्छे प्रशासन का जिम्मा लिया था । सरकार को इन उद्देश्यों की प्राप्ति में बहुत सफलता मिली है ।

इस करार में यह व्यवस्था भी है कि "एक व्यक्ति एक वोट" के सिद्धान्त पर अमल करने की दिशा में लोगों के व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव का अधिकार प्राप्त होगा । भारत के चुनाव आयोग को सिक्किम में स्वतन्त्रतापूर्वक ईमानदारी से चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वह यथासमय चुनाव आयोजित करने की तैयारी करने की दिशा में बहुत सा अध्ययन करने की दिशा में जुटा हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पुनर्वास विभाग में कुछ राजपत्रित अधिकारियों से कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

728. **श्री बी० के० दास चौधरी:** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री पुनर्वास विभाग के कुछ राजपत्रित अधिकारियों से कथित अनियमितताओं/गल्तियों/त्रुटियों सम्बन्धी स्पष्टीकरण के बारे में 11 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5824 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पष्टीकरणों की जांच कर ली गई है तथा इस मामले में निर्णय कर लिया गया है;

(ख) क्या अधिकारियों को दण्डित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) जी, हां, एक मामले को छोड़कर जिसमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी सलाह देने के लिए कुछ रिकार्ड देखने की इच्छा व्यक्त की है ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के अनुसार, दो अधिकारियों के विरुद्ध नियमित विभागीय कार्यवाही की जा रही है और उन्हें दण्ड देने का प्रश्न विभागीय कार्यवाही के निष्कर्ष पर निर्भर होगा । एक मामले में सम्बन्धित अधिकारी को सम्बन्धित मंत्रालय, जिसमें उसका स्थानान्तरण हो गया है, के माध्यम से चेतावनी दी जा रही है । शेष तीन मामलों में किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

चीन द्वारा श्रीलंका में अड्डा स्थापित किया जाना

729. **श्री बी० के० दास चौधरी:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने श्रीलंका में एक अड्डा स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) सरकार को इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बोनस पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन

730. **श्री बी० के० दास चौधरी:**
श्री रानेन सेन:

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोनस पुनरीक्षण समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

छोटे इस्पात कारखानों द्वारा उत्पादित इस्पात की मात्रा

731. **श्री रानेन सेन:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान कितने छोटे इस्पात कारखानों की स्थापना की गई और उनमें कितनी मात्रा में इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ख) छोटे इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिए और कितने लाइसेंस जारी किये गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) और (ख) स्क्रैप से इस्पात पिण्ड/बिलेट तैयार करने के लिए विद्युत् भट्टियों/लगातार ढलाई कारखानों की स्थापना के लिए 1 जनवरी, 1972 से लेकर 13 औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र दिए गए हैं। इसके अलावा औद्योगिक लाइसेंस देने की उदार नीति के अन्तर्गत लोहा और इस्पात नियंत्रक द्वारा 48 विद्युत् भट्टियों को पंजीकृत किया गया है ।

पता चला है कि उपर्युक्त में से 14 ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है । जनवरी, 1972 से मार्च, 1973 की अवधि में इन इकाइयों का कुल उत्पादन 1.64 लाख टन बताया जाता है ।

इसके अलावा हाल में 3 और ऐसी योजनाओं को आशय पत्र देने की अनुमति दी गई है जिनकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 1,50,000 टन इस्पात पिण्ड/बिलेट होगी ।

वर्ष 1973 के लिए बोनस

732. **श्री रानेन सेन:** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नियोजकों को सलाह दी है कि कर्मचारियों को गत वर्ष की भांति चालू वर्ष में भी 8.33 प्रतिशत बोनस दिया जाय ; और

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि इस सलाह की सांविधिक तौर पर पुष्टि न मिलने के कारण अधिकांश कर्मचारी इसकी उपेक्षा करेंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) नियोजकों के संगठनों को यह कहा गया है कि वे अपने घटकों को यह सलाह दें कि वे 1972 में किसी भी दिन से आरम्भ होने वाले लेखा वर्ष के लिए न्यूनतम बोनस का भुगतान ऐसी दर से करें जो 8.33 प्रतिशत से कम न हो ।

(ख) सरकार को आशा है कि नियोजक उनकी सलाहनुसार चलेंगे । तथापि, इस विषय पर कानून बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों की पूर्ण डाक्टरी देख रेख की व्यवस्था

733. **श्री रानेन सेन :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के परिवारों को अस्पताल में दाखिल कराके इलाज करने के साथ-साथ पूर्ण डाक्टरी देख रेख की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्नलिखित सूचना दी है :–

(क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों को उन सभी केन्द्रों में जहां या तो पृथक अस्पताली पलंग निर्मित किए गए हैं या प्रयाप्त संख्या में पलंग सरकारी नगरपालिका और अन्य अस्पतालों में आरक्षित किए जा सकते हैं, अस्पताल में भर्ती करने की सुविधा सहित पूर्ण चिकित्सा का प्रबंध करने का निर्णय ले लिया है। 11.45 लाख बीमाकृत व्यक्तियों के परिवार एककों को पहले ही पूर्ण चिकित्सीय देख रेख की सुविधा अस्पताल में भर्ती सहित, दी गई है। राज्य सरकारों को पूर्ण चिकित्सीय देख रेख की सुविधा की व्यवस्था करने के संबंध में उत्साह देने के लिए पूर्ण चिकित्सीय देख रेख पर खर्च की उच्चतम सीमा को 1.4.1973 से 70/– रुपये से बढ़ा कर 80/– रुपये कर दिया गया है।

(ग) चूंकि कर्मचारी राज्य बिमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा देख रेख का प्रबन्ध करना राज्य सरकारों का दायित्व है, इसलिए यह संकेत करना कठिन है कि कब तक बीमाकृत व्यक्तियों के सभी परिवार पूर्ण चिकित्सीय देख रेख की सुविधा पा सकेंगे ।

चीन के साथ सामान्य सम्बन्ध बनाना

734. **श्री समर गुहः** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अपने हाल ही के कनाडा दौरे के दौरान वहां पर प्रेस को बताया था कि भारत ने दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध स्थापित करने के बारे में चीन को कई संकेत दिय थे, और यदि हां, तो चीन को दिये गए संकेतों का ब्यौरा क्या है ।

(ख) क्या सरकार का ध्यान श्रीलंका सरकार के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि वे भारत और चीन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए बातचीत करने को तैयार हैः और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या उस भारतीय डाक्टर को जो चीन में वर्ष 1930 से 1939 तक की अवधि में भूतपूर्व इंण्डियन मैडिकल मिशन का सदस्य था और जो अब चीन के दौरे पर जा रहा है, को विस्तार-पूर्वक बता दिया गया है कि वह चीन की जनता को भारतीय जनता का मैत्री और सद्भावना का संदेश दें, और

(घ) क्या सरकार को चीन सरकार की ओर से पारस्परिक सूझबूझ और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का कोई संकेत मिला है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां, प्रधान मंत्री ने कहा था "हम लोग पहल करने के प्रयत्न कर रहे हैं और जब भी संभव होता है अपनी ओर से सुझाव देते रहते हैं"। हमने कुछ ठोस सुझाव दिये हैं और चीन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ख) जी हां। भारत में नियुक्त श्रीलंका के हाई कमिश्नर के इस आशय के सुझाव संबंधी वक्तव्य के समाचार सरकार ने अखबारों में देखे हैं। भारत और चीन का राजनयिक प्रतिनिधित्व एक दूसरे देश की राजधानियों में है और इसलिए किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है।

(ग) डा० बासू ने हाल ही में जो चीन की यात्रा की थी वह उनकी निजी यात्रा थी।

(घ) इस बात के कई संकेत मिले हैं कि चीन सरकार द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

विभिन्न देशों द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सहायता

735. **श्री समर गुह :**

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को हाल ही में चीन, अमरीका, ईरान, टर्की तथा अन्य देशों से विभिन्न हथियार प्राप्त हुए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या पाकिस्तान ने भारत पाक युद्ध के बाद नई सशस्त्र सेना गठित कर ली है और वह अपनी वायुसेना और नौसेना में वृद्धि करने में सफल हुआ है ; और यदि हां, तो इस संबंध में नवीनतम तथ्य क्या है ;

(ग) क्या पाकिस्तान तेहरान-पिण्डी पीकिंग सैनिक गठबंधन भारत के विरुद्ध बनाने का प्रयत्न कर रहा है; और यदि हां तो पाकिस्तान को इस बारे में कितनी सफलता मिली है; और

(घ) क्या **रक्षा** मंत्री ने अपनी हाल ही की रूस यात्रा के दौरान भारत के प्रति पाकिस्तान की लडाकू नीति और शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के बारे में रूस सरकार से विचार विमर्श किया था और यदि हां, तो इस बारे में रूस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सरकार इस बात से अवगत है कि पाकिस्तान ने नई यूनिटें खड़ी करने तथा हथियरों के प्राप्त करने से अपनी वायू, थल तथा नौसैनिक शक्ति को बढ़ा लिया है। इस संबंध में पाकिस्तान ने कई देशों से सहायता प्राप्त की है। तथापि इस सूचना को बताना लोकहित में नहीं होगा।

(ग) सरकार इस बात से अवगत है कि पाकिस्तान ईरान तथा चीन से घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं।

(घ) मास्को में सोवियत प्राधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री की बातचीत उपमहाद्पीय की सुरक्षा सहित आपसी हित के मामलों से संबंधित सामान्य बातचीत थी।

हिन्द महासागर में शान्ति क्षेत्र बनाने के लिए दक्षिण एशियाई देशों के सम्मेलन का प्रस्ताव

736. **श्री समर गुहः** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका, रूस और चीन जैसे बड़े देशों को इस बात के लिए राजी करने हेतु कोई नये प्रयास किये गये हैं कि वे हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर ले ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या हिन्द महासागर के आसपास के दक्षिण एशियाई देशों का एक सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव है ताकि हिन्द महासागर को संघर्ष तथा विरोधी नौसैनाओं की उपस्थिति से मुक्त कराने के लिए बड़ी शक्तियों पर भरपूर दबाव डाला जा सके ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरन्द्र पाल सिंह) (क) और (ख) : दिसम्बर 1971 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव संख्या 2832 (xxvi) में, "इस घोषणा के अनुरूप बड़े-बड़े देशों से कहा गया है कि वे हिन्द महासागर के तटीय देशों के साथ इस दृष्टि से तत्काल परामर्श करें कि (क) हिन्द महासागर में उनकी सेना के और विस्तार और वृद्धि को रोका जाए ; (ख) हिन्द महासागर के सभी अड्डे, सैन्य संस्थापनाएं, सैनिक संभरण सुविधाएं समाप्त की जाएं और हिन्द महासागर में बड़े देशों की सैनाओं की तैनाती की स्थिति को समाप्त किया जाए जो कि बड़े देशों की प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में निहित है।" चीन ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ तथा अन्य देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। पिछले सत्र (27वें) में महासभा ने एक और प्रस्ताव संख्या 2992 (xxvii) पास किया जिस में 15 देशों की एक तदर्थ समिति नियुक्त करने की बात कही गई, जिसका भारत सदस्य है, कि वह समिति शांति क्षेत्र के प्रस्ताव की संभावनाओं का अध्ययन करे। भारत ने भी इस वर्ष अप्रैल, मई और जून में न्यूयार्क में तदर्थ समिति की बैठकों में तथा अप्रैल में तटीय देशों और पृष्ठप्रदेशों के विचार-विमर्श में भाग लिया। तदर्थ समिति से कहा गया है कि वह 28वें सत्र में महासभा को रिपोर्ट पेश करे।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में कोयले का उत्पादन

737. **श्री समर गुहः** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के प्रबंध का पुनर्गठन-कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) क्या कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात कोयले का उत्पादन घट गया है ;

(ग) क्या खानों के राष्ट्रीयकरण के तुरन्त पश्चात खानों के मुहानों पर कोयले के अलेखाबद्ध अभाव के कारण कोयले के उत्पादन में बनावटी वृद्धि हो गई है ; और

(घ) राष्ट्रीयकरण से पूर्व और राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयला उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

इस्ताप और खान मंत्रालय में उपमंत्री, (श्री सुबोध हंस्दा): (क) जी, नहीं। प्रबन्ध का पुनर्गठन प्रगति पर है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) 30-1-73 के पश्चात् जिन खानों का प्रबन्ध ग्रहण किया गया था उनके बारे में और पूरे उद्योग का 1973 में कोयला उत्पादन, विगत वर्ष में उसी कालावधि के दौरान के उत्पादन की तुलना में, इस प्रकार रहा है :—

	30-1-73 के पश्चात् प्रबंध ग्रहण की गई खानें		पूरा उद्योग	
	1973	1972	1973	1972
	(लाख टनों में)			
फरवरी . .	3.49	3.01	6.63	5.93
मार्च .	3.59	3.24	6.69	6.21
अप्रैल . .	3.48	3.31	6.95	6.20
मई	3.49	3.28	6.46	6.24
कुल :	14.05	12.84	26.73	24.58—

कोयले के उत्पादन में वृद्धि और मूल्य में गिरावट

738. **श्री समर गुह:**

श्री हुकम चन्द कछवाय:

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीयकृत की गई कोयला खानों में कोयले का उत्पादन कम होने से सामान्य उपभोक्ताओं के लिए कोयले का मूल्य बहुत तेजी से बढ़ गया है और धातुकर्म उद्योगों और बिजली घरों को कोयले की सप्लाई कम हो गई है। और

(ख) यदि हां, तो कोयले का उत्पादन और उसकी सप्लाई बढ़ाने तथा विशेषकर सामान्य उपभोक्ताओं के लिए कोयले का मूल्य कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) जी, नहीं । कोयले के उत्पादन में कोई कमी नहीं रही है। ग्रहीत की गई खानों में उत्पादन विगत वर्ष के तत्समानी कालावधि की तुलना में इस वर्ष अधिक अच्छा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

पंजीकृत बेरोज़गार व्यक्ति

739. **श्री सी०कें० चन्द्रप्पन :**

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों के राज्य-वार वर्तमान आंकड़े क्या हैं ;

(ख) गत दो वर्षों के आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कैसे हैं ; और

(ग) इस अवधि के दौरान राज्य वार कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई / देखिए संख्या एल० टी०-5197/73]

राष्ट्रीयकृत खानों के कार्यकरण में सुधार और उनमें सुरक्षा

740. **श्री सी० कें० चन्द्रप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भी राष्ट्रीयकृत खान के कार्यकरण में अब सुधार के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं ; और

(ख) क्या उनके राष्ट्रीयकरण से लेकर अब तक उनके उत्पादन में वृद्धि हुई है; और (ग) खानों में कार्य करने की शर्तों और खान सुरक्षा में सुधार करने हेतु क्या नई सुविधायें दी गई हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) जी नहीं।

(ख) जी, हां। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उत्पादन में वृद्धि हुई है।

(ग) खानों में कार्यकरण की स्थिति तथा सुरक्षा में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त मशीनरी, खान का सुव्यवस्थीकरण, खानों का कार्यकरण पुनर्गठन तथा सुरक्षा उपकरणों जैसे कि अतिरिक्त कैपलैम्प, लकड़ी चूना-धूलि, गैस देग्रो डिटेक्टर्स इत्यादि की आपूर्ति के रूप में नई सुविधाएं प्रदान की गई हैं तथा की जा रही हैं।

केरल में प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय खोला जाना

741. **श्री सी० कें० चन्द्रप्पन :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) विलम्ब का मुख्य कारण गैर योजना व्ययों में आर्थिक बचत की बढ़ती हुई आवश्यकता एवं नये पद बनाने पर प्रतिबंध रहा है। फिर भी हाल ही में एक कार्य अध्ययन दल क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मद्रास, भेजा गया जिसमें कि फिलहाल केरल से सम्बद्ध पासपोर्ट का काम किया जा रहा है इस दल का उद्देश्य इस बात का अनुमान लगाना था कि केरल में अलग से पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करने के लिए ठीक-ठीक कितने अतिरिक्त अमले की आवश्यकता होगी। कार्य अध्ययन दल की सिफारिशों पर काफी हद तक विचार किया जा चुका है।

पाकिस्तान स्थित बंगालियों पर मुकद्दमा चलाये जाने के बदले में कुछ उच्च पाकिस्तानी असैनिक लोगों पर मुकद्दमा चलाने का प्रस्ताव

742. **डा० हरि प्रसाद शर्मा:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान स्थित बंगालियों पर मुकद्दमा चलाने की पाकिस्तान के राष्ट्रपति की धमकी के बदले में बंगलादेश सरकार ने हाल ही में भारत और बंगलादेश में पाकिस्तानी उच्च असैनिक बंदियों पर मुकद्दमा चलाने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो युद्ध बंदियों और असैनिक बंदियों को वापस स्वदेश लौटाने संबंधी भारत-बंगालादेश के संयुक्त प्रस्ताव के संदर्भ में इस प्रस्ताव पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम क्या निर्णय लिया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) बंगलादेश सरकार के इस आशय के किसी प्रस्ताव की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारी एककों के लिए फालतू पुर्जों का भण्डार

744. **चौधरी राम प्रकाश:** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष ने भारी एककों के लिए फालतू पुर्जों का भण्डार बनाये जाने की दलील दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा इंजीनियरी रख रखाव (मेनटनेंस इंजीनियरिंग) पर कलकत्ता में आयोजित की गई विचार गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष ने भारी पूंजी निवेश वाले उद्योगों में उपकरणों का पूर्ण उपयोग न होने तथा डाउनटाइम को कम करने तथा अच्छे रख रखाव के बारे में बोलते हुए दीर्घकालीन आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक पता लगाने के पश्चात् क्रान्तिक फालतू पुर्जों का उचित स्टाक करने की आवश्यकता के बारे में कहा था।

(ख) सरकार की नीति क्रान्तिक फालतू पुर्जों को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने में हर किस्म की सहायता देने की है जहां तक इन का स्टाक करने के सुझाव का प्रश्न है सरकार विशिष्ट प्रस्तावों की प्रतीक्षा करना चाहती है।

कोयले की अनुपलब्धता के कारण दिल्ली में बन्द हुए कारखाने

745. **चौधरी राम प्रकाश:** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की अनुपलब्धता के कारण दिल्ली में अनेक कारखाने बंद हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

शिक्षित बेरोज़गार व्यक्ति

747. **मौलाना इसहाक संभली** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार कार्यालयों से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों के अनुसार रोजगार के इच्छुक शिक्षित व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उनमें बढ़ती हुई बरोजगारी की समस्या हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) 31.12.1972 को, 32,74,182 (मैट्रिक तथा अधिक योग्यता प्राप्त)।

(ख) भारत सरकार ने शिक्षित बरोजगारों की समस्या का प्रत्यक्ष एवं प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए, सामान्य योजना कार्यक्रम के अतिरिक्त, विशेष रोगजार योजनाएं शुरू की हैं। इस प्रयोजनार्थ 1971-72 में शुरू की गई विशेष रोज़गार योजनाएं अभी जारी हैं और 1973-74 के लिए इन योजनाओं के अन्तर्गत 62.88 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, 1972-73 में 27 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था के साथ सभी राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों में एक विशेष रोज़गार कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के लिए राज्यों का अंशदान भी समान था। 1973-74 में भी इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए 27 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, 1973-74 में पांच लाख नौकरियों का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके लिए 100 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है।

मई-जून, 1973 में प्रधान मंत्री का विदेशों का दौरा

748. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने मई-जून, 1973 में श्रीलंका, कनाडा तथा अन्य देशों का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो दौरे के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) और (ख). प्रधानमंत्री ने 27 से 29 अप्रैल, 1973 तक श्री लंका की यात्रा की। उन्होंने 15 जून से 17 जून, 1973 तक यूगोस्लाविया की तथा 17 जून से 24 जून, 1973 तक कनाडा की यात्रा की।

ऐसी प्रत्येक यात्रा से प्रधान मंत्री की द्विपक्षीय सम्बन्धों तक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के समान हित की घटनाओं पर सम्बन्धित नेताओं से विचार-विमर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ। इन यात्राओं के कारण राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य क्षेत्रों में भारत और इन देशों के बीच विद्यमान सम्बन्धों को और सुदृढ़ करने में मदद मिली है और भारतीय उपमहाद्वीप कि स्थिति के सम्बन्ध में विदेशों में बेहतर समझबूझ पैदा हुई है।

रक्षा प्रयोजन के लिए-चमोली और गढ़वाल जिलों की कृषि भूमि प्राप्त करना

749. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962 के चीनी आक्रमण को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने चमोली तथा गढ़वाल जिलों के किसानों की कुछ कृषि भूमि रक्षा प्रयोजन के लिए प्राप्त की थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) गढ़वाल क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र अर्जित किए गए थे :–

(1) चमोली	—	91.34 एकड़
(2) उत्तर काशी	—	44.57 एकड़
(3) टिहरी	—	1.30 एकड़
(4) पौड़ी	—	7.49 एकड़
कुल अर्जित भूमि		104.587 एकड़

इस्पात उद्योग के विस्तार के लिये पांचवी योजना में कार्यक्रम

750. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना की अवधि में इस्पात उद्योग के विभिन्न पहलुओं के विस्तार कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निजी/सरकारी क्षेत्रों में कितने नये इस्पात कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव है ; वर्तमान क्षमता में कितना विस्तार करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है ; उक्त कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने पर कितनी धनराशि खर्च होगी और उसके परिणामस्वरूप मांग और सप्लाई के अन्तर में कितनी कमी हो जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) पांचवी योजना अवधि के दौरान इस्पात विकास कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को, जिनमें प्रत्येक योजना पर खर्च होने वाली धनराशि भी शामिल है, अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। सरकार प्रस्तावों के मसौदों पर विचार कर रही है।

(ख) पाँचवी योजना अवधि के इस्पात विकास कार्यक्रम के लिए प्रस्तावों के मसौदों में भिलाई इस्पात कारखाने का 25 लाख टन पिण्ड से 40 लाख टन पिण्ड तक विस्तार करना, बोकारो इस्पात कारखाने का 47.5 लाख टन पिण्ड तक विस्तार करना तथा सेलम. विजयनगर और विशाखापत्तनम में लगाए जाने वाले 3 नए इस्पात कारखानों के काम को जारी रखने की परिकल्पना की गई है। जमशेदपुर स्थित टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कारखाने के विस्तार के प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं।

यह कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है जिससे पांचवी योजना अवधि के अन्त तक साधारण इस्पात के मामले में प्रायः आत्मनिर्भरता प्राप्त हो सके।

झारिया-रानीगंज कोयलाखानों में उत्पादन में कमी

751. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या झारिया-रानीगंज कोयला खानों से कोयले के उत्पादन में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते हैं।

राष्ट्रीय मजूरी नीति

752. **श्री जगन्नाथ मिश्रः**

श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ाः

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्टीय मजूरी नीति के बारे में कोई निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी वेंकटस्वामी): (क) और (ख) मामला अभी तक भी विचाराधीन है।

अमरीका में मनोनीत भारतीय राजदूत द्वारा अमरीकी राष्ट्रपति को परिचय-पत्र प्रस्तुत करना

753. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में मनोनीत भारतीय राजदूत श्री टी० एन० कौल को अमरीका के राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत करने के लिये पूरे एक महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी ;

(ख) क्या भारतीय राजदूत को एक महीने पश्चात अन्य बहुत छोटे देशों के राजदूतों के साथ अमरीकी राष्ट्रपति ने स्वागत किया था और तब भी भारतीय दूतावास का प्रतीक्षा सूची में तीसरा स्थान था ; और

(ग) यदि हां, तो भारत के प्रति अमरीका सरकार के उक्त रवैये के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिह) : (क) से (ग) हरेक देश के नयाचार का तरीका अलग-अलग होता है। श्री त्रिलोकी नाथ कौल के प्रत्यय-पत्र, अमरीकी सरकार के तत्संबंधी सामान्य व्यवहार के अनुसार प्रस्तुत किए गए थे।

रोटेरी वेन्कल इंजन्स द्वारा मोटरगाड़ियों के परम्परागत पिस्टन इंजनों का बदलना

754. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोटेरी वेन्कल इंजन्स द्वारा मोटर गाड़ियों के परम्परागत पिस्टन इंजनों के बदलन का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इन इंजनों के लगाए जाने से वायुदूषण में कमी होगी और इससे बचत होगी ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) मोटर गाड़ियों में लगाने के लिए वेंकल सेटरी इंजिन के विकास से सरकार अवगत है। वेंकल इंजिन का प्रयोग और उसका वाणिज्यिक उत्पादन अभी हाल ही में आरंभ हुआ है, और यह विश्व की कुछ ही कम्पनियों तक सीमित है। अभी तक रोटरी इंजिन उत्पादन लागत के आधार पर उसमें लगने वाले इस्पात की विशिष्ठताओं और उसमें निहित उत्पादन प्रक्रियाओं के कारण पुराने इंजिनों का मुकाबला नहीं कर सका है। इसके अलावा, वेंकल इंजिन चालू करने के लिये देश में उपलब्ध टैकनालाजी अभी पर्याप्त नहीं है। फिर भी, भारत में इस प्रकार के इंजिनों का उत्पादन और विकास करने के लिए सरकार देशी निर्माताओं के प्रयासो को समुचित प्रोत्साहन देगी।

रक्षा योजना पर योजना आयोग के साथ विचार विमर्श

755. **श्री नवल किशोर शर्मा**:: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा योजना के **बारे में** सरकार ने पहली बार योजना आयोग से विचार विमर्श किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी सभी योजनाओं का राष्ट्रीयकरण आर्थिक योजना में एकीकरण करने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

हड़तालो, तालाबन्दी और जबरन छुट्टी के कारण

756. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में हड़ताल, तालाबंदी और जबरन छुट्टी के क्या कारण थे ; और

(ख) सरकार हड़तालों आदि को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) उपलब्ध सूचनानुसार, 1970

1971 और 1972 के दौरान विवादों की संख्या, कारणों के प्रयोजनों के वर्गीकरण के अनुसार निम्न प्रकार थी :—

कारण-वर्ग	विवादों की संख्या		
	1970	1971	1972
			(अनंतिम)
मजूरी और भत्ते	1,055	935	835
बोनस	300	384	210
कार्मिक	594	476	489
छटनी . .	134	149	147
छुट्टी एवं कार्य के घंटे	61	39	36
अनुशासनहीनता और हिंसा	109	97	130
अन्य ज्ञात नहीं	590	643	877
ज्ञात नहीं	46	29	188
जोड़	2,889	2,752	2,912

(ख) हड़तालों और तालाबंदियों के कारण काम के रुकने को न्यूनतम करने के लिये अद्योगिक सम्पर्क तन्त्र द्वारा प्रारंभिक बातचीत, संराधन और न्याय-निर्णय या मध्यस्थता, जैसा कि वर्तमान अधिनियम एवं स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत आवश्यक है, प्रयास जारी है। सरकार भी औद्योगिक संबंधों में सुधार लाने हेतु सम्सत उपाय निकालने के लिए संबंधित पक्षों से बातचीत करती आ रही है।

कृषि श्रमिकों की समस्याओं के अध्ययन के लिए विशेषज्ञों के एक सैल का गठन

757. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों के एक सैल का गठन करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) और (ख) : जी हां। प्रस्तावित सेल से संबंधित गठन, कृत्यों और अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार किया जा रहा है।

फ्रांस हिन्द महा सागर से अपनी सेनाएं हटाने को तैयार

758. **श्री सी० के० जाफर शरीफः**

श्री रणबहादुर सिंहः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस हिन्द महासागर से अपनी सेनाएं हटाने के लिए सहमत हो गया है ; **और**

(ख) यदि हां, तो उन अन्य देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने यही कार्यवाही की है और उनके नाम क्या हैं जो अपने नौसैनिक बेड़े वहीं रखे हुए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले और बिजली की कमी से प्रभावित इस्पात संयंत्र

759. श्री सी० के० जाफर शरीफ:

श्री आर० वी० स्वामीनाथन:

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन मास से सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात संयंत्रों पर कोयले और बिजली की कमी का प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो कितना; और

(ख) उत्पादन की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) जी, हां। बिजली की कटौती से गत तीन महीनों में कोयले के उत्पादन तथा इसके साफ करने के काम पर प्रभाव पड़ा है और परिणामस्वरूप सभी इस्पात कारखानों में इस्पात के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। भिलाई को छोड़कर सभी इस्पात कारखानों के बेलन कार्यक्रम पर भी बिजली की कटौती का सीधा प्रभाव पड़ा है। चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में विक्रेय इस्पात का उत्पादन 957,000 टन हुआ जबकि गत वर्ष में इसी तिमाही का उत्पादन 1,018,000 टन था फिर भी इस वर्ष अप्रैल-जून की तिमाही के लिए 1,250,000 टन का लक्ष्य रखा गया था। उत्पादन में भारी कमी का कारण बिजली की कटौती तथा कोयल की कमी था। कोयले की कमी बिजली की कटौती के कारण हुई।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों तथा दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों को इस्पात कारखानों, कोयला खानों तथा कोयला शोधन शालाओं को उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से कहा गया था। आशा की जाती है कि मानसून के शुरू हो जाने से पन-विद्युत की स्थिति में काफी सुधार होगा जिसके परिणामस्वरूप कोकिंग, कोयले तथा इस्पात का उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

एच० एस०-748 विमान की परीक्षण के लिए ब्रिटेन को उड़ान

760. श्री एच० एम० पटेल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एस० 748 विमान के प्रमुख निर्माता हाकर सिडेली एवीएशन लिमिटेड द्वारा इस विमान के परीक्षण के लिए हाल में ब्रिटेन को उड़ान कराई थी ; और

(ख) क्या उन्होंने परीक्षण कार्य पूरा कर लिया है और यदि हां, तो इस संबंध में प्रमुख निर्माता द्वारा क्या रिपोर्ट दी गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) प्रमुख निर्माता द्वारा अभी तक जो परीक्षण आवश्यक समझे गए हैं वे पूरे कर लिए गए हैं और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

ट्रैक्टरों का आयात बन्द किया जाना

761. **श्री एच० एम० पटेल:**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब और ट्रैक्टरों का आयात बन्द करने का निर्णय किया है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप ऐसी कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी जिसे पहले ट्रैक्टरों के आयात के लिये नियत किया गया था ; और

(ग) क्या इससे देश में ट्रैक्टर उद्योग के विकास को सहायता मिलेगी ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मांग और देशी क्षमता के प्रसंग में भारी उद्योग मंत्रालय का विचार है कि ट्रैक्टरों के आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ख) विदेशी मुद्रा का कोई वार्षिक नियतन नहीं किया गया था । बचत स्वभावतः आयातित ट्रैक्टरों की संख्या और मेक और बिलोपन (डिलीशन) की दरों से सम्बद्ध होती हैं ।

(ग) जी, हां।

युद्ध बन्दियों को दिये गए भोजन के विरुद्ध प्रचार

762. **श्री प्रसः भाई मेहता:**

श्री आर० वी० स्वामीनाथन:

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान यह प्रचार कर रहा है कि युद्ध बंदियों को उपयुक्त भोजन नहीं दिया जा रहा है; और

(ख) क्या भारत ने इस का खंडन किया है तथा रेड क्रास को अन्तर्राष्ट्रीय समिति से तथ्य को सत्यापित करने का अनुरोध किया है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): (क) और (ख) पाकिस्तान यह प्रचार कर रहा है कि युद्ध बन्दियों के साथ जिनेवा समझौते के अनुसार वर्ताव नहीं किया जा रहा है। इस बारे में पाकिस्तान के आरोपों का भारत सरकार ने खंडन किया है। रेड क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति ने भी युद्ध बन्दी शिविरों के निरीक्षण संबंधी अपनी रिपोर्टों में इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि युद्ध बन्दियों के साथ जिनेवा समझोते के अनुसार बर्ताव किया जा रहा है ।

युद्ध बन्दियों को अग्रिम वेतन देना

763. **श्री प्रसन्नभाई मेहता:**

श्री शिव कुमार शास्त्री;

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिनेवा समझौते की धारा 60 के अन्तर्गत युद्ध बन्दियों को अग्रिम वेतन दिया जाता है जो पाकिस्तान से वसूल किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका भुगतान कर दिया गया है और पाकिस्तान से अब तक कितना वेतन वसूल किया जा चुका है, यदि नहीं, तो क्यों ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) वेतन की अग्रिम राशि हर मास नियमित रूप से दी जा रही है । परन्तु पाकिस्तान अभी तक कोई वसूली नहीं की गई है। तथापि ऐसे खर्चे की पाकिस्तान से वसूली जो कि जिनेवा समझौते के अधीन प्राप्य है , का प्रश्न उस समय उठाया गया जाएगा जबकि युद्ध बन्दियों की आम स्वदेश वापसी पर विचार किया जाएगा ।

श्रम सुधारों के लिए गुजरात का कार्यक्रम

764. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में श्रम-सुधार के अनेक कार्यक्रम आरम्भ किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो किए गए सुधारों की मोटी बातें क्या हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन सुधारों का अनुमोदन कर दिया है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इन सुधारों को अखिल भारतीय आधार पर लागू करने पर भी विचार कर रही है और यदि हां, तो इस दिशा में कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) औद्योगिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकार से वैधानिक प्रस्ताव प्राप्य हुए थे । इन की जांच की गई थी और भारत सरकार के सुविचारित मत राज्य सरकार को भेजे गए थे ।

(घ) राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, औद्योगिक संबंधों पर एक व्यापक विधान प्रस्तुत करने का विचार है ।

उद्योगों में बेरोज़गारी बीमा

765. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार संबंधी विशेषज्ञ समिति ने अपने प्रतिवेदन में कुछ उद्योगों में बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा करने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या समिति ने उन विशिष्ट उद्योगों का उल्लेख किया है जिनमें उक्त योजना लागू की जानी चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सुझाव स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का अध्ययन करने और सरकार को सुझाव देने के लिए योजना आयोग द्वारा एक अंतर्मन्त्रालय कार्यकारी दल पहले ही गठित किया जा चुका है।

भारत से वापिस गए पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों में पख्तूनों, बलूचियों, पंजाबियों और सिंधियों की संख्या

766. **श्री शशि भूषण :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में हिरासत में रखे गए युद्ध बंदियों में से अब तक कितने पख्तूनों, बलूचियों, पंजाबियों, सिंधियों तथा अन्य पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से वापिस भेजा गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : अभी तक 1643 पाकिस्तानी युद्ध बन्दी पाकिस्तान को लौटाए जा चुके हैं। पाकिस्तान में विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले ऐसे युद्ध बन्दियों के बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में बलूचिस्तान से आगे ईरान तक सड़क का बढ़ाना

767. **श्री शशि भूषण:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में सिंकियांग और गिलगिट से आगे बलूचिस्थान से आगे ईरान तक सड़क बढ़ाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इसका प्रयोग किस प्रयोजन के लिये किये जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि सिंकियांग-गिलगिट मार्ग को बढ़ाकर क्वेटा तथा ज़हिदान के बीच बने रहे राजमार्ग में मिलाने का कोई काम चल रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

मैसर्स कोर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के अपने अंशदान का भुगतान न करना

768. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स कोर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा अपने कारखाने के कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि में अपने अंशदान का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1973 तक वास्तव में कितनी राशि बकाया थी ; और

(ग) इसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और भुगतान न करने के कारण उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाए गए एक प्रतिष्ठान, मैसर्स कोर्स इंडिया लिमिटेड, बम्बई को इस अधिनियम की धारा 17(1) (क) के अधीन छूट प्रदान की गई है। यह भविष्य निधि अंशदानों को प्रत्येक माह नियमित रूप से नियत तिथि पर या उससे पहले न्यासी बोर्ड को हस्तांतरित कर रहा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

मैसर्स कोर्स इण्डिया लिमिटेड के अस्थायी कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान

769. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स कोर्स इंडिया लिमिटेड के कारखानों और कार्यालयों के बहुत से कर्मचारियों को काफी समय से अस्थायी रखा जा रहा है यद्यपि वे अनेक वर्षों से निरन्तर काम कर रहे हैं, फिर भी निश्चित अवधि के बाद उनकी सेवाओं में व्यवधान कर दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) इन फर्मों को ऐसा क्यों करने दिया जाता है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

पूर्वी यूरोप से इस्पात और लौह-मिश्रित धातुओं का आयात

770. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रुपयों में भुगतान करने वाले पूर्वी-यूरोप के देशों से इस्पात और लौह-मिश्रित धातुओं का आयात करने में कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है और स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) इस्पात तथा लौह-मिश्रित धातुओं का आयात माध्यम-अभिकरणों, वास्तविक उपयोक्ताओं, पंजीकृत निर्यातकों तथा उनके नामितों और निर्यातगृहों द्वारा किया जाता है। आयात में अपेक्षित किस्म के माल की उचित मूल्य पर उपलब्धि निर्णायक बात होती है। वे देश जिनके साथ रुपये में भुगतान किया जाता है यथासंभव माला में माल की पेशकश करते रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हाल में इन देशों की घरेलू मांग में वृद्धि हो गई है। इस कारण तथा उपलब्धि में कमी के कारण जो विश्वव्यापी है, प्रत्याशित स्तर तक आयात नहीं किया जा सका है ।

विदेशों में इण्डिया सप्लाई मिशन

771. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारत के कितने सप्लाई मिशन हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में उनके द्वारा कितने मूल्य की खरीदारी प्रति वर्ष की गई ;

(ग) प्रत्येक मिशन में कितने कर्मचारी हैं; और

(घ) इन मिशनों पर कितना वार्षिक व्यय किया जाता है ?

पूर्ति मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) दो ।

(ख) से (घ) 1. :गत तीन वर्षों में की गई खरीद का वार्षिक मूल्य।

	1970-71	1971-72	1972-73
1. भारत पूर्ति मिशन, वाशिंगटन	अमेरिकी डालर 209.09 मिलियन	अमेरिकी डालर 215.92 मिलियन	अमेरिकी डालर 228.86 मिलियन
2 भारत पूर्ति मिशन, लन्दन	2.45 मिलियन पौंड	3.7 मिलियन पौंड	3.24 मिलियन पौंड

2. मिशनों में कार्यरत कुल कर्मचारी (स्वीकृत संख्या)	1970–71	1971–72	1972–73
1. भारत पूर्ति मिशन, वाशिंगटन			
(क) महानिदेशक का कार्यालय	111	104	85
(ख) मुख्य लेखा अधिकारी का कार्यालय	39	38	34
2. भारत पूर्ति मिशन, लन्दन	185	185	170 (1-6-72 से नवम्बर, 72 तक उसके बाद 132)

3. मिशनों के रखरखाव पर किया गया कुल वार्षिक व्यय	1970–71	1971–72	1972–73
1. भारत पूर्ति मिशन, वाशिंगटन			
(क) महानिदेशक का कार्यालय	अमेरिकी डालर .83 मिलियन	अमेरिकी डालर .75 मिलियन	अमेरिकी डालर .65 मिलियन
(ख) मुख्य लेखा अधिकारी का कार्यालय	अमेरिकी डालर .25 मिलियन	अमेरिकी डालर .23 मिलियन	अमेरिकी डालर .20 मिलियन
2. भारत पूर्ति मिशन, लन्दन	.39 मिलियन पौंड	.37 मिलियन पौंड	.37 मिलियन पौंड (अनंतिम)

बेहतर औद्योगिक सम्बन्ध

772. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में बेहतर औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, और

(ख) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी वेंकटस्वामी): (क) और (ख) सरकार, वर्तमान सांविधिक और स्वैच्छिक उपायों के प्रवर्तन के माध्यम से विवादों की रोकथाम और उनके निपटान के द्वारा बेहतर औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करती रही है। तथापि, राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सरकार वर्तमान प्रक्रिया और रीतियों को सुधारने और उन्हें दोषरहित करने संबंधी कतिपय प्रस्तावों पर विचार कर रही है। इस संबंध में एक विधेयक यथाशीघ्र संसद में पेश किए जाने का विचार है।

Unauthorised entry of a man in Defence Ministry's Secretariat Building

773. Shri Phool Chand Verma:
Shri Vikram Mahajan:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether a person was arrested in his Ministry's Secretariat Building on 23rd May, 1973 under suspicious circumstances; and

(b) if so, the further information in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri J. B. Patnaik): (a) A person who was found under suspicious circumstances outside the security zone of South Block was apprehended and handed over to the Police.

(b) He was medically examined and also kept under observation. He was there after declared to be of unsound mind. He was discharged by the Court on 16th July

Coal Supply to States

774. Shri Phool Chand Verma: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the present requirement of coal in the various States, separately;

(b) the quantity of coal supplied per month to these states; and

(c) the reasons for not supplying their full requirements ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) and (b) A statement giving the required information is attached.

(c) The main reasons for shortfalls in supplies to the States have been inadequate availability of wagons for the transport of coal.

STATE MENT

State	Demand in 1972-73 (as assessed by the Committee on Assessment of Coal Demand in Dec. '71)	Supply per month (Provisional on an average basis)
	(In million Tonnes)	
1. Bihar	24.24	1.43
2. West Bengal	18.14	1.24
3. Haryana	0.62	0.02
4. Himachal Pradesh	0.06	0.001
5. Uttar Pradesh	11.06	0.61
6. Punjab	3.21	0.15
7. Orissa	4.77	0.27
8. Rajasthan	1.31	0.09
9. Madhya Pradesh	9.21	0.67
10. Maharashtra	4.08	0.33
11. Mysore	0.96	0.06
12. Gujarat	3.12	0.23
13. Tamil Nadu	2.37	0.11
14. Keral	0.02	0.001
15. Andhra Pradesh	2.94	0.24
16. Assam	0.31	0.02
17. Tripura	0.01	0.001
18. Jammu & Kashmir	0.01	0.001
19. Meghalaya	Negligible	Negligible
20. Nagaland	Negligible	Negligible
21. Manipur	Negligible	Negligible

NOTE :—(Does not include collieries consumption but includes duplicate movement).

Production of Coal and Modes of Transport used in moving Coal from Coal Mines

775. **Shri Phool Chand Verma**: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the average monthly production of coal mines since their nationalisation;

(b) the percentage of total production made available to the consumer; and

(c) the names of transport used for the movement of coal and the percentage of coal carried by each mode of transport?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) and (b). The average monthly production of coal in the country since the nationalisation of the Coking Coal mines in October '71 has been 6.36 million tonnes, out of which, on an average, about 90.4% was made available to the consumers.

(c) Coal is mostly moved by rail and to some extent by road, rail-cum-sea, and other means. Coal moved by rail represented about 69.5% of the production, while the coal moved by road and other means represented about 20.91% of the production.

Defence Production

776. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question given to No. 4252 on 22nd March, 1973 regarding Imports of equipment for the Department of Defence Supply and state the percentage of defence production done by us at present without assistance from any other country ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): Effort towards self-sufficiency in regard to Defence equipment is a continuing process. A comprehensive plan has been drawn up and is being updated with a view to increased achievement of self-sufficiency. The details of indigenous defence production are given in the Annual Report of the Defence Ministry which has already been placed before the House and it will be seen therefrom that the percentage of indigenous content varies among different items of defence equipment being produced indigenously.

विजयंत टैंक में इंफ्रा-रेड व्यूइंग उपकरण लगाना

777. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयन्त टेंकों में 'इन्फ्रा-रैड व्यूइंग' उपकरण लगा दिए गए हैं ; और

(ख) क्या "पैस्सिव नाइट व्यूइंग" उपकरणों का भी विकास किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल:) : (क) विजयन्त टैंक में इस प्रकार के उपकरण फिट किए जा रहे हैं।

(ख) जी हां, श्रीमन् ।

गाजिया बाद में श्रम व्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय

778. **श्री बसंत साठे:** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत लगभग पांच वर्षों से गाजियाबाद में श्रम ब्यूरो का एक क्षेत्रीय कार्यालय चल रहा है जिसमें लगभग तीन कर्मचारियों का फील्ड स्टाफ है ;

(ख) इतने कम फील्ड स्टाफ के लिए गजियाबाद में भवन किराये पर लेने का क्या औचित्य है जबकि उन्हें मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित मुख्य भवन में स्थान दिया जा सकता था; और

(ग) क्या सरकार गाजियाबाद के क्षेत्रीय कार्यालय को बन्द करके उक्त स्टाफ को नई दिल्ली के कार्यालय में स्थान देने पर विचार कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) गाजियाबाद स्थित श्रम ब्यूरो को उप-क्षेत्रीय कार्यालय, केवल एक क्षेत्र अधिकारी से जनवरी, 1971 में शुरू किया गया था ।

(ख) दिल्ली में नए कार्यालय खोलने पर लगाई गई रोक को ध्यान में रखते हुए, उपक्षेत्रीय कार्यालय को गाजियाबाद में स्थापित किया गया था।

(ग) गाजियाबाद स्थित उपक्षेत्रीय कार्यालय 1 जुलाई, 1973 से समाप्त किया जा चुका है और उस कार्यालय के एकमात्र क्षेत्र अधिकारी को प्रादेशिक कार्यालय, कानपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया है, जिसके अधीन गाजियाबाद में तैनात रहते समय भी काम कर रहे थे।

श्रम विभाग में इकानामिक इन्वेस्टीगेटर ग्रेड-1 के पद पर तदर्थ पदोन्नतियां

779. **श्री वसंत साठे :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में श्रम विभाग में कितने कर्मचारियों की इकानामिक इन्वेस्टीगेटर ग्रेड्स-1 के पद पर तदर्थ पदोन्नति की गई;

(ख) क्या बहुत से इकानामिक इन्वेस्टीगेटर ग्रेड-1 चार वर्ष से अधिक समय तक इस पद पर काम करने के बाद भी तदर्थ ही हैं जबकि प्रतिवर्ष काफी पद तदर्थ रूप से बिना संघ लोक सेवा आयोग को निर्दिष्ट किए जाते हैं; और

(ग) 3-5 वर्ष की निरन्तर सेवा कर चुके इकानामिक इन्वेस्टीगेटरों ग्रेड 1 के पदों को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाए जाएंगे?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) 14 (जैसे कि स्थिति 30-6-73 को थी)।

(ख) और (ग) 21 व्यक्ति 4 वर्षों से अधिक समय से तदर्थ आधार पर अन्वेषक, वर्ग-1 के पद पर कार्य कर रहे हैं। संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

श्रम ब्यूरो में हिन्दी के प्रचार के लिए स्टाफ नियुक्त न करना

780. **श्री वसन्त साठे :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाने और उसके प्रचार के लिए उपयुक्त स्टाफ की नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय के स्पष्ट आदेशों और मार्गदर्शी निर्देशों के बावजूद इस कार्य के लिए श्रम ब्यूरो में कोई कर्मचारी अब तक नियुक्त नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) श्रम ब्यूरो और उनके मंत्रालय के अन्य विभागों में हिन्दी को राजभाषा के रूप में अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाएंगे?

श्रम और पुरर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) यह प्रस्ताव है कि श्रम ब्यूरो की कर्मचारियों की समस्त आवश्यकता, जिसमें हिन्दी के कार्य संबंधी कर्मचारियों की आवश्यकता भी शामिल है, का अध्ययन वित्त मंत्रालय की कर्मचारी-वर्ग निरीक्षण इकाई द्वारा की जाए तथापि सचिवालय निरीक्षण इकाई द्वारा अध्ययन किए जाने तक, श्रम ब्यूरो के लिए थोड़े से कर्मचारियों की मंजूरी देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ग) श्रम ब्यूरो में तथा इस मंत्रालय के अन्तर्गत अनेक कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए किये गये प्रयासों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

कार्यालय का नाम :	हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयास ।
पुनर्वास विभाग :	इस विभाग तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी का वर्तमान कार्यभार निपटाने के लिए हिन्दी कर्मचारियों की आवश्यक व्यवस्था की गई है।
रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशलय :	इस प्रयोजन के लिए राज भाषा क्रियान्विति समिति स्थापित की गई है।
श्रम ब्यूरो :	हिन्दी कार्य के लिए विशेष कर्मचारियों की नियुक्ति होने तक, ब्यूरो की रिपोर्टों आदि के अनुवाद के कार्य को गैर-सरकारी एजेन्सियों को भुगतान पर देकर और हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों से मान-देय के आधार पर कार्य करवा कर केन्द्रीय राजभाषा क्रियान्विति समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे राज्यों से प्राप्त हिन्दीं पत्रों के उत्तर , जहां कि हिन्दी राजभाषा है, हिन्दी में दिए जा रहे हैं।
मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) :	हिन्दी का कार्य करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी के प्रस्ताव विचाराधीन हैं । अतिरिक्त हिन्दी कर्मचारियों की नियुक्ति होने तक, सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं।
कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्रों का महानिदेशालय :	हिन्दी सम्बंधी कार्य की देख-रेख करने सम्बंधी राजभाषा क्रियान्विति समितियां इस निदेशालय के अन्तर्गत सभी कार्यालयों में स्थापित की गई हैं। सरकारी काम काज के लिए हिन्दी की प्रगति पर इन समितियों द्वारा नजर रखी जाती है और उनके द्वारा इस कार्य को प्रोत्साहित किया जाता है ।
विवाचन बोर्ड (संयुक्त सलाहकार तंत्र) :	सामान्य तथा प्रशासकीय फाइलों को निपटाने के कार्य में हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है ।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम :	हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने सम्बंधी कार्य की देख-भाल के लिये, एक अलग हिन्दी एकक आवश्यक कर्मचारियों के साथ स्थापित किया गया है। रोजमर्रा के कार्य में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन :	इस संगठन में एक हिन्दी एकक स्थापित करने के लिए थोड़े से कर्मचारियों की स्वीकृति दे दी गई है ।
कोयला खान भविष्य निधि संगठन :	हिन्दी संबंधी कार्य की देख-भाल एक सहायक आयुक्त द्वारा की जा रही है।

बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थापित योजना सम्बन्धी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

781. **श्री बसन्त साठे :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री अर्जुन अरोड़ा के नेतृत्व में बेरोजगारी सम्बन्धी भगवती समिति द्वारा स्थापित योजना सम्बन्धी कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित विशेष कार्यक्रम के कार्यकरण पर दल ने क्या मुख्य टिप्पणियां की है;

(ग) कार्यक्रमों की उत्तम योजना और क्रियान्विति में सहायता देने के लिए सम्बन्ध एजेंसियों की पुनर्व्यवस्था और पुर्नगठन के बारे में दल ने क्या मुख्य सिफारिश की हैं ; और

(घ) दल की सिफारिशों पर इस समय कहां तक विचार कर लिया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क)से (घ) विचारार्थ विषयों में निर्दिष्ट विभिन्न विषयों का गहन अध्ययन करने और जांच करने के लिए बेरोजगारी सम्बन्धी समिति ने अपने कार्य की प्रक्रिया के एक समुचित भाग के रूप में एक पैनल और पांच कार्यकारी दलों (योजना सम्बन्धी एक दल सहित) का गठन किया था जिनमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों नामतः केन्द्रीय और राज्य सरकारों, संगठित उद्योग, विश्वविद्यालय तथा अन्य स्थानीय निकायों आदि के सुविज्ञ व्यक्ति और विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति ने विभिन्न विषयों की जांच करते समय और अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देते समय पैनल कार्यकारी दलों द्वारा किए गए अध्ययनों और सुझावों का उपयोग किया है ।

समिति की अन्तिम रिपोर्ट सरकार को 15-5-73 को प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में दिए गए मुख्य निष्कर्षों और सिफारिशों का सारांश उसी दिन सदन की मेज पर रख दिया गया।

रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का अध्ययन करने और सरकार को सुझाव देने के लिए योजना आयोग द्वारा एक अन्तर्मन्त्रालय कार्यकारी दल पहले ही गठित किया जा चुका है।

छम्ब के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

782. **श्री बसन्त साठे :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जून, 1973 के 'टाइम्ज आफ इंडिया' (नगर संस्करण) में "छम्ब डिस्प्लेस्ड पर्सन्स वरीड अबाउट रीसैटलमेंट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित बातों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार छम्ब से आए विस्थापित व्यक्तियों की समस्याओं को हल करने के हर संभव प्रयत्न कर रही है। उनके स्थायी पुनर्वास की समस्या की जाँच करने और स्थायी पुनर्वास होने तक उनके राहत और पुनर्वास के लिए आवश्यक अन्तरिम सुझाव देने के लिए राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम का गठन गिया गया है। पुर्खू मिश्रिवाला शिविरों में रखे गए विस्थापित व्यक्तियों ने अपने मूल स्थानों को जाना शुरू कर दिया है। लगभग 900 परिवार पहले ही शिविरों से जा चुके हैं। लौटते समय निर्धारित दरों के अनुसार उन्हें आवश्यक पुनर्वास सहायता दी जाती है।

गणतंत्र दिवस समारोह के लिए टिकट

783. **श्री नवल किशोर सिन्हा :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गणतन्त्र दिवस समारोह देखने के इच्छुक लोगों के लिए 1974 से टिकट व्यवस्था शुरू करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या कुछ श्रेणी के लोगों को पास की सुविधा भी प्राप्त होगी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य विवरण क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (ग) 1974 के गणराज्य दिवस परेड में बैठने के वार्डों में प्रवेश अंशतः मूल्य वाले टिकटों के आधार पर होगा । तथापि निमंत्रण पत्र तथा प्रवेश पत्र कुछ वर्गों को जैसे सरकारी अतिथि, वारंट आफ प्रेसिडेन्स के व्यक्ति (जिसमें संसद सदस्य भी शामिल हैं) समाचार पत्रों के सदस्य, रक्षा तथा पुलिस कार्मिक, हकदार वर्गों के सरकारी कर्मचारी, बच्चों के संगठित दल, परेड में भाग लेने तथा सहयोग करने वाले दल कार्मिक तथा ऐसे विशिष्ठ व्यक्ति जिन्हें सरकार आमंत्रित करेगी, जारी किए जाएंगे । इनके अलावा गणराज्य दिवस परेड के सब बैठने के वार्डों में मूल्य वाले टिकटों पर जो कि 2 रुपये, 5 रु०. 10 रु० तथा 100 रु० के मूल्य वर्ग के होंगे, प्रवेश दिया जायेगा । निमंत्रण पत्र या प्रवेश पत्र या टिकट के धारक को 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो दरियों पर बैठेंगे निशुल्क साथ लाने की अनुमति होगी ।

सामान्य जनता को गणराज्य दिवस परेड देखने की वर्तमान सुविधा जो परेड के पूरे मार्ग पर है केवल निमंत्रण पत्र/प्रवेश पत्र तथा टिकट धारकों के लिए निर्धारित स्थानों को छोड़ कर, बनी रहेगी ।

सुजानपुर तीरा, हिमाचल प्रदेश में एक सैनिक स्कूल की स्थापना

784. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में सुजानपुर तीरा में एक सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई पत्र मिला है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और उपरोक्त स्थान पर यह स्कूल स्थापित करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ग) यह स्कूल कब तक खुल जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हाँ, श्रीमन ।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव का राज्य सरकार के परामर्श से, विशेषकर आवास तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के संदर्भ में, अध्ययन किया जा रहा है ।

सैनिक स्कूलों के कार्यकरण के बारे में समिति का प्रतिवेदन

785. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक स्कूलों के कार्यकरण की जांच के लिए सरकार द्वारा स्थापित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो यह समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगी ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक): (क) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सैनिक स्कूल योजना के पुनः मूल्यांकन के लिए समिति 12 जुलाई, 1973 को गठित की गई थी। ऐसी आशा है कि यह समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से 6 मास के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी जिसका अगस्त 1973 में करने का प्रस्ताव है ।

रक्षा उद्योगों को आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय संगठन

786. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा उद्योगों को आरम्भ करने के लिए एक केन्द्रीय संगठन की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और यह संगठन कब से कार्य आरम्भ करेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) रक्षा उद्योगों को आरम्भ करने के लिए एक केन्द्रीय संगठन की स्थापना के लिए किसी प्रस्ताव की हमें जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मनाली-लेह सड़क का पूरा किया जाना

787. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय के सीमा सड़क डिवीजन ने हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से हो कर जाने वाली मनाली लेह सड़क को पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सड़क पर कुल कितनी लागत आएगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) लगभग 17 करोड़ रुपए ।

राष्ट्रीय छात्र सेना में पुनर्नियुक्त सैनिक कर्मचारी

788. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली हो, राष्ट्रीय छात्र सेना में पुनर्नियुक्त कर लिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972 और वर्ष 1973 के दौरान में राष्ट्रीय छात्र सेना में पुनर्नियुक्त ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्

(ख) नेशनल कैडिट कोर में निम्नांकित भूतपूर्व जे० सी० ओ० /एन० सी० ओज० को पुनः नियुक्त किया गया :—

1972			1973 (30 जून तक)		
जे० सी० ओ०	एन० सी० ओ०	जोड़	जे० सी० ओ०	एन० सी० ओ०	जोड़
74	91	164	11	33	44

भारत के प्रधान मंत्री की कनाडा-यात्रा के दौरान कनाडा के प्रधान मंत्री का उनके स्वागत के लिए न आना

789. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :**

श्री धनशाह प्रधान :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कनाडा के प्रधान मंत्री भारत के प्रधान मंत्री की हाल की कनाडा यात्रा के दौरान उनके स्वागत के लिए नहीं आये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) कनाडा के प्रोतोकाल के अनुसार कनाडा के प्रधान मंत्री यात्रा पर आये राज्य प्रमुखों का हवाई अड्डे पर स्वागत करने नहीं आते।

Manufacture of Railway wheels at Durgapur Steel Plant

790. **Shri G.P. Yadav :**

Shri Ishwar Chaudhary:

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) Whether Railway Wheels are manufactured at the Durgapur Steel Plant;

(b) whether the orders placed for the manufacture thereof are not executed in time; and

(c) the Railway-Wheels manufacturing capacity of Durgapur Steel Plant and the reasons for not executing the orders placed during the last three years in time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) Yes Sir,

(b) There have been delays in the deliveries of wheel sets to the Railways. In such cases, the Railways were requested to extend the delivery dates suitably;

(c) The installed capacity of the wheel and axle unit at the one-million tonnes stage of the steel plant was 45,000 sets per year. This was raised to 75,000 sets per year under the scheme of expansion of capacity of the steel plant to 1.6 million tonnes a year. However, according to a reassessment made by the Central Engineering and Design Bureau of Hindustan Steel, the capacity is only about 58,000. There is some doubt whether even this represents the correct capacity. The failure to execute the orders in time is due to low production mainly as a result of (i) low labour productivity, (ii) shortage of wheel and axels steels, (iii) high percentage of process rejections, and (iv) equipment breakdown

U.S. President's Statement regarding Responsibility to Resolve outstanding issues in the sub-continent

791 **Shri G.P. Yadav:**

Shri Jyotirmoy Basu:

Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state:

(a) whether U.S. President told the Indian Ambassador on the 15th June, 1973 that the responsibility to resolve the outstanding issues in the sub-continent rested with India, Pakistan and Bangladesh; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir, The U.S. President made this statement on the 14th of June, 1973, while accepting the credentials of the Indian Ambassador.

(b) President Nixon's statements reflects an understanding of the realities of the situation on the sub-continent and an appreciation of the most appropriate manner of resolving outstanding issues.

Achievement of target of Production of Rourkela Steel Plant

792 **Shri G. P. Yadav:**

Shri Baksi Nayak:

Will the **Minister of Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the target of production fixed in the case of Rourkela Steel Plant and whether this target has been reached; and

(b) if not the reasons therefor ?

The Deputery Ministry in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda): (a) The targets of production in the first quarter of this year (April-June) in the Rourkela Steel Plant were 315,000 tonnes of steel ingots and 213,600 tonnes of saleable steel. The actual production in this period was 270,930 tonnes of steel ingots and 161,347 tonnes of saleable steel, *i.e.* roughly 86% and 76 % of the targets respectively.

(b) As a result of power crisis, the production and washing of coaking coal was adversely affected and this in turn affected the adequate supply of coal to all the steel plants including Rourkela. As a result, productiohn of ingot steel was affected. Shortfalls in the frequency and quantum of power supplied to the plant directly affected the rolling of steel. The inadequacy of coal also meant a shortfall in the production of coke oven gas which also affected the rolling. Labour trouble in the plant during April-May 1973, was an additional factor that affected production.

लोहा और इस्पात में आत्मनिर्भरता

793. **श्री रणबहादुर सिंह : श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोहा और इस्पात में अभी तक आत्म-निर्भरता प्राप्त नहीं हुई है और उपलब्ध सक्रेप को काम में लाने के लिए विद्युत चालित भट्टियों वाले छोटे इस्पात संयंत्रों पर अधिक भरोसा रखा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) लोहा और इस्पात के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त नहीं हुई है।

सम्भवत: छोटे कारखानों से अभिप्राय पिण्ड/बिलेट का उत्पादन करने वाली विद्युत भट्टियों (इलेक्ट्रीक-आर्क-फर्नेस) से है। ऐसी इकाइयां मुख्य इस्पात कारखानों की अनुपूरक इकाइयां कही जा सकती है क्योंकि ये इकाइयां देश में उपलब्ध स्क्रेप का पिण्ड/बिलेट बनाने के लिए इस्तेमाल करती है जिनकी पुनर्बेलन इकाइयों को आवश्यकता होती है।

(ख) पाँचवी योजनी अवधि में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों की क्षमता को 89 लाख टन पिण्ड से बढ़ाकर 151.5 लाख टन पिण्ड करने का विचार है। वर्तमान क्षमता से उत्पादन बढ़ाने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं। यह आशा की जाती है कि इन उपायों के फुलस्वरूप तथा विद्युत भट्टियों के उत्पादन से 1978-79 तक साधारण इस्पात की घरेलू आवश्यकता काफी हद तक पूरी हो सकेगी। फिर भी, हो सकता है कि कुछ श्रेणियों की कमी रह जाए और कुछ श्रेणियों आवश्यकता से अधिक हो जाए और इस प्रकार कुछ आयात करना अनिवार्य होगा।

खोदे द्वारा रक्षा कर्मचारियों को सप्लाई की गई शराब

794. **श्री के लकप्पा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खोदे (ब्रीवरी) द्वारा रक्षा कर्मचारियो को बड़ी मात्रा में शराब सप्लाई की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो 1972 से अब तक कितनी शराब सप्लाई की गई ; और

(ग) क्या खोदे द्वारा घटिया किस्म की शराब सप्लाई किये जाने के समाचार मिले हैं; यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) खोदे (ब्रीवरी) से कोई शराब नहीं खरीदी जाती है। तथापि मैसर्स खोदे इन्डस्ट्रीज (प्राईवेट) लिमिटेड और खोदे डिस्टलरीज (प्राइवेट) लिमिटेड ने कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) को शराब सप्लाई की है। अप्रैल 1972 से जून 1973 के दौरान इन स्रोतों से खरीदी गई शराब की मात्रा निम्नांकित है :—

(1)	रम हरक्यूलिस	—	8,60,300 दर्जन बोतलें
(2)	रम सी पाइरेट	—	93,950 दर्जन बोतलें
(3)	व्हीसकी रैड नाइट	—	10,400 दर्जन बोतलें

(ग) हरक्यूलिस रम की 36,400 दर्जन बोतलों के एक बैच के बारे में घटिया किस्म के होने की शिकायत थी। इस बैच के मूल्य का भुगतान रोक लिया गया है। संभरक अपनी लागत पर प्रेषण वापिस लेने और भुगतान किए गये उत्पाद-शुल्क की राशि विभाग को प्रतिपूर्ति के लिए भी सहमत हो गया है। घटिया किस्म की शराब सप्लाई करने के लिए मैसर्स खोदे के विरुद्ध कानूनी कारंवाई करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के मुख्यालय को नई दिल्ली में स्थापित किया जाना

795. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के मुख्यालय को स्थाई रूप से नई दिल्ली में स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हाँ।

(ख) स्टील एथारटी ग्राफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में रखा गया है क्योंकि इस के कार्यों के लिए इस्पात और खान मंत्रालय तथा दूसरे मंत्रालयों और सरकारी अभिकरणों के साथ निकट और सतत् सम्पर्क और सहयोग बनाये रखने की आवश्यकता है क्योंकि इसका सम्बन्ध सम्पूर्ण इस्पात क्षेत्र और सम्बद्ध अन्तर्गामी उद्योगों से है। इस के अतिरिक्त स्टील एथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष, इस्पात और खान मंत्रालय के इस्पात विभाग के सचिव भी है।

गिरिडीह बिहार को अभ्रक खानों के कर्मचारियों में बेरोजगारी

796. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गिरिडीह, बिहार की अभ्रक खानों में हजारों कर्मचारियों को काम नहीं मिल पा रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है और उन्हें समुचित रोजगार देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वैंकटस्वामी) : (क) गिरिडीह में अभ्रक खानें जिनमें लगभग 325 श्रमिक नियोजित थे, बंद कर दी गई है।

(ख) इस मामले की जांच की जा रही है।

भिलाई और रूरकेला संयंत्रों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कार्यवाही

797. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लि० के भिलाई और रूरकेला संयंत्र खराब हालत में है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) (क) जी, नहीं। भिलाई इस्पात कारखाने में 1972-73 में 21.08 लाख टन इस्पात पिण्ड तथा 17.46 लाख टन विक्रेय इस्पात का उत्पादन हुआ जो अब तक के उत्पादन में सबसे अधिक था। राउरकेला इस्पात कारखाने में भी 1972-73 में 17.77 लाख टन इस्पात पिण्ड का उत्पादन हुआ जो अब तक के उत्पादन में सबसे अधिक था मार्च के महीने में भिलाई का उत्पादन इसकी मासिक क्षमता से कुछ अधिक था। परन्तु अप्रैल-जून की तिमाही में इन दोनों कारखानों में इस अवधि के लिए निश्चित लक्ष्यों से काफी कम उत्पादन हुआ है। इन दोनों कारखानों में इस वर्ष इस तिमाही में इस्पात पिण्ड तथा विक्रेय इस्पात के उत्पादन तथा गत वर्ष की इसी तिमाही के उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित हैं:

(हजार टन)

	इस्पात पिण्ड		विक्रय इस्पात	
	अप्रैल-जून 1972	अप्रैल-जून 1973	अप्रैल-जून 1972	अप्रैल-जून 1973
भिलाई . .	466.3	452.1	391.1	370.9
राउरकेला .	239.8	271.0	133.5	.61.3

(ख) इस वर्ष पहली तिमाही में उत्पादन बहुत अधिक होता यदि बिजली का संकट न हुआ। होता जिसके परिणामस्वरूप कोककर कोयला खानों में खनन कार्य काफी कम हुआ और कोयला शोधन शालाओं का कार्यकरण भी कम हुआ जिसके कारण इन इस्पात कारखानों तथा अन्य इस्पात कारखानों को कोयले की पर्याप्ति सप्लाई नहीं हो सकी? अतः विद्युत संकट के कारण कोयले का कम उत्पादन ही, वर्ष की प्रथम तिमाही के लक्ष्य की तुलना में इन दोनों कारखानों में लगभग 1,22,000 टन इस्पात पिण्ड के कम उत्पादन का मुख्य कारण है। कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण इन दोनों कारखानों में बेलन के लिए कोक ओवन गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो सकी। राउरकेला इस्पात कारखानों में बिद्युत आपूर्ति की आवृत्ति में कमी के कारण इस्पात के बेलन पर और प्रभाव पड़ा। प्रथम तिमाही में दोनों कारखानों में विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन लक्ष्य से लगभग 74,000 टन कम हुआ।

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों से इस्पात कारखानों, कोयला खानों तथा कोयला शोधन शालाओं को उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से कहा गया है। आशा की जाती है कि मानसून के आरम्भ हो जाने से पन-विद्युत उत्पादन में काफी सुधार होगा जिससे कोयले के उत्पादन तथा इस्पात उत्पादन में सुधार होगा।

शिक्षित बेरोजगार महिलाएं

798. श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में शिक्षित बेरोजगार महिलाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) उन सभी को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) शिक्षित बेरोजगार महिलाओं की संख्या के बारे में यथार्थ सूचना उपलब्ध नहीं है। 31-12-1972 को रोजगार कार्यालयों की चालू पंजिका में दर्ज नौकरी चाहने वाली शिक्षित (मैट्रिक तथा अधिक योग्यता प्राप्त) महिलाओं (सभी अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं हैं) की संख्या 4.49 लाख थी।

(ख) सरकार पिछले कुछ समय से महिलाओं सहित शिक्षित बेरोजगारों की समस्या की ओर काफी ध्यान दे रही है। सामान्य योजना कार्यक्रमों के अतिरिक्त, सरकार द्वारा शिक्षितों की बेरोज़गारी की समस्या का प्रत्यक्ष एवं प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए विशेष रोज़गार योजनाएं शुरू की गई। इस प्रयोजनार्थ, शिक्षित बेरोज़गारों के लिए 1971-72 में विशेष रोज़गार योजनाएं शुरू की गई, जो अभी जारी हैं। 1972-73 में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में दोनों शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों के लिए एक विशेष रोजगार योजना राज्यों, एवं संघीय क्षेत्रों में शुरू की गई और वह 1973-74 में भी चल रही है। इसके अलावा, 1973-74 में "पांच लाख नौकरियों" का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। शिक्षित बेरोज़गार महिलाओं को इस कार्यक्रम से भी लाभान्वित होने की प्रत्याशा है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना से भी महिलाओं समेत शिक्षितों के लिए बड़ी संख्या में रोज़गार अवसर उपलब्ध होने की प्रत्याशा है।

स्टील रोलिंग मिल्स बनाने के लिए अमरीकी तकनीकी जानकारी

799. श्री राम कंवर : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 मई, 1973 के "मार्च आफ दी नेशन" (साप्ताहिक) में स्टील

रोलिंग मिल्स बनाने के लिये अमरीकी तकनीकी जानकारी का जिसको दिये जाने के बारे में करार दिया गया था उपयोग करने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) प्रस्तुत रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है।

(ख) सरकार रिपोर्ट के लगाए गये आरोपों/टीका-टिप्पणी से सहमत नहीं है।

नौकरियों के गारंटी के लिए राष्ट्रीय योजना

800. **श्री आर० पी० स्वामीनाथन :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशषज्ञों की एक विशेष समिति ने नौकरियों की गारन्टी के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है;

(ग) समिति की अन्य सिफारिशें क्या हैं और कितनी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वैंकटस्वामी) : (क) बेरोजगारी सम्बन्धी समिति ने, जिसके बारे में माननीय सदस्य का संभवतः आशय है, 15-5-1973 को सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के नाम से जानी जाने वाली योजना का उल्लेख किया है, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा कार्यन्वित की जा रही है, और उसे अन्य राज्यों में भी लागू करने का सुझाव दिया है।

(ख) और (ग) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का अभ्ययन करने और सरकार को सुझाव देने के लिए योजना आयोग द्वारा एक अर्न्तमंत्रालय कार्यकारी दल पहले ही गठित किया जा चुका है।

14 दिसम्बर 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4379 तथा 29 मार्च 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5165 के उत्तरों में शुद्धि करने वाले विवरण

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

14 दिसम्बर 1972 को उत्तर के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 4379 के भाग (ग) में निम्नांकित सूचना मांगी गई थी :—

"(ग) देश की रक्षा के हित में इन संस्थाओं में प्रवेश के लिए अधिक विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है"।

उपर्युक्त के उत्तर में मेरे द्वारा अनजाने से अधिक विद्यार्थियों के बजाए "इंजीनियरिंग स्नातकों" का उल्लेख कर दिया गया था।

इस अवसर पर पहले दिए गए उत्तर को ठीक करते हुए मैं सभा के पटल पर निम्नांकित सही उत्तर रख रहा हूं :—

(ग) इन संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए और अधिक विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं :—

(1) स्थायी कमीशन के लिए उपयुक्त न समझे गये सेना के शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अफसरों की 5 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि, उनके विकल्प पर अब 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

(2) जिनके पास एन०सी०सी० का 'सी' प्रमाण पत्र है उन्हें एक विशेष प्रवेश के माध्यम से कमीशन के पात्र बना दिया जाता है।

(3) शार्ट सर्विस कमीशन अफसरों को उनकी कार्य की अवधि के दौरान उनके सर्विस रिकार्ड के आधार पर अब स्थायी कमीशन मंजूर करना होता है। सर्विस सलेक्शन बोर्डों के माध्यम से और चयन के आधार पर नहीं जैसा पहले होता था।

(4) हाल ही में नेशनल सर्विस अधिनियम पास किया गया है जिसमें इस आशय की व्यवस्था है कि 30 वर्ष अथवा उससे कम आयु के ग्रेजुएट इंजीनियरों को राष्ट्रीय सेवा के लिए बुलाने का उत्तरदायित्व होगा जिसकी अवधि चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

विलम्ब के कानण

खेद है कि सदन में 14 दिसम्बर 1972 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4379 के सम्बन्ध में उत्तर देते हुए प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में एक गलती हो गई कि "और अधिक विद्यार्थियों" शब्दों के स्थान पर "इंजीनियर ग्रेजुएट" का उल्लेख किया गया। राज्य सभा में 23 मार्च 1973 को जब इसी प्रकार का अतारांकित प्रश्न संख्या 1665 का उत्तर दिया जाने लगा तो पहले दिया गया उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देखा गया तो गलती दिखाई दी। गलती का पता लग जाने के पश्चात् मैं इसे ठीक करने के लिए सदन में उपस्थिति हुआ हूं।

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : राज्य सभा में दिनांक 11-5-73 को एक प्रश्न का उत्तर देते समय पता चला कि दिनांक 29-3-73 को लोक सभा में दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 5165 का उत्तर अधूरा था। उत्तर को पूरा करने के लिए इस उत्तर के दूसरे तथा तीसरे वाक्यों के मध्य में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :—

"राउरकेला इस्पात कारखाने ने भी रक्षित खानों से निकाले गए चूने पत्थर को लाने में पूर्ण रूप से रेलों पर निर्भर रहने के कारण परिचालन में सम्भाव्य कठिनाइयों से सावधान रहने के लिए निजी साधनों से 2,000 टन धमन भट्टी ग्रेड चूना पत्थर थोड़ी मात्रा में खरीदा था।"

हरियाणा और पश्चिम बंगाल में नागरिक स्वतंत्रताओं का कथित हनन के बारे में

R : ALLEGED SUPPRESSION OF CIVIL LIBERTIES IN HARYANA AND WEST BENGAL

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : श्रीमान् जी मैंने पश्चिम बंगाल के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

अध्यक्ष महोदय: मैंने उसे मंजूर नहीं किया है।

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : मैं राज्य विषय पर किसी प्रस्ताव को मंजूर नहीं कर सकता। मैं आप सबसे यह अनुरोध करता हूं कि चिल्लाने में एक दूसरे से होड़ न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: राज्यों से सम्बन्धित किसी विषय के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया जा सकता।

(Interruptions)

Mr. Speaker : How is the Central Govt. responsible for the happenings in Haryana?

(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : आप अदालतों में जा सकते हैं। संसद का काम न्यायपालिका का कार्य करना नहीं है।

(व्यवधान)

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): If the administration is not being carried on in a State according to the provisions of the constitution, will this Parliament remain a silent spectator to that ?

Mr. Speaker: You may go to the courts.

Shri Atal Bihari Vajpayee: The Parliament is the highest court in the Country.

श्री एस०एस० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान् जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। रेलवे विभाग और डाक-तार विभाग के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी भी इस बन्द में अनिवार्यतः भाग लेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : हमने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है। अगर देश के किसी भाग में संविधान की हत्या होती है, तो संसद का क्या कर्त्तव्य है? आपने यह कहा कि राज्य विषय होने की वजह से संसद इस मामले पर विचार नहीं कर सकती। अगर आपका यही निर्णय है, तो भारतीय संसद कार्य नहीं कर सकती...... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न नहीं है।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम एक केन्द्रीय कानून है। मंत्री महोदय ने सदन में और उसके बाहर बार-बार यह आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा

उत्पन्न होने की स्थिति में ही इसका प्रयोग किया जायेगा। इस विशिष्ट मामले में इसका राज्य सरकार के माध्यम से प्रयोग किया गया है.... (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का प्रयोग करके और केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की सलाह से खाद्यान्न की कमी, राशन में कटौती और मंहगाई के विरोध में 27 जुलाई को आयोजित किये जा रहे शांतिपूर्ण बन्द को सरकारी मशीरी के माध्यम से रोका जा रहा है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 19(क) और (ख) द्वारा प्रदत्त स्वाधीनता के अधिकार को कुचला जा रहा है। इसी प्रकार की घटना करनाल में हुई है। (व्यवधान) श्रीमती इन्दिरा गांधी सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर रही हैं। वह फासिस्ट और डिक्टेटर हैं। हम चाहते हैं इस मामले पर बहस हो।... (व्यवधान)

श्री एस० कल्याणसुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली) : आपने श्री बसु के निवेदन पर कोई निर्णय नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : बंगाल बन्द और पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में श्री बसु ने जो कुछ कहा है, वह सही नहीं है।

श्री योगेन्द्र झा (जयनगर) : कल पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण बन्द का आयोजन किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि वहां कोई अवांछित घटना न हो।

अध्यक्ष महोदय : अगर वहां कुछ होता है (व्यवधान) वहां न्यायालय हैं... (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय सदन को आश्वासन दें कि शांति बनाये रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा।

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohtak) : I was arrested in Karnal on 1st of June, 73 and I had writteen to you a letter on 3rd June, 73 from Ambala Jail regarding my illegal arrest and illegal detention. My letter was acknowledged neither by your sectt. nor by yourself. I was never produced before a Magistrate.

Mr. Speaker : You were arrested on 4th June, 73 and it was published in Bulletin that you had been arrested on 4th June, 1973.

(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आपकी गिरफ्तारी की मुझे सूचना दी गई थी। यह 14 जून को प्राप्त हुआ था।

(*Interruption*)

Mr. Speaker : If state matters have to be discussed in this houses the Parliament would become a state agency.

Shri Madhu Limaye (Banka) : The I.G. Police of Haryana was stated that the workers of Akali Party had came to Haryana to indulge in the incidents of looting and these persons are out siders. I would like to know whether the citizenship of India is one or there is double citizenship. If Akali's have come from other state, then it becomes an Inter-state dispute and Parliament has right to discuss this matter.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Do you not allow Communal riots to be discussed here? The Government of Haryana wanted to incite a communal riot between Hindu and Sikhs. There would have been a Hindu Sikh riot, had we not been careful.

Mr. Speaker : If people are sensible, no Government can incite them to fight among themselves.

(*Interruptions*)

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : मेरी आज श्री इन्द्रजीत गुप्त से टेलीफोन पर बातचीत हुई, जो कलकत्ता गये हुए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कलकत्ता में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित हुई सभा को भी दंगाइयों द्वारा भंग कर दिया जाता है और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस मौन दर्शक बनी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : सदन में प्रायः यह कहा गया है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस राज्य सरकार के निदेश के अन्तर्गत कार्य करती है।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम : मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप गृह मंत्री को इस बारे में सभा के स्थगन होने से पूर्व वक्तव्य देने के लिए कहें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आप मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिए कह रहे हैं अथवा नहीं।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : संविधान के अन्तर्गत हड़ताल करना मूल अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : आपको हर बात पर मूल अधिकारों की बात नहीं उठानी चाहिए।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य न दिये जाने के कारण हम सभा से उठकर बाहर जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मधु दण्डवते **(अन्तर्बाधायें)****

तत्पश्चात सर्वश्री समर मुखर्जी, ज्योतिर्मय बसु, एम० कल्याणसुन्दरम तथा कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

Shri Samar Mukherjee, Shri Jyotirmay Basu, Shri M. Kalyansundram and some other Members then left the House.

अध्यक्ष महोदय : जब मैं किसी सदस्य को बोलने की अनुमनि नहीं देता उसकी बात रिकार्ड नहीं की जायेंगी।

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recorded.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

संयुक्त राज्य अमरीका से ऊंची दर पर 45 लाख टन गेहूं खरीदने का भारत का कथित प्रस्ताव

प्रो० मधु लिमये (राजापुर) : मैं नियम 193 के अन्तर्गत कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"संयुक्त राज्य अमरीका से ऊंची दर पर 45 लाख टन गेहूं खरीदने का भारत का कथित प्रस्ताव"

कृषि मंत्री (श्री खफखरुद्दीन अली अहमद) : देश के अन्दर अधिप्राप्ति में तेजी लाने के अलावा, सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध खाद्यान्नों के स्टाक की भरपाई करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आगामी महीनों में सरकारी वितरण प्रणाली की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों से खाद्यान्नों का आयात करने का निर्णय किया है। यह याद होगा कि 1972 के अन्त में 20 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आयात करने का निर्णय किया गया था। इस सारी मात्रा का ठेका किया जा चुका है और अधिकांश स्टाक पहुंच भी चुका है। ये खरीदारी अधिकांशतः संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाड़ा और अर्जेन्टाइना में इस समय चल रहे बाजार मूल्यों पर की गई थीं।

2. उचित स्तर पर सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों की सप्लाई को बनाए रखने की मौजूदा आवश्यकता के संदर्भ में विदेशों से वाणिज्यिक आधार पर खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा खरीदने का निर्णय किया गया है। जिन देशों में निर्यात हेतु खाद्यान्न उपलब्ध हैं, उन्हीं देशों से खरीदारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और सुपुर्दगी तथा लदान की व्यवस्था देश की आवश्यकता के अनुरूप की जाएगी। ये खरीदारी निर्धारित कार्यविधि के अनुसार की जा रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी पग उठाए गए हैं कि खरीदारी और सुपुर्दगी देश के लिए सबसे लाभप्रद शर्तों पर की जाए।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे आज सुबह पता लगा कि ऐसा समाचार निकल गया है जिससे ऐसा लगता है कि मंत्रिमण्डल की आर्थिक मामलों सम्बन्धी समिति द्वारा दिया गया है। यह उसी विषय पर है जिस पर ध्यान दिलाने वाली सूचना दी गई थी। मैं इस प्रक्रिया पर आपत्ति करता हूं। पहले भी अनेक बार ऐसा हुआ है और यह विनिर्णय दिया गया था कि ऐसे अवसरों पर जब सत्र चल रहा हो ऐसा समाचार सभा से पूर्व सभा से बाहर नहीं दिया जाना चाहिए। विशेषकर जबकि उस विषय पर सदन में चर्चा होने वाली हो। आपने ऐसा विनिर्णय एक श्रमिक मामले पर दिया था। आपने सम्बन्धित मंत्री को उस समय चेतावनी दी थी। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री भविष्य में इस प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं करेंगे। कल अखबारी कागज के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना दी गई थी। आज अमरीका से अनाज के आयात के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना दी गई है। इन दोनों सूचनाओं के अन्तर्गत मामले समान ही लगते हैं। दोनों मामलों से पता चलता है कि हमारी सरकार की गलत नीतियां तथा नीति अपनाने में विलम्ब के कारण देश की अर्थ व्यवस्था बिगड़ रही है।

माननीय मंत्री ने जो लिखित विवरण पढ़ा है उसमें मुख्य विषय को टालने की कोशिश की गई है। विवरण में गेहूं के मूल्य का उल्लेख नहीं किया गया है हालांकि मैंने सूचना में इस का विशिष्ट उल्लेख किया है कि 115 डालर प्रतिटन की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है।

क्या यह सच नहीं है कि अमरीका में गत छह महीनों से गेहूं के मूल्य अनेक कारणों से बढ़ रहे हैं? रूस और चीन ने बड़े पैमाने पर अमरीका से गेहूं खरीदा है। उन्होंने समय पर गेहूं खरीदकर दूर-दर्शिता दिखाई है। समाचारों से पता लगता है कि अमरीका में गत वर्ष गेहूं का मूल्य 50 डालर प्रति टन था। कुछ महीने पहले गेहूं का मूल्य 80–85 डालर प्रति टन था। परन्तु इस समय गेहूं का मूल्य वहां 113 डालर प्रति टन है। अभी कुछ समय पहले हमारे प्रधान मंत्री, खाद्य मंत्री आदि ने ये वक्तव्य दिये थे कि वे अमरीका से कभी कोई वस्तु नहीं खरीदेंगे। हम आत्म-निर्भरता चाहते हैं परन्तु इसके साथ ही हम अपने देश के लोगों को भूखा नहीं मारना चाहते। अनाज का आयात ऐसे अवसर पर किया जाना चाहिए जिससे हमारे लोग भूखे न मरें तथा हमारे खजाने पर अधिक बोझ न पड़े।

गत दिसम्बर में सरकार को चित्र बिल्कुल स्पष्ट था कि हमारी फसल कैसी होगी और वसूली सम्बन्धी हमारी व्यवस्था कैसी है। अतः सरकार को उसी समय महसूस कर लेना चाहिए था कि मूल्य प्रोत्साहन के बिना वसूली की नीति सफल नहीं हो सकती। अब सरकार की वसूली नीति पूर्णतया असफल हो चुकी है।

पंजाब में वसूली सफल हुई है और इसके लिए मैं पंजाब के लोगों को बधाई देता हूं। परन्तु देश के अन्य भागों में वसूली सफल नहीं हुई है। इसके लिए हमें गेहूं आयात करना था परन्तु हम समय पर गेहूं आयात करने में असफल रहे है। इसके परिणामस्वरूप हम कठिनाई में पड़ गये हैं और विदेशी मुद्रा पर बहुत अधिक दबाव पड़ेगा। यदि गेहूं का मूल्य अमरीका में 100 डालर प्रति टन है तो भी दस लाख टन के लिए हमें लगभग 100 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे।

क्या मंत्री महोदय को मूल्यों में उतार-चढ़ाव की आशा नहीं थी। ऐसा समाचार आया है कि अमरीका में हमारा मिशन निजी दलालों से बातचीत कर रहा है और यदि वे इसमें सफल हो जाते हैं तो हमारे खजाने पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि देश को गेहूं, अखबारी कागज तथा तेल आदि का आयात करना पड़ेगा और इससे हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति बड़ी कठिन होगी। इस कठिन स्थिति को दूर करने के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है?

कृषि मंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री को यहां पर उपस्थित रहना चाहिए क्योंकि कुछ समस्याएं वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित हैं।

क्या मंत्री महोदय विदेशी मुद्रा की चोरी को पूर्णतया रोकने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तभी हम बाहर से गेहूं आयात कर सकेंगे। हमें कृषि के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है और जब वर्षा नहीं होती तब हमें गेहूं का आयात करना पड़ जाता है। क्या कृषि सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था को नया रूप दिया जायेगा ताकि हमें गेहूं आयात न करना पड़े।

क्या देश में आयातित अनाज के मूल्य की कीमत को भी बढ़ाया जायेगा?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक मेरा तथा सरकार का सम्बन्ध है हमारी ओर से प्रेस को कोई समाचार नहीं दिया गया है। अतः इस शिकायत का कोई औचित्य नहीं है। हम देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। यह ठीक है कि हम वर्षा पर जितना कम निर्भर करें उतना ही अच्छा है। विश्व में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में विकसित देशों को भी वर्षा पर निर्भर करना पड़ता है। रूस को ही गत वर्ष बड़ी अधिक मात्रा में अमरीका से गेहूं खरीदना पड़ा था। मैं इस बात को

स्वीकार करता हूं कि हमें प्रति वर्ष अपने कृषि उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए। हमने सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए कार्यवाही की है। आशा है कि अच्छी मानसून होने से हम खरीफ की फसल का अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे।

जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है वह जुलाई और अगस्त में स्थिति इतनी खराब नहीं थी। हमारे पास 90 लाख टन का भण्डार था। हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सके कि मौसम इतना खराब होगा जितना हुआ है और इसी कारण हम अनाज नहीं खरीद सके। यह वह समय था जब रूस और चीन ने अमरीका से भारी मात्रा में अनाज खरीद लिया और इस कारण इसके मूल्य बढ़ गये। हमने 20 लाख टन अनाज खरीदने का निर्णय लिया था। हम ने मई के अन्त तक 17 लाख टन अनाज न केवल अमरीका से बल्कि अर्जेनटाइना से भी खरीदा है। इस में गेहूं और माइलो भी है।

हमने यह नहीं कहा था कि हम कभी बाहर से अनाज नहीं खरीदेंगे। हमने वास्तव में यह कहा था कि हम अब ऐसी स्थिति में हैं कि हमें रियायती दरों पर अनाज खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हमने वाणिज्यिक स्तर पर अनाज खरीदने की बात को कभी रद्द नहीं किया था।

यह ठीक नहीं है कि हमने 45 लाख टन अनाज नहीं खरीदा है। कुछ अनाज खरीदा गया है। मुझे अभी मूल्य संबंधी कोई जानकारी नहीं मिली है कि वह अनाज किस मूल्य पर खरीदा गया है। जून में अमरीका से गेहूं का मूल्य 108.96 से 115 डालर प्रति टन था। जुलाई में 102 से 123 डालर प्रति टन था। कनाडा में इस समय 90 से 113 डालर प्रति टन था। हमने अमरीका, कनाडा तथा अर्जनटाइना से अनाज खरीदने का निर्णय किया है। कनाडा में अनाज की कटाई होने वाली है और अगले महीने तथा सितम्बर में वहां से गेहूं उपलब्ध हो सकेगा। आस्ट्रेलिया से अगले वर्ष के आरम्भ में अनाज आ सकेगा क्योंकि वहां फसल की कटाई दिसम्बर अथवा जनवरी के आरम्भ में होती है। समूचे विश्व में लगभग 80 लाख टन अनाज की कमी है। अतः हमें इन बातों को देखते हुए सार्वजनिक वितरण पद्धति के माध्यम से लोगों को अनाज देने की व्यवस्था करनी होगी।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या इस आयात से गेहूं के बिक्री मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक हम सारे आयातित माल को यहां पर ला सकेंगे?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हम ने जो अनाज खरीदा है उसे जुलाई अथवा अगस्त के लिए बुक किया गया है। वह अनाज हमारे पास पांच अथवा छह सप्ताह में पहुंच जायेगा। बिक्री मूल्य के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सिक्ख (संशोधन) विधेयक, 1972 पर चर्चा के दौरान दिये गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : मैं श्री रघुनाथ रेड्डी की ओर से सिक्ख (संशोधन) विधेयक, 1972 पर चर्चा के दौरान श्री इन्द्रजीत गुप्त के एक प्रश्न कि 15 मई, 1973 को दिये गये अपने उत्तर को शुद्ध करने के लिए एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 5188/73]

परिपत्र अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं पारपत्र अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) सा० सां० नि० 287 (ड०), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मई, 1973 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 1972 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 398 (ड०) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(2) पारपत्र (संशोधन) नियम 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 310 (9) में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल० टी० 5189/73]।

वर्ष 1971-72 के लिए राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की समीक्षा तथा उसका वार्षिक प्रतिवेदन

इस्पात तथा खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल० टी० 5190/73]।

नौसेना (विहित अधिकारी) (संशोधन) विनियम, 1973 तथा प्राग टूल्स लिमिटेड का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (1) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना (विहित अधिकारी) (संशोधन) विनियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखेंगे, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 14 अप्रैल, 1973 में अधिसूचना संख्या सां० नि० आ० 80 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये** संख्या एल० टी० 4947/73]।

(2) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखा और उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा-पटल पर रखेंगे। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये** संख्या एल० टी० 5191/73]।

कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1958 की धारा 7क के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : मैं कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(1) कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 548 में प्रकाशित हुई थी।

(2) आंध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 549 में प्रकाशित हुई थी।

(3) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 550 में प्रकाशित हुई थी।

(4) नेवेली कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1973, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 मई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 551 में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी० 5192/73]।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं कि राज्य सभा ने 23 जुलाई, 1973 को अपनी बैठक में होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1973 पास किया है।

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किये गए रूप में

HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA

सचिव : मैं होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1973 को राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में सभा पटल पर रखता हूं।

(संशोधन) विधेयक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन

PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL ELECTIONS (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि का बढ़ाया जाना

श्री नवल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि यह सभा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

एक सदस्य की नज़रबन्दी से रिहाई और कारावास

RELEASE OF A MEMBER FROM DETENTION AND IMPRISONMENT

अध्यक्ष महोदय : मुझे महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग में तथा सुपरिटैन्डैन्ट, सेन्ट्रल जेल बम्बई से दो तार मिले हैं जिनमें यह कहा गया है कि नागपुर के पुलिस आयुक्त द्वारा अन्तरिम सुरक्षा अधि-नियम 1971 की धारा 3 (1) (क) (II) के अन्तर्गत लोकसभा के सदस्य श्री जुम्बवतं धोते के विरुद्ध जारी किये गये आदेशों को तुरन्त रद्द किया जाता है तथा उसको 25 जुलाई 1973 को रिहा कर दिया गया परन्तु उनके द्वारा 550 रुपये के जुर्माने का भुगतान न करने के लिए उन्हें एक मास पांच दिन के कारावास के लिए जेल में रखा गया है ।

वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में

Re. Report of the Pay Commission

श्री एस० एम० बनर्जी (मानपुर) : रेलवे रक्षा तथा अन्य प्रतिष्ठानों के लगभग 23 लाख कर्मचारियों ने वेतन आयोग की मजदूर वर्ग विरोधी तथा प्रतिक्रियावादी सिफारिशों के विरुद्ध हड़ताल करने का निर्णय किया है । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक मंत्रिमन्डल उप-समिति जिसमें वित्तमंत्री, रक्षा मंत्री तथा अन्य मंत्री उपस्थित थे 6 जुलाई 1973 को हुई थी। उन्होंने हमारी बात बड़े धैर्य से सुनी परन्तु किसी बात का वचन नहीं दिया । वित्त मंत्री बाहर जा रहे हैं और हमें शंका है उनके बाहर जाने के पश्चात् सरकार बिना कुछ परिवर्तन किये इनको त्रियान्वित न करदे । प्रतिनिधियों ने सरकार पर यह बात स्पष्ट कर दी थी कि कि कर्मचारी चाहते है कि आपकी बातचीत के पश्चात् इन सिफारिशों में परिवर्तन किया जाये । हम चाहते हैं कि आवश्यकता पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी जो कि 314 रुपये है को क्रियान्वित किया जाये । महंगाई भत्ते को जीवन निर्वाह सूचाकं में जोड़ा जाये । वेतन का 20 प्रतिशत भाग उसमें जोड़ने के पश्चात् कर्मचारी का वेतन प्वाईट टू प्वाईटं निर्धारण के आधार पर ही नियत किया जाये । हम यह भी चाहते हैं कि प्रतिवेदन को एक मार्च 1970 से क्रियान्वित किया जाये ।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस सभा में हमें यह आश्वासन दें कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से उचित चर्चा किये बिना वह इन सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लेंगे ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : माननीय को पता है कि यह संयुक्त परामर्श-दायी व्यवस्था में कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि हैं वे मंत्रियों के ग्रुप से मिले थे । जो विचार उन्होंने किये थे उनपर सरकार ध्यान दे रही है । यदि इस विषय पर इस सभा में चर्चा होती है तो सरकार उसका स्वागत करेगी मंत्रिमन्डल द्वारा निर्णय लेने में सभा की राय सहायक सिद्ध होगी ।

माननीय वित्त मंत्री केवल सात दिन के लिए ही वाशिगंटन जा रहे हैं । परन्तु यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो हम उनके बाहर जाने से पूर्व ही इस विषय पर इस सभा में चर्चा करने को तैयार हैं । जहां तक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की बात पुनः सुनने का प्रश्न यह सरकार के विचारधीन है ।

भारतीय खाद्य निगम के अनाज वसूली के कार्या को गैर-सरकारी एजेंसियों को स्थानातरित करने के प्रस्ताव के बारे में

Re. Reported move for Transfer of procurement function of FCI to Private Agencies

श्री समर गुह (कन्टाई) : मुझे अखिल भारतीय खाद्य निगम के सचिव तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से कुछ तार प्राप्त हुए हैं । ये खाद्य मंत्रालय से सम्बन्धित हैं । मैने आज सुबह ये तार प्रधान मंत्री को दिखाये थे । कृषि मंत्री को भी मैंने ये तारें दिखाई हैं । महत्वपूर्ण बात यह है कि वसूली कार्य को प्राइवेट अभिकरणों को दिया जा रहा है । आज अधिकतर चर्चा वसूली के बारेमें ही थी परन्तु माननीय मंत्री ने उसका सदन में कोई उत्तर नहीं दिया । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री सम्बन्धित मंत्री को इस बारे में सूचित कर देंगे । श्री पी० के० देव मध्याह्न भोजन पश्चात् अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर पन्द्रह मिनट तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fifteen minutes past Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर सत्रह मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at seventeen minutes past Fourteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

अनुदानों की मांगें (उड़ीसा) 1973-74

DEMANDS FOR GRANTS (ORISSA) 1973-74

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठाने की अनुमति के लिए अध्यक्ष महोदय को लिखा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया है कि अध्यक्ष महोदय ने इसकी अनुमति नहीं दी । सभा ने यह समाचार पढ़ा है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से इस बारे में एक वक्तव्य दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात आप सरकार पर ही छोड़ दें ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : श्री जगन्नाथ राव ने यह बात उठाई थी कि प्रत्येक नागरिक को राज्यपाल को पत्र लिखने का अधिकार है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं । परन्तु बात यह है कि राज्यपाल इस प्रकार के पत्र कार्यवाही पर किस प्रकार नगरपालिका के चुनाव में हस्तक्षेप कर सकता है । मुझे उड़ीसा सरकार के नगरीय विकास विभाग में एक पत्र प्राप्त हुआ है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह यह पत्र सभा-पटल पर रखें ।

श्री पी० के० देव : अपना भाषण समाप्त करने के पश्चात् मैं यह पत्र सभा-पटल पर रखूंगा ।

म्युनिसिपल प्रशासन के निदेशक की ओर से बोलंगीर म्युनिसिपैलिटी के वार्ड संख्या 9 में चुनाव-परिणाम की घोषणा के विरुद्ध आरोप के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट बोलंगीर को ज्ञापन संख्या 18692/यू०डी० दिनांक जून 1973 भेजा गया ।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि एक विशिष्ट म्युनिसिपल चुनाव कानून बना हुआ है और उसमें उपबंध है कि यदि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में कोई अनियमितता हो तो उसे न्यायाधिकरण या न्यायालय में ले जाने की प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया का पालन करने के लिए निदेश देने के बजाय राज्यपाल अपनी कार्यकारी शक्तियों के साथ हस्तक्षेप करता है जो पक्षपातपूर्ण है ।

जैसा कि मांग की जा रही है कि मुझे चाहिए कि उन पत्रों को सभा-पटल पर रखा जाये, मैं उन्हें सभा-पटल पर रखता हूं ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : (बडागरा) : क्या आपने उनको अनुमति दी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : सभा-पटल के अधिकारियों द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि अध्यक्ष महोदय ने उन्हें इन विशेष पत्रों को सभा-पटल पर रखने की अनुमति दी है।

श्री पी० के० देव : आज प्रातः प्रधान मंत्री की बैठक में यह वार्ता हो रही थी कि फिजूल खर्च को कम किया जाये परन्तु मैं बताना चाहूंगा कि उड़ीसा में राजकोष से जानबूझकर धन का अपव्यय किया जा रहा है । पार्टी सत्ता में बनी रहे इसके लिए गरीब लोगों के धन का अपव्यय किया जा रहा है ।

हम सभी भूमि सुधार करना चाहते हैं परन्तु इसके लिए राज्य-विषयक दृष्टिकोण होना चाहिए। सरकार के कब्जे में 8।। लाख एकड़ खेती योग्य भूमि है। परन्तु सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। भूतपूर्व स्वतंत्र पार्टी की सरकार प्रत्येक भूमिहीन हरिजनों और आदिवासियों को 5 एकड़ भूमि देती थी परन्तु इस तथाकथित प्रगतिवादी सरकार ने उसे घटाकर 2 एकड़ कर दिया है ।

अन्त में मेरी मांग है कि महामहिम बासप्पा दासप्पा जत्ती का औपनिवेशिक शासन समाप्त होना चाहिए और उन्हें वापस बुलाया जाना चाहिए। उड़ीसा राज्य में शीघ्र चुनाव होने चाहिए और लोकप्रिय सरकार बनाई जानी चाहिए।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : माननीय सदस्य का औपनिवेशिक शासन का जिक्र करना आपत्तिजनक है । उनका ऐसा कहने से क्या तात्पर्य है ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : औपनिवेशक शब्द का प्रयोग बिलकुल सही है । इसका तात्पर्य राज्यों को केन्द्र का उपनिवेश बनाना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां जो भी कहा गया है, उसको कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया गया है। हमने व्यर्थ की चर्चा मैं अपना समय खराब कर दिया है । मेरे विचार में कोई असंसदीय बात नहीं की गई है इसलिए इसे कार्यवाही वृत्तान्त में लिया गया है । चूंकि अभी अनेक सदस्यों ने इस पर बोलना है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कितना समय बढ़ाया जाये ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : इस विषय पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया जाता है ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : श्री पी० के० देव ने जो कुछ कहा है मैं उसका जोरदार खंडन करता हूं । राज्यपाल का स्वन्द प्रशासन प्रतिक्रिया वादियों के लिए खतरे की घंटी सिद्ध हो रही है ।

उड़ीसा में आर्थिक संकट से दो करोड़ व्यक्ति प्रभावित हुए हैं वहां भुखमरी से मौतें हुई हैं. हांलांकि राज्यपाल ने इसका खंडन किया है । योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री एस० एल० द्विवेदी ने यह बताया है कि उड़ीसा के केनझर जिले में कुपोष्ण से मौतें हुई हैं । यह भी भुखमरी से होने वाली मौतों के बराबर है । सरकार को वहां राहत कार्य के लिए सहायता देनी चाहिए बाढ़, समुद्री तूफान अथवा सूखे के कारण प्रभावित लोगों की और सरकार का ध्यान जाना चाहिए ।

जनता को राहत देने के लिये अकाल संहिता में परिवर्तन किया जाना चाहिए । ऐसा किये बिना हम कोई राहत सहायता नहीं पहुंचा सकते हैं । डाक्टर यह कह सकता है कि मौतें कुपोषण अथवा किसी बिमारी से हुई हैं और इस प्रकार सरकार के लिये किसी प्रकार की सहायता देना कठिन हो जाता है, गत 10 वर्षों में उड़ीसा में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं और काफी नुकसान पहुंचा है, सरकार को आदर्श गांव तथा आदर्श नगर की स्थापना की शुरूआत उड़ीसा से आरम्भ करनी चाहिये ।

हम प्रतिवर्ष यहाँ उड़ीसा में बाढ़ द्वारा की गई विनाशलीला की चर्चा करते हैं । सरकार यही कहती है कि उड़ीसा को अमुक सहायता पहुँचाई जायेगी तथा वहां नहरें, बाँध आदि का निर्माण किया जायेगा । अब वहां की जनता इन बातों में नहीं आने वाली है । सरकार को इस संवध में निश्चित आश्वासन देना चाहिये । मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1957 में दिल्ली में हुए राज्यों के सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलन में समेकित मास्टर प्लान के संबंध में लिए गए निणय का क्या हुआ । डा0 के0 एल0 राव ने वर्ष 1971 में उड़ीसा में आए समुद्री तूफान और बाढ़ के दौरान राज्य को बांध आदि बनाने के लिए 3.90 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी थी । अब बजेट में उसका कोई जिक्र नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि पारादीप बंदरगाह में राडार क्यों नहीं लगाया है तथा क्यों नहीं भुवनेश्वर में मौसम विज्ञान संबंधी वेधशालां स्थापित की गई है ? डा० राव ने यह आश्वासन दिया था कि स्वर्णरेखा

नदी में बाढ़ को रोकने के लिए उस पर बांध बनाने हेतु एक विशेषज्ञ समिति जांच करने के लिए भेजी गई थी जिसका प्रतिवेदन अगस्त मास तक आ जाएगी। बालासोर की जनता इस प्रतीक्षा में है कि वैतरणी, स्वर्णरेखा नदियों में बाढ़ को रोकने के लिए कुछ कार्यवाही की जाएगी परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

उड़ीसा में और अधिक उद्योगों को लगाये जाने की आवश्यकता है बिना औद्योगिक विकास के वहां की जनता को आर्थिक राहत नहीं मिलेगी, वहां उद्योग बहुत कम संख्या में हैं, दो करोड़ की आबादी वाले राज्य में ये अपर्याप्त हैं। कई वर्षों पहले राज्य में कांग्रेसी सरकार ने यह निर्णय किया था कि प्रत्येक पंचायत में एक कारखाना स्थापित किया जायेगा, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। सरकार को प्रत्येक जिले में लोगों को रोज़गार देने हेतु उद्योग स्थापित करने चाहिए।

देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में उड़ीसा का भाग केवल 4 प्रतिशत है, स्वभावतः वहाँ और अधिक उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता है।

देश में 64 पटसन मिलों में से उड़ीसा के पास केवल दो पटसन मिलें हैं। उड़ीसा में पटसन की 4 लाख गांठें होती हैं। इसलिए वहां कम-से-कम दो पटसन मिलें होनी चाहिए।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय पारादीप बंदरगाह के विकास की ओर ध्यान देंगे।

उड़ीसा के जनजाति वाले क्षेत्रों की घोर उपेक्षा की गई है। इन जिलों की ओर न उचित ध्यान दिया गया है और न ही इनका औद्योगिक रूप से विकास किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा आदि सेवाओं में इनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अंग्रेजी का ज्ञान न होने के कारण जनजाति वाले क्षेत्रों के लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में अंग्रेजी जानने वालों के साथ प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पाते हैं, सरकार को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए।

सप्लाई विभाग के कर्मचारियों और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के बीच वसूली के मामले को लेकर वाद-विवाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश की भांति उड़ीसा में भी भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाई जानी चाहिए।

श्री सी० एम० सिन्हा (मयूरभंज) : यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उड़ीसा में विरोधी दल का बहुमत होते हुए भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

उड़ीसा के बजट के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में उड़ीसा के अनुसूचित क्षेत्रों के लिये व्यवस्था नहीं की गई है। उड़ीसा में दो जिलों तथा एक अन्य जिले के कुछ भाग को संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है परन्तु बजट के उपबन्धों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यद्यपि सरकार को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिये विशेष शक्तियां प्राप्त हैं।

जहां तक मयूरभंज जिले के अनुसूचित क्षेत्रों का सम्बन्ध है वहां बहुत-से ऐसे गांव हैं जहां के आदिवासी लोग अपने घर छोड़कर रोजगार प्राप्त करने के लिये अन्यत्र चले गए हैं। वहां खानें बंद कर दी गई हैं। टाटा के पास जो खानें थीं उनके बन्द हो जाने के बाद लगभग 15,000 से 20,000 व्यक्ति बेरोज़गार हो गये थे। कहीं से कोई राहत संभव नहीं थी। यदि भारत सरकार या रेलवे प्राधिकारी इस समस्या की ओर ध्यान देते तो उन अभागे लोगों को

कुछ रोज़गार मिल जाता। ये खानें निजी मालिकों को पट्टे पर दे दी गई थीं जो रेलवे की सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण उस क्षेत्र से अयस्क बाहर नहीं भेज सकते। इस्पात कारखाने और खनिज तथा धातु व्यापार निगम चाहते हैं कि उस मार्ग पर बाक्स वैगन चलाये जायें। यदि ऐसा किया जाये तो खानें पुनः चालू की जा सकती हैं और हजारों लोगों को रोज़गार मिल सकता है।

यह कहा जाता है कि लौह-अयस्क के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा दी जाने वाली दरों में अन्तर है। यदि यह निगम समान सुविधाएं दे तो ये खानें चल सकती हैं और लोगों को रोज़गार मिल सकता है।

यह सुना गया था कि इस जिले में फेरो-वेनेडियम का कारखाना स्थापित किया जायेगा परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। यदि इस पर भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता है तो वह दी जा सकती है।

खाद्यान्न की सप्लाई से सम्बन्धित कठिनाई के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। गेहूं का व्यापार करने के इच्छुक व्यक्ति को लाइसेन्स लेने के लिये 200 रुपये जमा करने पड़ते हैं। थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी दोनों को यही फीस जमा करानी पड़ती है इसलिये देहाती क्षेत्रों में लोग आगे नहीं आ रहे हैं।

यदि सरकार अनुसूचित जन जाति के लोगों का कल्याण चाहती है तो विशेष विकास बोर्ड जैसा अलग तंत्र बनाया जाना चाहिए।

श्री बनमाली पटनायक (पुरी) : उड़ीसा के बजट का समर्थन करते हुए मैं यह कहूंगा कि बजट को देखते हुए यह राशि बहुत थोड़ी है। संसाधन भी बहुत कम है। उड़ीसा ऋणों के भार से दबा हुआ है और उसे प्रतिवर्ष 29.9 करोड़ रूपये का ब्याज अदा करना पड़ता है। वित्त आयोग की स्थापना से पूर्व हीराकुड बांध परियोजना का कार्य सी० डब्ल्यू० आई० एन० सी० द्वारा हाथ में लिया गया था उस समय भारत सरकार और उड़ीसा सरकार के बीच एः करार हुआ था कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद ऋण का एक अंश भारत सरकार द्वारा ले लिया जायेगा। हीराकुड चरण प्रथम पर 82.6 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं जिसके लिए उड़ीसा ब्याज अदा कर रहा है। जब तक उड़ीसा के मामले पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार नहीं किया जायेगा तो ऋणों पर ब्याज के भारी वजन से राज्य दब जाएगा।

उड़ीसा सरकार ने विविध ऋणों के अन्तर्गत पारादीप पत्तन को अपने हाथ में लिया था और 15.69 करोड़ रुपये का ऋण लिया। चूंकि पारादीप के परिवहन को भारत सरकार ने हाथ में ले लिया इसलिये ऋण और ब्याज दोनों की ही देयता उड़ीसा सरकार पर आ गई।

इसी प्रकार पारादीप पत्तन के बन जाने के बाद राज्य सरकार ने पारादीप को तट से दूर के प्रदेश के साथ मिलाने के लिये 143 किलोमीटन लम्बा राजपथ बनाया। केवल पिछले वर्ष उस राजपथ में से 73 किलोमीटर राजपथ को राष्ट्रीय राजपथ घोषित किया गया। इसे राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने के बाद राज्य सरकार कोई चुंगी (टोल) नहीं लगा सकती। अतः उसे एक्सप्रेस राजपथों से कोई आय नहीं हो सकती। इसे परियोजना पर उड़ीसा सरकार का 15 करोड़ रुपये व्यय हुआ। भारत सरकार को चाहिए कि इस राजपथ को अपने हाथ में ले ले और राज्य सरकार को उसके द्वारा किये गये व्यय तथा ऋणों के ब्याज को वापस दे दे। इससे उड़ीसा सरकार को अपने संसाधनों को विकास कार्यों में लगाने में सहायता मिलेगी।

बजट में योजना के लिये केवल 37.37 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है जबकि ब्याज ही लगभग 10 करोड़ रुपये हो जाता है। कुछ वर्ष पूर्व भू-राजस्व समाप्त कर दिया गया था। जब भू-राजस्व विद्यमान था तो भी किसी-न-किसी कारण से लगभग 7 करोड़ रुपये वसूल होते थे।

मेरा सुझाव है कि भू-राजस्व अथवा कर को इस ढंग से श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिये कि जिन लोगों के पास न्यूनतम (बेसिक) जोत से कम भूमि है वे कर अदा न करें और जिनके पास उससे अधिक है उन्हें भू-राजस्व का भुगतान करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त 40 प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी है। उनकी क्रय क्षमता नहीं है अतः उनसे अधिक धन-राशि प्राप्त करके संसाधन नहीं बढ़ाये जा सकते।

शिक्षा के बजट में भी केवल चार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की एक ऐसी समस्या है जिसका बहुत-से राज्य सामना नहीं कर सकते हैं। उड़ीसा सरकार केन्द्रीय सरकार की दरों से मंहगाई भत्ते का भुगतान करती है। उसके पास संसाधन नहीं हैं। वह कैसे काम चलाये।

उन्नीस लाख की जनसंख्या वाले कोरापुट जिले में केवल चालीस हाई स्कूल हैं जबकि तीस लाख की जनसंख्या वाले बालासौर जिले में तीन सौ हाई स्कूल हैं। यह विषमता अधिक दिन नहीं चल सकती। चाहे योजना आयोग हो अथवा वित्त आयोग, यह उनका कर्तव्य है कि समूचे क्षेत्र को समान स्तर पर लाया जाए। जब तक केन्द्रीय सरकार हमारी सहायता नहीं करेगी तब तक राज्य का विकास संभव नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Banka): The backwardness and opportunism of the Congress leadership in Orissa is responsible for the poverty and economic backwardness of this state. Orissa could not progress after independence due to continuous defections among political parties.

To-day the position is that Orissa has become most backward state, According to the latest figures, the per capita income in Orissa is the lowest.

So far as the agriculture is concerned, there are more than 90,000 pumping sets in Punjab whereas the number of pumping sets in Orissa is 6,000. Similarly, there are more than 22,000 tractors in Punjab whereas they are only 900 in Orissa.

38 per cent of the total population in Orissa consists of Harijans and Adivasis. During the President's Rule in Orissa, the Government should take concrete and effective steps for the speedier development of agriculture and industry and ensure employment to the unemployed youth.

The politics in Orissa has mainly centered around the kendu leaf affair. Several reports have been received in this matter but we do not know as to what has been done about them. We should be informed whether the defaulters have been punished ?

What is the position regarding setting up of Steel Plant ? It seems, it is not going to be set-up during the congress Rule.

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : मैं उड़ीसा के बजट की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

विकास सम्बन्धी प्रशासन की अपेक्षा के कारण पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास पिछड़ी अवस्था में रह गया है। उड़ीसा में पिछड़े क्षेत्रों की विकास सम्बन्धी योजनाओं को अभी क्रियान्वित किया जाना है । उड़ीसा में अभी भी बहुत से क्षेत्र हैं जो विकास से पूर्व की स्थिति में हैं। इन पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये जो राशि दी गई है वह अपर्याप्त है। यदि 5 से 10 करोड़ रुपये के बीच राशि दी जाती तो अच्छा होता। सड़कों द्वारा यात्रा करने वाले हमारे आदिवासी लोग राज्य के आन्तरिक भागों में रहते हैं तथा उनके गांवों को बाजार के स्थानों के साथ नहीं मिलाया गया है। यद्यपि भारत सरकार ने राशि मंजूर की है परन्तु अधिकांश राशि बड़ी सड़कों पर खर्च कर दी गई है गांवों को जोड़ने वाली सड़कों पर नहीं।

उन्होंने शिक्षा के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही पर 1.96 लाख रुपये खर्च किये हैं। आदिवासी क्षेत्रों में कुछ आश्रम स्कूल खोले गए हैं। कस्बों में अधिकाधिक स्कूल खोले जाने चाहिए और आदिवासी छात्रों को छात्र वृत्तियां दी जानी चाहिए। केन्द्रीय सरकार और उड़ीसा सरकार को चाहिए कि राज्य की राजधानी और जिला मुख्यालयों में जहां अच्छे हाई स्कूल और कालेज हैं अधिकाधिक छात्रावास खोले।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक परियोजना की जांच पर दस वर्ष लग चुके हैं और वह अभी क्रियान्वित्त की जानी है। उन्होंने मुझे बताया है कि इसे पांचवीं योजना में शामिल किया जायेगा। मुझे आशा है कि इसे पांचवी योजना में सम्मिलित कर लिया जायेगा। इससे पिछड़े क्षेत्रों में लोगों को सहायता मिलेगी।

***श्री एस० डी० सोमसुन्दरम (थंजावूर)** : आज हम वर्ष 1973-74 के लिये उड़ीसा के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले दो दिनों से सभा में अन्य राज्यों के बजट पर चर्चा हो रही है। हमारे लोकतंत्र के लिये यह अच्छी बात नहीं है कि संसद राज्य विधान मंडलों का कार्य अपने हाथ में ले ले।

मैं उन परिस्थितियों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा जिनके अन्तर्गत उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। उड़ीसा की मुख्य मंत्री ने स्वंय को अल्पमत में पाकर राज्यपाल को त्याग पत्र दे दिया और साथ ही विधान सभा भंग करने की सिफारिश कर दी। राज्यपाल ने बड़ी तत्परता से उनकी सिफारिश मान कर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। राज्यपाल ने इस बात पर विचार करना उचित नहीं समझा कि विरोधी दल जो विधान सभा में बहुमत में है वैकल्पिक सरकार बना सकता है। इस प्रकार की राजनीति की निन्दा की जानी चाहिए।

बहुत से सदस्यों ने उड़ीसा के पिछड़ेपन के बारे में विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है। उड़ीसा में कृषि सम्बन्धी विकास की गति बहुत धीमी है और वहां उचित और गहन खेती के लिये सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। वहां शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई प्रगति नहीं हुई है। स्कूलों की संख्या बहुत ही कम है और विद्यमान स्कूलों में अध्यापक भी पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। आदिवासियों की दशा यथावत और दयनीय है।

अब समय आ गया है कि वहां पर एक प्रतिनिधि सरकार बनाई जाये जो लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का ध्यान रखे। ऐसी सरकार के शीघ्र चुनाव कराये जाने पर ही बन सकती है।

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

श्री देवेन्द्र सत्पथी (ढेंकानल) : इसका उल्लेख करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि उड़ीसा गरीब लोगों का एक साधन सम्पन्न राज्य है। वहां प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। 75 प्रतिशत लोग गरीबी की सीमा से भी नीचे रहते हैं। बाढ़ सूखा तूफान और दैवी प्रकोप इस राज्य में बार-बार होते हैं।

उड़ीसा में गत 25 वर्ष से प्रतिक्रियावादि शक्तियां हावी रही हैं। गरीबों की वर्तमान स्थिति 25 वर्ष के शासन अथवा प्रतिक्रियावादि शक्तियों के कुशासन का परिणाम है।

श्री देवेन्द्र सत्पथी : मेरे पास यह तस्वीर है जिसमें श्री पी० के० देव प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस तस्वीर को रख लीजिये क्योंकि आपके भाषण से ज्यादा माननीय सदस्य उस तस्वीर की ओर ध्यान दे रहे हैं।

श्री देवेन्द्र सत्पथी : यह अच्छी बात है कि कृषि मंत्री उड़ीसा के कृषि क्षेत्र में विकास के लिये पर्याप्त रूचि ले रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त कराने के लिये शीघ्र कोई कदम उठायें जिससे राज्य में स्थिति खराब न हो।

उड़ीसा को अन्य राज्यों के स्तर पर लाने के लिये इस राज्य की ओर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। उड़ीसा को जितनी धनराशि दी जाती है उससे उड़ीसा का पूरी तरह विकास नहीं किया जा सकता।

उड़ीसा के मेडीकल कालेज के छात्र हमसे मिले थे तथा उन्होंने यह मांग की थी कि उनमें सीटों को कम न किया जाये। देश में डाक्टरों की कमी को ध्यान में रखते हुए उनके कालेज की सीटों में कमी नहीं की जानी चाहिये।

उड़ीसा में लगभग चार वर्षों से श्री वी० के० देव की पार्टी की सरकार थी। उस राज्य में अभी तक केवल एक उद्योग है। 1970 में और 1971 में लगभग 10 उद्योगों के लिए आराजपत्र दिये गये हैं। मंत्री महोदय कृपया उड़ीसा में औद्योगिक के बारे में अधिक ध्यान दें। केन्दू की पत्तों के बारे में उड़ीसा में जांच की जा रही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि अधिकारी सहयोग नहीं दे रहे हैं तथा फाइलें और जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान सरकार को अधिक सतर्कता से कार्य करना चाहिये।

Shri Anadi Charan Das (Jaipur) : The time allotted to discuss Orissa Budget is in adequate and during this time we can not discuss the various problems faced by the people of Orissa.

It is well known that Orissa is a backward State with 2/5 Harijans and Tribal population. Allocations of Rs. 4 crores for the welfare of Harijans and **Adivasis** is not sufficient. more over, out of this amount a large proportion would go in the hands of bureaucrats and the poor Harijans would not be benefied much. I request that this amount should be increased.

Orissa is a drought as well as flood prove state. May I know whether certain permanent measures have been taken to deal with this situation. Government have

given permission for Ringli project. I want to know the time by which it would be completed. I would also request that flood central project in Orissa should be completed as soon as possible.

I have received information only yesterday that due to the heavy flood in Brahamani, Vaitarni and Khan guita rivers more than three lakh people have been marooned and many of them have became homless. I demand that Government should make permanent arrangements to deal with this situation in Orissa.

I also suggest that 15 irrigation projects which were undertaken two or three years ago should be completed as soon as possible.

At least eleven plans are pending with the Central Government for clearance. Government should look into all these matters to provide adequate irrigation facilities to Orissa.

I also demand that the Panchayat Industries in Orissa should be revived and they should be provided with funds so that large number of persons can be absorbed in them. Khadi and village industries should also be expanded in this state in view of large number of weaver, there.

Consultative Committee have passed land reforms which should be made a law soon. I am opposed to the proposed concession regarding the temple land etc. I request that there should be no concession. I also demand that there should be reservation in promotion of Scheduled caste and Scheduled Tribe Government employees.

श्री कुमार माजी (क्योंझर): : आश्चर्य है कि इतनी कम राशि से उड़ीसा में विद्यमान सूखा और बाढ़ की स्थिति का कैसे मुकाबिला किया जा सकता है । उदयपुर पंचायत, मुआनमीर और जुमांग पीर में सूखे के कारण कई व्यक्तियों की मुत्यु के समाचार मिले हैं। आनन्दपुर बांध का शिलान्यास राजस्व तथा सिंचाई मंत्री द्वारा किया गया था । किन्तु अभी तक इस परियोजना को क्रियान्वित नहीं किया गया । गत वर्ष तत्कालीन इस्पात मंत्री मलंगतोली और सुटिनदा परियोजना का शिलान्यास किया था किन्तु इनको भी अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है । रेल मंत्री को मैंने जखपुरा-बांसपानी रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में पत्र लिखा था किन्तु उन्होंने उत्तर में बताया कि हाल में कुछ नहीं होगा।

मैं जानना चाहता हूं कि उड़ीसा में इन कार्यों की प्रगति इतनी अधिक धीमी क्यों हैं ।

श्री बी० के० देव ने मई में क्योंझर जिले का दौरा किया था तथा उन्होंने वहां सभाएं भी की थीं । उन्हें ज्ञात है कि उस क्षेत्र में भूख से लोगों की मृत्यु हुई है । उन्होंने वहां खान मालिकों, ठेकेदारों और व्यापारियों से लगभग 65,000 रुपये वसूल किये हैं । जब स्वतंत्र पार्टी के नेता का यह रवैया है तो यह कैसे आशा की जा सकती है कि इस राज्य के आदिवासियों की स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

अंत में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह अनन्तपुर बांध, मलनटोडी लोह अयस्क परियोजना तथा सुकिंदा निकिल संयंत्र परियोजना को शीघ्र पूरा करें ।

श्री० अर्जुन सेठी (भद्रक) : दुर्भाग्य से उड़ीसा राज्य अत्यंत गरीब राज्य है तथा इसके ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय औसतन 22.69 रुपया है जबकि पूरे भारत की औसत 44.57 रुपया है । उड़ीसा की 76 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निभर है तथा कृषि वर्षा पर जो नितांत अनिश्चित है ।

बाढ़, सूखा तथा तूफानों की चिर समस्या को सुलझाने के लिये उड़ीसा सरकार ने कई प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं किन्तु उनके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये । लगभग चार महीने पूर्व योजना आयोग तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने आनन्दपुर बांध परियोजना की स्वीकृति दे दी थी किन्तु खेद है कि अभी तक कोई कार्य आरम्भ नहीं कराया गया क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने पुनः इस सम्बन्ध में जांच आरम्भ कर दी है । स्पष्ट है कि सरकार इस परियोजना को क्रियान्वित नहीं करना चाहती । जहां तक डिज़ाइन, फ्लड डिस्चार्ज का सम्बन्ध है, जिसके बारे में जांच की जा रही है, जब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने आनन्दपुर बांध के लिए 6.75 लाख क्यूसेक्स को स्वीकार कर लिया था तो अब वह 9.5 लाख क्यूसेक्स के बारे में क्यों पुर्नविचार कर रहा है । मेरा अनुरोध है कि सरकार उड़ीसा में विद्यमान समस्याओं की ओर ध्यान देते हुये इन परियोजनाओं को तुरन्त किर्यान्वित कराने का प्रयत्न करें जिससे बाढ़ पर नियंत्रण हो सके तथा लगभग 2.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सके ।

भीम कुन्ड बांध परियोजना के बारे में भी श्री जनार्दन त्रिपाठी तथा श्री सुरेश त्रिपाठी नामक दो चीफ इंजीनियरों में मतभेद है जिसके कारण इस परियोजना में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है । राज्य सरकार ने 1958 में भीम कुण्ड परियोजना का प्रस्ताव किया था तथा केन्द्रीय सरकार तभी से कोई न कोई बहाना करके इस परियोजना में विलम्ब करती रही है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० के० आर० गणेश) : वाद विवाद में व्यक्त किये गये विचारों से ज्ञात होता है कि सभी माननीय सदस्यों ने इस बात पर बल दिया है कि यद्यपि उड़ीसा में प्राकृतिक संसाधानों की कमी नहीं है तथापि वह राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है । अतः उसके विकास के लिए अधिक धन राशि नियत किये जाने की आवश्यकता है ।

उड़ीसा के बारे में दो पहुलुओं पर विचार व्यक्त किये हैं, अर्थात् तत्कालीन समस्याओं के समाधान की आवश्यकता तथा उसके भावी विकास के लिये विकास योजनाओं का बनाया जाना ।

श्री पी० के० देव ने अपने भाषण में कुछ राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख किया है तथा इस संम्वन्ध में उड़ीसा को अगुआ बताया है : यह उनके सोचने का तरीका है । माननीय सदस्य ने क्रोध पूर्ण भाषण दिया है तथा राज्यपाल विरुद्ध एक पत्र सभा पटल पर रखा है जो उड़ीसा के राज्यपाल को उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा लिखा गया था तथा जिसमें नगरपालिका के चुनावों में कदाचारों की जांच करने की मांग की गई थी । इस संम्वन्ध में सभी नागरिकों को राज्यपाल को पत्र लिखने का अधिकार है तथा उनके इस आरोप में कोई संगति नहीं है ।

माननीय सदस्य को इस बात से प्रसन्न होना चाहिये था कि उड़ीसा के योजना बोर्ड में श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी जैसे राजनीतिक तथा सामान्य व्यक्ति को डिप्टी चेयरमैन बनाया गया है । किन्तु माननीय सदस्य ने वजाय उनकी सराहना करने के उनकी कड़ी आलोचना की है ।

श्री मधुलिमये ने उड़ीसा के कुछ सम्मानित व्यक्तियों का उल्लेख किया है । गत तीन चार वर्षों में उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने वहां के विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है । माननीय सदस्यों ने उड़ीसा की जनता की समस्याओं का जोरदार शब्दों में उल्लेख किया है यह सच है कि बहां पर बाढ़ और सूखा की समस्या विधमान है ।

जहां तक उड़ीसा की आर्थिक स्थिति तथा बजट व्यवस्था का सम्बन्ध है इस बारे में वित्त आयोग ध्यान दे रहा है । वह इस बात पर भी विचार कर रहा है कि केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों के क्या वित्तीय प्रबन्ध होने चाहियें । वित्त आयोग उड़ीसा की विभिन्न समस्याओं पर भी विचार करेगा । तथा संभवतः कोई न कोई हल खोज निकालेगा ।

उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों में अधिक पूंजी लगाई जाने की आवश्यकता है । मैं यहां भी उल्लेख कर देना चाहता हूं कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजना के संम्बन्ध में उड़ीसा का महत्वपूर्ण स्थान है। अन्य राज्यों की तुलना में इस बारे में इसका चौथा स्थान है।

इसका श्रेय उड़ीसा की भूतपूर्व सरकारं को जाता है कि उसने सरकार छोड़ने से पूर्व भूमि सुधार अधिनियम पास किया । उड़ीसा संम्बन्धी सलाहकार समिति ने उस पर विचार विमर्श किया है । समिति में कुछ सुझाव दिये गये जिन पर विचार किया जायेगा तथा आशा है इस अधिनियम को लागू किया जाएगा । व्यवधान

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि तेंदू लीव्ज के व्यापार को राज्य सरकार के नियंत्रण के लाया जायेगा तथा उसका राष्ट्रीयकरण किया जायेगा जिससे इस संम्पत्ति को राज्य के विकास कार्यों में लगाया जा सके।

केंसर संस्थान के बारे में मेरा निवेदन है कि भारत सरकार ने 1971 में ऐसा एसेस्मेंट कमैटी की स्थापना की थी । इस कमैटी ने एस0सी0बी0 मैडीकल कालेज कटक का दौरा किया था । इसके आधार पर यह निर्णय किया गया था कि इस अस्पताल में केंसर की बीमारी का इलाज करने के लिये विभिन्न शाखाएं खोली जाएं इसकी इमारत तथा उपकरणों के लिये लगभग 44 लाख रुपयों की तथा प्रयोगशालाओं के लिये 6.20 लाख रुपयों की आवश्यकता होगी । यह मामला अब स्वास्थ्य मंत्रालय के विचाराधीन है । पारादीप में उर्वरक कारखाने की स्थापना के बारे में भारतीय उर्वरक निगम ने व्यवहायर्ता प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर पुनःविचार किया गया । अब स्थिति यह है कि उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम को पारादीप में सोड़ा एश संयंत्र की स्थापना के लिये आशय पत्र दिया गया है।

इस्पात संयंत्र के बारे में उड़ीसा की जनता की मांग पर प्रधान मंत्री विचार कर रही हैं। इस मामले पर इस्पात मंत्रालय भी विचार कर रहा है ।

बरहामपुर रायपुर सड़क इस समय राज्य सड़क है । पांचवीं योजना में प्रस्तावित राष्ट्रीय राज पथ प्रणाली पर विचार किया जा रहा है । इस सड़क की उपेक्षा का कोई प्रश्न नहीं है।

राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन आदि के बारे में राज्य ने वेतन आयोग स्थापित किया है उड़ीसा के विकाश के लिये अन्य कई विकाश एंजेसियां तथा निगम स्थापित किये गये है ।

उड़ीसा में प्रारम्भिक शिक्षा निशुल्क है तथा 6—11 वर्ष की आयु वाले अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल भेजवाने का प्रयत्न किया जा रहा है। विभिन्न औद्योगिक और कृषि योजनाएं आरम्भ की गई हैं। परियोजनाओं में विलम्ब को दूर किया जायेगा।

श्री डी० के० पंडा (भेजनगर)। उड़ीसा कृषि प्रधान राज्य है अतः हम पूछना चाहते है कि क्या उन भूमिहीन व्यक्तियों को, जिनमें 34 लाख एकड़ भमि वितरित की जा रही है, खाद बीज आदि देने की व्यवस्था की गई है। यदि इसके लिये बजट में कोई व्यवस्था न की गई तो यह काम कैसा किया जा सकेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है और मंत्री महोदय निश्चय ही इस मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

All the Cut Motious were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1973-74 के लिये उड़ीसा की अनुदातों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई :

The following demands for grants in Respect of Orissa for the year 1973-74 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1.	चुनाव और गृह विभाग से सम्बन्द्ध अन्य व्यय .	86,27,000
2.	जेलें . .	67,96,000
3.	पुलिस	6,51,60,000
4.	आयोजन व्यय और समन्वय विभाग से सम्बन्धित	33,53,000
4क.	ग्रामीण विकास विभाग से संम्बन्धित व्यय	4,34,60,000
5.	सामुदायिक विकास परियोजनायें, आदि . .	9,05,53,000
6.	राजनीतिक और सेवा विभाग से सम्बन्धित व्यय . .	34,97,000
6क.	राजनीतिक और सेवा (आर० बी० डी० विभाग से सम्बन्धित व्यय	1,28,000
7.	सांस्कृतिक कार्य	18,40,000
8.	स्टांम्प	6,55,000
9.	मंत्री, असैनिक सचिवालय, आदि	2,10,43,000
10.	पेंशन	1,41,40,000
11.	शिक्षा विभाग से सम्बन्धित व्यय	22,44,62,000
11क.	पाठय पुस्तक मुद्रणालय	26,23,000
12.	कराधान	78,43,000
13.	भूराजस्व	4,98,84,000
14.	उत्पादन-शुल्क	37,37,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
15.	पंजीकरण	19,30,000
16.	जिला प्रशासन और राजस्व विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	2,68,57,000
17.	उद्योग विभाग से सम्बद्ध व्यय .	2,41,74,000
17क.	खानें	32,57,000
18.	सिविल और सत्र न्यायालय और विधि विभाग से सम्बद्ध अन्य व्यय	51,72,000
19.	सरकारी मुद्रणालय और वाणिज्य विभाग से सम्बद्ध अन्य व्यय	95,50,000
20.	श्रम, रोजगार और आवास .	62,43,000
21.	आदिम जातीय और ग्रामीण कल्याण . . .	3,83,55,000
22.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग से सम्बन्धित चिकित्सा तथा अन्य व्यय .	5,55,32,000
23.	लोक स्वास्थ्य .	4,98,59,000
24.	सिंचाई .	10,03,30,000
24क.	उत्थान सिंचाई	72,53,000
25.	लोक निर्माण कार्य	10,15,85,000
26.	राज्य विधान मंडल . . .	14,40,000
27.	लोक निर्माण कार्य, सामान्य प्रतिष्ठान	2,39,03,000
28.	बिजली योजनाएं	1,36,61,000
29.	गाड़ियों पर कर	19,13,000
30.	परिवहन योजनायें	2,84,38,000
31.	वन . .	4,24,38,000
32.	मत्स्य पालन . .	87,53,000
33.	सहकारिता और विपणन . .	1,30,83,000
34.	नगर विकास विभाग से सम्बद्ध व्यय .	4,43,13,000
35.	पशु पालन . . .	2,34,87,000
36.	लोक सम्पर्क और पर्यटन	34,47,000
37.	कृषि	6,12,03,000
38.	पूर्ति विभाग .	57,07,000
39.	पत्तन	2,00,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
	ख—अन्य व्यय	
41.	स्थानीय निधियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	82,00,000
42.	जमींदारी उन्मूलन के लिये मुआवजा आदि	56,15,000
43.	बहुप्रयोजनीय नदी, सिंचाई और बिजली योजनायें	20,67,42,000
43क.	उत्थान सिंचाई से सम्बन्धित पूंजीगत व्यय	32,67,000
44.	कृषि सुधार और अनुसन्धान	3,17,89,000
45.	सरकारी व्यापार योजनायें	4,66,67,000
46.	सड़क और परिवहन योजनायें	20,46,000
47.	लोक स्वास्थ्य और नगर विकास विभाग से सम्बद्ध पूंजीगत व्यय	1,61,85,000
48.	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय	89,03,000
49.	हीराकुंड बांध परियोजना	4,00,000
50.	पत्तनों पर पूंजी परिव्यय	21,33,000
51.	श्रम, रोजगार और आवास विभागों से सम्बद्ध पूंजीगत व्यय	54,00,000
52.	शिक्षा विभाग से सम्बद्ध पूंजीगत व्यय	33,21,000
53.	गृह विभाग से सम्बद्ध पूंजीगत व्यय	3,34,000
54.	वनों पर पूंजी परिव्यय	6,63,26,000
55.	सहकारी संगठनों की शेयर पूंजी अंशदान और ऋण	1,78,27,000
56.	ग्राम विकास विभाग से सम्बद्ध पूंजीगत व्यय	1,99,60,000
57.	पशुपालन विभाग से सम्बद्ध पूंजी व्यय	5,07,000
58.	ग्राम पंचायत विभाग से सम्बद्ध पूंजीगत व्यय	1,08,000
60.	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4,84,09,000
61.	खनन और भूगर्भ विभाग से संम्बद्ध पूंजीगत व्यय	36,67,000
62.	आदिम जाति और ग्रामीण कल्याण विभाग से संम्बद्ध पूंजीगत व्यय	1,33,000

उड़ीसा विनियोजन (संख्या 2) विधेयक 1973

Orissa Appropriation (No. 2) Bill, 1973

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि वित्तीय वर्ष 1973–74 की सेवाओं के लिए उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि वित्तीय वर्ष 1973–74 की सेवाओं के लिए उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री० के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :–

"कि वित्तीय वर्ष 1973–74 की सेवाओं के लिए उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव पुरःस्थापित हुआ:–

"कि वित्तीय वर्ष 1973–74 की सेवाओं के लिए उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री चिंतामणि पाणीग्रही (भुवनेश्वर) : मेरी दो मुख्य बातों का मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है। जिनमें पहली यह है कि हीराकुंड परियोजना जिसका निर्माण किया जा चुका है वहां अनेक वर्षों से कार्य कर रही उड़ीसा राज्य की बाढ़नियंत्रण के लिये चक्रवृद्धि दर से ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। राज्य सरकार ने इस मामले पर विचार करने के लिए केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिया है।

दूसरी बात पारादीप पत्तन के बारे में है जिसका राज्य सरकार ने 16 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण किया है। इस राशि के लिए केन्द्रीय सरकार से मांग की गई है क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने इसका प्रशासन अपने हाथों में ले लिया है। अतः मंत्री महोदय को इन दोनों बातों के बारे में हमें जानकारी देनी चाहिये।

श्री के० आर० गणेश : मैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा और माननीय सदस्य का मत वित्त मंत्री महोदय तक पहुंचा दूंगा।

श्री डी० के० पंडा (भजंनगर) : मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में क्या हुआ है?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक प्रक्रिया संम्बन्धी पहलू बताना चाहता हूं। यह विनियोग विधेयक है और यदि आप इस पर बोलना चाहते हैं तो अपनी बातें पहले से भेजनी चाहिएं। अतः मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री डी० के० पंडा : उड़ीसा में नहरों में बाढ़ आजाती है। थोड़े से प्रयास और कुछ ही थोड़ी सी राशि से इससे जनता को बहुत सुविधाएं मिल सकती हैं। इससे रोज़गार के अवसर भी बन सकते हैं। क्या इस बारे में कुछ किया जा रहा है।

श्री पी० के० देव (काला हांडी) : प्रत्येक वक्ता ने भुखमरी से हुई मृत्युओं का उल्लेख किया है। किन्तु सरकार ने यह बात मानने से इन्कार कर दिया है। सरकार यह आश्वासन दे कि भुखमरी की सब रिपोर्टों की जांच की जायेगी अन्यथा विभिन्न दलों के संसद सदस्यों का एक संसदीय दल उन क्षेत्रों का दौरा और इस सत्र के अन्त तक अपनी रिपोर्ट पेश करे।

श्री के० आर० गणेश : जहां तक भुखमरी से हुई मृत्युग्रों का संम्बन्ध है, राज्यपाल ने बताया कि वहां भुखमरी से कोई मौत नहीं हुई है है । सूखा की स्थिति में सकंट होना स्वभाविक है । इन बातों को छुपाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । जब लोगों को कठिनाई होती है तो उनकी कठिनाई दूर की जानी ही चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि वित्तीय वर्ष 1973–74 की सेवाग्रों के लिए उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय ग्रौर विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 2 ग्रौर 3 ग्रनुसूची, खण्ड 1 ग्रधिनियमन सूत्र ग्रौर विधेयक का नाम विधेयक के ग्रग बनें" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा

The motion was adopted.

खण्ड 2 ग्रौर 3, ग्रनुसूची, खंड 1 ग्रधिनियम सूत्र ग्रौर विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

"Clauses 2 and 3, the Schedule, clause 1 the Enacting Formula and the little were added to the Bill.

श्री के० ग्रार० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा

The motion was adopted.

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक

NATIONAL CO-OPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION (AMENDMENT BIIL).

श्रीं एस० ए० कादर (पीठासीन हुए)

Shri S.A. Kadar in the Chair

कृषिमंत्रायल में राज्य मंत्री श्री ग्रण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ग्रधिनियम, 1962 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह विधेयक गत सत्र में पुरःस्थापित किया गया था। यह बहुत ही सीधा सा विधेयक है । माननीय सदस्यों को पता ही है कि इस संस्था का मुख्य कार्य राज्यों में सहकारी संस्थाग्रों का ग्रायोजन करना उन्हे बढ़ावा देना, उन्हें वित्तीय सहायता देना तथा विपणन ग्रौर भण्डारन को सहकारी क्षेत्र में

लाना है। दुर्भाग्यवश जब इसे लागू किया गया। तब समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 33 जम्मू और काश्मीर पर लागू नहीं होती थी। अब जम्मू और काश्मीर को शामिल करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह निगम जम्मू और काश्मीर को भी सहकारिता के विकास में सहायता दे सके।

बागवानी की दृष्टि से जम्मू और काश्मीर बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं। वहां सहकारिता के आधार पर विपणन संस्थाएं स्थापित करना बहुत आवश्यक है तथा इस कार्य के लिए इस विधेयक को यहां लागू किया जाए तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से भारत सरकार राज्य को काफी वित्तीय सहायता दे सकती है। राज्य सरकार भी इस उपबन्ध के लिए कई वर्षों से दबाव डाल रही है। अतः भारत सरकार ने इस सुझाव की स्वीकृति कर लिया है। मैं समझता हूं कि इस बारे में किसी प्रकार का विवाद नहीं है।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उल्बेरिया) : इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। किन्तु जब देश में सूखा, अकाल तथा खाद्य पदार्थों का बहुत अभाव हो तो स्वाभाविक रूप से हम यह जानना चाहते हैं कि उत्पादक और उपभोक्ताओं को संकट से बचाने तथा खाद्य वितरण के सम्बन्ध में देश की सहायता के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को क्या भूमिका निभानी पड़ेगी। इस संस्था की कोई ऐसी विशिष्ट भूमिका दिखाई नहीं देती। देश में जमाखोरों और काला बाजार करने वालों का बोलबाला है। सरकार केवल भ्रम उत्पन्न कर रही है। सरकार को इस सम्बन्ध बहुत गम्भीरता से काम लेना चाहिए और उत्पादन और वितरण पर नियंत्रण रखना चाहिए और उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने चाहिए। यही मुख्य बात है। वैसे मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नवल किशोर सिंह (मुजफ्फर नगर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि इसे जम्मू और काश्मीर राज्य में लागू करने का प्रस्ताव है। इससे कृषि और बागवानी सहकारी समितियों को बढ़ावा मिलेगा जिससे इस राज्य के गरीब भाइयों को विशेषकर खेतीहरों और श्रमिकों को बहुत लाभ पहुंचेगा जिनका समय पहले से अविवेकी लोगों द्वारा शोषण किया जा रहा है।

सहकारिता का सिद्धांत है कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन और वितरण सम्बन्धी आधुनिक विकास का लाभ साधारण लोगों को भी मिले। इस संस्था को एकता के आधार पर कार्य करना चाहिए। किन्तु खेद है कि देश में इन सिद्धांतों पर पूरी तरह से विचार नहीं किया गया है? किन्तु अब इस बात पर धीरे धीरे विचार किया जा रहा है। यदि इस पर पहले से विचार किया जाता तो वर्त्तमान स्थिति उत्पन्न नहीं होने पाती। राष्ट्रीयकरण और सरकारीकरण की प्रवृत्तियों के आरम्भ होने से भी वितरण की उचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। किन्तु यह अब विश्वजनीन मान्यता है कि उपभोक्ता सहकारी समितियां ही लोक वितरण प्रणाली की श्रेष्ठ माध्यम हैं।

गत 25 वर्षों में सरकार बहुधा अपनी नीतियों में परिवर्तन करती रही है। सहकारिता राज्य-विषय होने के कारण राज्य सरकारें इस आंदोलन में बाधक बनी हुई हैं। इसी कारण सहकारिता के समर्थकों ने ठीक काम नहीं किया तथा जनता के लोगों ने भी अधिकतर इस ओर ध्यान नहीं दिया है।

निस्सन्देह इस आंदोलन की बहुत क्षमताएं हैं और इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने भी बहुत योगदान दिया है। इन सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषि उत्पादनों के विपणन में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने कुछ प्रगति नहीं की है। यदि इस संस्था द्वारा पहले कुछ किया गया है तो यह आगे भी कुछ और अधिक कर सकती है। इस संस्था को दृढ़ बनाया जाना चाहिए और उसे अधिक कार्य क्षेत्र अधिक धन और काम करने की अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यह संस्था आगामी वर्षों में और प्रगति कर सकती है।

वर्त्तमान अधिनियम की पुनः जांच की जानी चाहिए। इस संस्था को गैर सरकारी बनाना चाहिए। मंत्री महोदय, जो इसके अध्यक्ष हैं, को गैर-सरकारी सहयोगियों की अध्यक्षता करनी चाहिए। वे हमारी समितियों की अध्यक्षता करें। तभी इन सहकारी समितियों का भविष्य उज्जवल हो सकता है?

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को बनाये रखने सम्बन्धी मामले की जांच करने के लिए वैंकटापैया समिति का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है। आशा है कि सरकार शीघ्र ही अपना निर्णय दे देगी। मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए कि इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इस समिति ने इस निगम के कार्य संचालन और इसे बनाये रखने आदि के बारे में कई लाभदायक सिफारिशें की हैं।

इस समय राज्य सरकारों पर बहुत भरोसा किया जा रहा है। कुछ योजनाओं को राज्य सहकारी विपणन संघों ने तैयार किया है किन्तु राष्ट्रीय सरकारी विकास निगम उन्हें तब तक धन नहीं दे सकता जबतक राज्य सरकारें उन्हें भेजती नहीं। सब राज्य सरकारों का सहकारी आंदोलन के प्रति सहानुभूति पूर्वक अनुकूल रवैया नहीं है। यदि राज्य सरकारों की ओर से उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता तो वे बीच में ही समाप्त हो जाती हैं।

जहां राज्य सरकारों का वास्तविक हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है तो वहां वे स्पष्ट रूप से अकर्मण्य रही हैं अनेक राज्य सरकारों की लेख परीक्षा रिपोर्टों और निरीक्षण टिप्पणियों पर की जाने वाली अनुवर्ती कार्यवाही में रुचि नहीं होती। राज्य सरकारों का सहकारी समितियों के बारे में मुख्य काम होना चाहिए। कभी ऐसा हो सकता है कि सहकारी समितियां अपना अलग लेखा परीक्षा आयोग बना सकती हैं और निरीक्षण के लिए भी अपने प्रबन्ध कर सकती है तथा उन्हें इसके लिए राज्य सरकार या किसी अन्य सरकार पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ये शक्तियां भी इनसे ले लेनी चाहिएं क्योंकि इनका उपयोग नहीं हो रहा है।

मेरे राज्य में व्यापार मण्डल सहयोग समितियों के नाम से विख्यात प्राथमिक सहकारी समितियों के उपनियम इस बात का उदाहरण हैं कि इस आंदोलन के मूल उद्देश्य को किस प्रकार समाप्त किया गया है। इसका प्रबन्धक एक अराजपत्रित कर्मचारी ही है। इसे प्राथमिक विपणन समितियों के सम्बन्ध में सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। अतः इन परिस्थितियों में प्राथमिक विपणन समितियां कार्य नहीं कर सकतीं। व्यापार मण्डल सहयोग समिति का यह उप-नियम इस आंदोलन के प्रति स्थाई अनादर की बात है।

गोदामों के निर्माण के लिए 20,000 रुपये की राशि दी गई है। उनके पास गोदाम हैं, कार्यालय और प्रबन्धक हैं। किन्तु सीमांत धन और पूंजी कहां है? बिहार में 200 एककों के पास कोई पूंजी नहीं है जिससे वे कुछ कार्य कर सकें। रिजर्व बैंक की छूट का वे लाभ नहीं उठा सकते। बिहार में चावल मिलों को निजी प्रतिष्ठान माना जाता है, और उन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है

सहकारी संस्थाओं के प्रति सरकार के ऐसे रवैये को देखते हुए यह आंदोलन सफल नहीं हो सकता। अतः मंत्री महोदय को सहकारी क्षेत्र की मूलभूत त्रुटियों को दूर करने के प्रयास करने चाहिए।

Shri K.M. Madhukar (Kesaria): Sir, I welcome this Bill, because its aim is quite laudable. The scope of Co-operative movement should be expanded in the country. The achievements of this movement are very small and negligible in comparison to the requirements of the country. There are a number of fake Co-operative Societies in the rural areas as a result of which the genuine existing Co-operative Societies do not get loans from banks and other facilities are also denied to them. These difficulties should be removed. Because of inadequate financial resources, these Societies experience difficulties in meeting their financial requirements of loans, etc. by the people especially the farmers. In fact loan facilities are being given to the middle men who lend this money to the poor people in the rural areas. This should not be allowed to happen in the state of Jammu and Kashmir.

Loan facilities from these Co-operative Societies have not been given to the small farmers, labourers and growers. These poor people have to face great difficulties in getting loans from banks. Adequate funds, for this purpose have not been allocated to the Co-operative Societies. It is correct that due to lack of funds, the proper working of the Co-operative Societies is in doldrums as a result of this loan to farmers are not given in time.

The scope of working of the Co-operative Societies should be expanded. In order to remove difficulties in the distribution system, the essential commodities like, sugar, and other stuffs should be distributed through Co-operative Societies. But because of some draw backs this system does not seem possible. Therefore this provisions of this Bill should be properly implemented to achieve its desired objectives.

It is a good step that the provisions of this Bill are being extended to the State of Jammu and Kashmir. Most of the people of the State belong to middle class and are poor. If this Bill is extended to that state the economic condition of the poor people can be improved. But this Bill should not remain on papers only. It should be properly implemented.

The bureaucratic behaviour of the I.A.S. Officers in the management of the Co-operative Societies should be brought to an end, because they are opposed to the objectives of the Co-operative movement.

I hope that with the provisions of this Bill having been extended to Jammu & Kashmir, the people of this state will be benefited and every facility should be given to the large number of people engaged in fruit and wool industries, so that they may expand their business.

Shri Mool Chand Daga (Pali): Mr. Chairman Sir, A great deal had been said on this Bill in 1962 when it was piloted by Shri S.D. Mishra. But in 1973, The Hon'ble Minister says—

"It is a very innocent Bill and you must pass it"

I want to know about your considered opinion. What is the recurring and non-recurring expenditure of your white elephant *i.e.* N.C.D.C. Public Accounts Committee has criticised its functioning. The committee has suggested that its very need should be re-considered as it has miserably failed in securing its objective.

An expert Committee appointed by the Central Government has suggested certain amendments to the National Co-operative Development Corporation Act, 1962. Government is still in a state of indecision about them. The Present Bill merely extends the Act to Jammu and Kashmir. But the need is that the Government should bring a comprehensive Bill for strengthening the Co-operative movement on the basis of recommendation of the Expert Committee.

Section 6 says, "The Central Government may at any time remove from office any Member other than an *ex-officio* Member of the Corporation" It also says that Rules and Regulations will be placed on the Table of the House. I would like to know whether these Rules and Regulations were framed and if so; under which section and when they were placed on the Table of the House. I would also like to know about the position of overdues of Co-operative Societies.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) यह बातें वर्त्तमान चर्चा से सम्बद्ध नहीं हैं और न ही सहकारी समितियों की अतिदेय राशि का प्रश्न इसके अन्तर्गत आता है।

Shri M.C. Daga: It does. There are Central Co-operative Banks and Primary Credit Societies which I have mentioned. They should be financed. This is the aim of the Bill. What is the position about overdues? It increased from Rs. 215 crores in 1969-70 to Rs. 274 crores in 1970-71.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : क्या माननीय सदस्य बता सकते हैं कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋण दिया था ?

श्री मूल चंद डागा : इस निगम ने सभी राज्यों को ऋण दिए हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य तथ्यों से अनभिज्ञ हैं।

Shri N. C. Daga: I had asked a specific question. How much money was given by the N.C.D.C. to states and the amount of money recovered out of that amount? The purpose of giving money was to increase the number of societies. But on the other hand the number has reduced. In 1962, the number was 2,12,000 which reduced to 1,58,782 in 1972. In this way, the very purpose of enacting law is failed. The Hon. Minister should go through all these points and then move amendments.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : राज्य सरकारों को दी गई राशि में से कुछ भी प्रतिदेय या बकाया नहीं है। निगम केवल राज्य सरकारों के माध्यम से ही कार्य करती है। राशि परियोजनाओं के आधार पर दी जाती है।

सभापति महोदय: : इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए एक घंटा नियत किया गया था। माननीय सदस्य ने 20 मिनट ले लिये हैं। अन्य सदस्यों को अभी बोलना है। अतः मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह उत्तर देते समय सभी प्रश्नों को शामिल कर लें।

श्री मूलचंद डागा: विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें क्या हैं? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय कितना है? राज्यों को कितनी राशि दी गई है?

Shri Bharat Singh Chowhan (Dhal) : The National Co-operative Development Bill was over due since Jammu and Kashmir is also an integral part of India. It is regrettable that the Co-operative movement has failed in the country. The purpose behind co-operative movement was to promote country through Co-operative Societies. But working of Co-operatives is so irregular that the purpose of setting the NCDC has failed. We are very much shocked when we overhaul the working of this corporation. Recommendation was made in the Report of Expert Committee that Corporation should be made autonomous. But this was not implemented. As a result of that Co-operative Societies have become political dens and funds are being misused. Had the Co-operative movement been properly carried on there would have been no scarcity of food in our country today.

A comprehensive Bill should be brought in the basis of suggestion, so that we can promote co-operation with a real spirit.

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू): निगम का उद्देश्य राज्यों के माध्यम से सहकारिता का विकास करना है। यदि इस कार्य में गतिरोध उत्पन्न होता है तो हम राज्य सरकार के विभागों के माध्यम से उसकी जांच कर सकते हैं।

यह संगठन ग्रामीण क्षेत्र के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस संगठन का कार्य कृषकों के प्रयत्नों को सफल बनाना रहा है। गेहूं के थोक व्यापार के सरकारीकरण में यह संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 10 जुलाई, 1973 तक 42 लाख टन गेहूं की वसूली हुई जिसमें से 27 लाख टन वसूली सहकारी समितियों ने की। अब इनका विचार राज्य स्तर पर कृषि आधारित उद्योग खोलने का है। मेरे राज्य में ट्रैक्टरों, पम्प सैटों आदि की मरम्मत करने तथा वर्कशाप खोलने के लिए 3 लाख रुपया दिया गया। केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से मेरा अनुरोध है कि वह केवल ऋण की वापिसी की किश्तों पर ध्यान न देकर उन योजनाओं के क्रियान्वयन पर ज्यादा ध्यान दें जिनके लिए ऋण दिया गया है ताकि कृषकों को लाभ पहुंच सके।

इस विधेयक का विस्तार जम्मू कश्मीर तक किया जाएगा। अतः निगम को वहां के छोटे कृषकों और लघु कुटीर उद्योगों को सहायता देनी पड़ेगी।

सहकारी उद्योगों में ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है जो मशीनरी के बारे में कुछ नहीं जानते। सरकार को चाहिए कि वह भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के बजाय इंजीनियरों को नियुक्त करें।

प्रतिवेदन के पृष्ठ 103 में कहा गया है कि देश में सहकारी क्षेत्र का काम बढ़ गया है। परन्तु आंध्र प्रदेश में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। वहां सहकारी क्षेत्र का काम बढ़ गया है। यह बात अत्यन्त शोचनीय है।

देश में तीन क्षेत्र हैं--सहकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र। यदि किसान को उर्वरक की आवश्यकता है तो उसे तानों क्षेत्रों से सम्पर्क स्थापित करना होगा क्योंकि एक क्षेत्र उसकी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता है। सरकार को स्थिति में सुधार करना चाहिए। आंध्र प्रदेश में 500

चावल मिलें हैं। सहकारी क्षेत्र इन गैर सरकारी क्षेत्र की मिलों का किस प्रकार मुकाबला कर सकता है? सहकारी क्षेत्र में उन मिलों में जहां आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है, वसूली से काम शुरू किया जाना चाहिए जैसा कि पंजाब और महाराष्ट्र में किया गया है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक सहकारी आंदोलन सफल नहीं हो सकता।

Shri E.V. Vikhe Patil (Kopargaon): Mr, Chairman, Sir, I rise to support the Bill. It is very easy to have our say regarding Co-operative movement, but it is very difficult to work for co-operative movement and run societies. In fact, there is no alternative to the co-operative movement in our country.

It is unfair to call the National Development Co-operative Corporation a white elephant. It is only due to the NCDC's loans that processing and engineering industries are prospering in our country. The record of Co-operative sector in repaying the loans extended by the Industrial Finance Corporation and the Life Insurance Corporation remained excellant.

It is not correct to say that there is manipulation in the grant of loans by the NCDC and in its elections. Reactionary forces are not in favour of Co-operative movement. Therefore, it is the duty of the state Governments to strengthen the Co-operative societies.

Shri M.C. Daga has alleged that number of Co-operative societies has reduced. No doubt, number has reduced where State Government did not help Co-operative Societies. But number has increased where they are being operated well. Societies have done remarkable job by bringing foodgrains from other states and distribute it through Ration Shop during critical time of drought and famine in Maharashtra.

It is regrettable that whenever discussion are held in Parliament, it is said that this is a state subject. But when State Governments are approached, they say that matter has been referred to Central Government. Actually, State Governments do not shoulder their responsibility.

The central assistance to the NCDC should be increased. If we want to strengthen the rural economy, we should strengthen the co-operative movement. It is evident that Co-operative societies are only source of the welfare of poor community.

श्री एस०डी० सोमसुन्दरम् (थंजाबूर) : इस अधिनियम का विस्तार जम्मू और काश्मीर तक किया जा रहा है ताकि जम्मू और काश्मीर राज्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की गतिविधियों का लाभ उठा सकें। जम्मू और काश्मीर का सामरिक महत्व है। अतः इस राज्य के आर्थिक विकास के लिए पूरा पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। यद्यपि यह विधेयक विलम्ब से पेश किया जाएगा, फिर भी इसके विस्तारण को ध्यान में रखते हुए, मैं इसका स्वागत करता हूं। जम्मू और काश्मीर में पर्याप्त मात्रा में सब्जियां और फल उगाई जाती हैं। अतः फलों और सब्जियों को तैयार करने और उनको मंडी में लाने में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेगा।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनूवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

†English translation of the speech delivered in Tamil.

समूचे देश के आर्थिक विकास में सहकारी आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। परन्तु बड़े ही खेद की बात है कि कुछ निहित स्वार्थ इसको असफल बना रहे हैं। सहकारी समितियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और कदाचार की घटनाओं को देखकर लोगों का सहकारी आंदोलन में विश्वास बहुत तेजी से घटता जा रहा है। यदि शीघ्र ही सुधारात्मक उपाय न किए तो देश की अर्थ-व्यवस्था को भारी धक्का पहुंचेगा।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यकरण की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। उसने अपना प्रतिवेदन भी दे दिया था। परन्तु बड़े खेद की बात है कि रिपोर्ट ने निगम को सुदृढ़ बनाने के लिए की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। क्या समिति की सिफारिशें सही नहीं थी अथवा सरकार ने उनको क्रियान्वित करने में कोई वास्तविक रुचि नहीं दिखाई थी। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह शीघ्रता से सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए कार्यवाही करें ताकि निगम देश के सरकारी आंदोलन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

श्री अंना साहब शिंदे : सभापति महोदय मैं यह नहीं कहता कि हमारे सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र अथवा सहकारी क्षेत्र में कोई कमियां या त्रुटियां नहीं हैं इस समय देश में सहकारी संगठन ही ऐसा संगठन है जो निर्धनों का भला कर सकता है। यह जनता का स्वैच्छिक संगठन है। सरकार इनके कार्य-करण में हस्तक्षेप करना नहीं चाहती। हमारे देश में लाखों छोटे कृषक हैं औद्योगिक संस्थानों में काम करनेवाले लाखों कर्मचारी हैं और नियत आय वर्ग वाले लाखों लोग हैं। यदि सब सहकारी ढंग से कार्य करें तो इन सबका हित हो सकता है।

गेहूं के थोक व्यापार के सरकारीकरण के सम्बन्ध में सहकारी समितियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गेहूं की वसूली में इन समितियों में किया गया कार्य सराहनीय है। माननीय सदस्य श्री इसहाक सम्भली, जो स्वयं सहकारी समितियों के पक्ष में नहीं हैं, ने हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया था। वह सहकारी समितियों के कार्यकरण से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि गेहूं की वसूली के कार्य में सहकारी समितियों ने अपूर्व कार्य किया है।

श्री मूल चन्द डागा ने लोक लेखा समिति का उल्लेख किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समिति ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की समस्याओं का अध्ययन किया और इसकी कमियों का उल्लेख किया जिसके परिणामस्वरूप हमने विशेषज्ञ समिति का गठन किया। परन्तु फिर भी इस समिति को स्वयं कई चीजें स्पष्ट नहीं है। एक ओर तो इसका कथन है कि एक अलग संगठन बनाने की अपेक्षा स्वयं सरकारी विभाग ने यह कार्य क्यों नहीं सम्भाला। दूसरी ओर, इस समिति ने कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं दिए हैं।

दांतेवाला समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने पर्याप्त सहायता दी है और सहकारी विपणन/साधन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि सहकारी समितियों के सफल कार्यकरण का श्रेय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को है।

श्री मूल चन्द डागा ने निगम के कार्यकरण की विधि और प्रक्रिया से अवगत नहीं है। यह एक

स्वायत्तशासी निगम है और राज्य सरकार के माध्यम से कार्य करता है। सहकारी संगठनों को विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ऋण राज्य सरकारों के माध्यम से दिया जाता है। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों का इस पर नियंत्रण रहता है । अब तक इस निगम ने विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से 107 करोड़ रुपये का ऋण दिया और इस समय कोई भी धनराशि प्रतिदेय नहीं है। माननीय सदस्य ने आवर्ती खर्चों के बारे में पूछा है। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि आवर्ती खर्च केवल 16 लाख है। माननीय सदस्यों का कहना है कि सहकारी समितियों की संख्या कम हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं। परन्तु इसका कारण सरकार की नीति है। कई समितियां अपना सचिव तक नियुक्त करने की स्थिति में नहीं थी। अतः सरकार ने यह अनुभव किया कि ऐसी समितियां लाभकारी सिद्ध नहीं हो सकती। अतः राज्य सरकारों से हम कहते रहे हैं कि वे ऐसी समितियों का एकीकरण कर दें अथवा उन्हें समाप्त कर दें। इस समय देश में 3,20,000 सहकारी समितियां है जिसमें से 1,65,000 ऋण समितियां हैं, 865 भूमि विकास बैंक हैं, 3,222 विपणन समितियां हैं और 13,156 उपभोक्ता स्टोर हैं। लाखों आदमी इनके सदस्य हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुछ निहित स्वार्थ समिति के सदस्यों की संख्या कम करने में लगे हैं। हमने राज्य सरकारों को कहा है कि वे निहित स्वार्थों को समाप्त करें और सहकारी आंदोलन को प्रजातंत्रात्मक आंदोलन बनाएं। सरकार समूचे देश के लिए समान विधान बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। यदि राज्य सरकारों के निर्देशन के लिए एक विधान बनाया जाता है तो उससे ऐसा जनतांत्रिक आंदोलन लाया जा सकता है जिससे निर्धन वर्ग का हित हो।

हमारे पास प्रशिक्षित प्रबन्धकों की कमी है। इस सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए और इसका कोई समाधान खोजना चाहिए। यदि हम सहकारी संस्थाओं को सफल नहीं बना सकते तो इस बात में सन्देह नहीं कि देश का भविष्य अंधकारमय है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसमें बहुत से दोष हैं परन्तु उन्हें दूर करने के सिवाय हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एक छोटा सा संगठन और जो साधन भी इसे उपलब्ध कराए जाते हैं, वह उनका पूर्ण उपयोग करता है।

मैं आप सभी का सहयोग चाहता हूं। आशा है आप इसे सर्वसम्मति से पारित करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, अधिनियम, 1962 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2-4, खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 2-4, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clauses 2-4 , Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

इसक पश्चात लोकसभा शुक्रवार, 27 जुलाई, 1973 5 श्रावण, 1895 के 11·00 बजे म. पू. तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, July 27, 1973/Sravana 5, 1895 (Sake)

MGIPRRND—16 LSS/73—Sec. III N.S.—490—21-9-73